खण्ड-282, अंक-2
बुधवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1892
(6 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	९३–९७
प्रश्नोत्तर	९७–१४३
सदस्य विधान सभा, श्री प्यारेलाल के अनशन से संबंधित मांगों के बारे में मुख्य मंत्री के वक्तव्य की मांग	१४३–१६०
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	१६१
उत्तर प्रदेश पंचम, विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१६१
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना (जारी) ..	१६१–१६२
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिपिकों द्वारा धीरे काम करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६२–१६४
मेडिकल कालेज हास्टेल, मेरठ, में देहरादून के एक लेक्चरार, श्री खेमराज कुकरेजा की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६४–१६५
देहरादून अस्पताल में हरिजन युवती, मीना मालती द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६६–१६८
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, रानीपुर, हरिद्वार के श्रमिकों की ओर से दी गई हड़ताल की नोटिस के सम्बन्ध में वक्तव्य	१६८–१६९
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भूगृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (जारी)	१६९–१७७
रायल होटल विधायक निवास में पानी का प्रबन्ध न होने की शिकायत ..	१७७–१७८
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भूगृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (जारी)	१७८–२०१
प्रदेश में बढ़ती हुई नक्सलवादियों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	२०१–२०४
गन्ने की खपत न हो सकने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	२०४–२०५
नियम ५१ व ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२०५–२०९
जिला परिषद्, नैनीताल द्वारा २६७ अध्यापकों को सेवा से पृथक् करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२०९–२१६
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पारित)	२१६–२३६
नत्थियां	२३७–२४५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ६ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द महाशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त वाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेण सहाय, श्री (जिला गोंडा)
बल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारयाण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाराज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री

मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल बेहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, श्री
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री

राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रसाद सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
बांकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पाण्डेय, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेई, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री

सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के विभिन्न स्थानों में 'हाई कोर्ट बेंच' खोलने की मांग

**१—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में स्थापित करने का अन्तिम निर्णय सरकार ने कर लिया है?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी नहीं।

**२—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा तथा श्री कल्यान सिंह—

क्या इस सम्बन्ध में आगरा की कई बार एसोसीयेशन्स तथा अन्य प्रस्ताव आगरा में बेंच स्थापित करने के लिये सरकार को मिला? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। आगरा बार एसोसियेशन, आगरा से एक प्रस्ताव तथा अन्य संस्थाओं से आगरा में बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुये।

सर्किट बेंच के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार आगरा तथा अन्य नगरों के दावों पर भी विचार करेगी।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या २ का जो उत्तर दिया है उसमें अन्य संस्थाओं की बाबत जिक्र किया है वह अन्य संस्थाएं कौन-सी हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वह संस्थाएं जिले की हैं। उन सब संस्थाओं की तरफ से रेजोल्युशन आये कि आगरा में सर्किट बेंच होनी चाहिए। उनके नाम बताने में मैं समर्थ नहीं हूं।

श्री कल्यानसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि यह प्रश्न बड़े महत्व का है और राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर कुछ विचार इसमें किये जा रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस विषय को किसी जज की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग को सौंपेंगे जो सब बातों पर विचार करके रिपोर्ट दे ? यदि हां, तो आयोग कब तक स्थापित कर दिया जायगा ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जो राजनीतिक कारण बतलाए हैं, वे राजनीतिक कारण साफ करें तब इसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि जब से यह घोषणा हुई है कि यह सरकार मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक शाखा खोलने पर विचार कर रही है इस प्रदेश के हर क्षेत्र से हाई कोर्ट की शाखा खोलने की मांगें शुरू हो गयी हैं, जैसे आगरा और गोरखपुर से, ऐसी स्थिति में इस प्रदेश की डिस्इंटिग्रेशन की परिस्थिति पैदा हो गयी है, इसलिए कोई भी शाखा इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं खोली जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अलग-अलग स्थानों से प्रस्ताव आये हुए हैं। अभी सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है कि कहां खोला जाय, या खोला जाय या न खोला जाय।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जानते हुए कि मेरठ से इलाहाबाद चार सौ मील से ज्यादा दूर पड़ता है और वहां के लोगों को वहां जाने में कठिनाई हो रही है, ऐसा क्या प्रेशर है कि अब तक मंत्रि परिषद् हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खोलने में असमर्थ रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी जहां तक सर्किट बेंच खोलने का प्रश्न है उसके लिये अलग-अलग प्रस्ताव आये हैं। जैसे कि ला कमीशन की रिपोर्ट है कि अलग बेंच न खोली जाय उससे भी सरकार परिचित है और उसके ऊपर गौर करते हुए सरकार निर्णय लेगी कि एक सर्किट बेंच खोलने की आवश्यकता है या नहीं और अगर आवश्यकता है तो कहां खोलने की आवश्यकता है इस बात पर वह अभी निर्णय लेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को विदित है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम मुमालिक मुत्तहिद्दा आगरा व अवध था और आगरे में हाई कोर्ट पहले रह चुकी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, आगरे में पहले सिविल हाई कोर्ट थी। वही बाद में जाकर एमलगमेट होकर इलाहाबाद में हो गयी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

ला कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है कि निश्चित रूप से प्रदेश के अन्दर एक ही हाई कोर्ट हो और दूसरी किसी प्रकार की बेंच स्थापित न की जाय और यह चीज सरकार के विचाराधीन है कि कहां आवश्यक है दूसरी बेंच खोली जाय या न खोली जाय तो क्या सरकार ला कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ भी कोई कार्यवाही कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

वह कर सकती है।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

दूसरी बेंच खोलने के सम्बन्ध में क्या सरकार तीन महीने के अन्दर फैसला ले लेगी क्योंकि मेरठ डिवीजन के लोगों को लखनऊ हाई कोर्ट बेंच पार करके इलाहाबाद जाना पड़ता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

निश्चित समय तो नहीं बतला सकता लेकिन जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

आगरा और झांसी में हाई कोर्ट की शाखा खोलने की मांग की जा रही है तो मध्य प्रदेश के उदाहरण को सामने रख कर क्या सरकार वहां भी शाखायें खोलेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जसा माननीय सदस्य ने कहा वहां से भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। उनके प्रार्थना-पत्र पर भी विचार होगा जब इस बात पर विचार किया जायगा।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

बरेली से भी हाई कोर्ट की शाखा खोलने की मांग आई है क्योंकि वह सेंटर में पड़ता है तो क्या इसके लिये सरकार किसी आयोग की स्थापना करेगी जो रिपोर्ट दे कि कौन सा स्थान उपयुक्त रहेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बरेली से भी प्रार्थना-पत्र आया है। उसमें यह कहा गया है कि वह बीच में पड़ता है। उनके प्रार्थना-पत्र पर भी विचार किया जायगा।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री के उत्तर से साबित होता है कि अभी सरकार निर्णय नहीं ले सकी है। दो राय हैं। तो क्या शासन सुप्रीम कोर्ट से या किसी विशेषज्ञ से राय लेगी कि हाई कोर्ट की दो शाखायें की जायं या न की जायं और उसके बाद वह निर्णय इस सम्बन्ध में लेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस बात पर अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि वहां कोई बेंच खोली जाय या न खोली जाय। जहां तक ला में है वह यह है कि चीफ जस्टिस, गवर्नमेंट या गवर्नर मिल कर उसको तय करें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९ मार्च, १९७० को माननीय मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट और माननीय मुख्य मंत्री के बीच यह वार्ता हुई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच खुलनी चाहिए या नहीं? इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच नहीं खुलनी चाहिए?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव दिया है कि कोई बेंच नहीं खुलनी चाहिए तो किन कारणों से सरकार इस पर विचार कर रही है कि खुलनी चाहिए?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह फैसला सरकार को करना है। यह कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश की बात को सरकार मानने के लिये बाध्य हो।

श्री कल्यान सिंह---

क्या माननीय न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस-किस स्थान से हाई कोर्ट की बेंच खोलने की मांग प्राप्त हुई है? और इस सम्बन्ध में क्या सरकार कोई आयोग गठन करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बड़े-बड़े एडवोकेट्स ने इस बात की मांग की है कि लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिला लिया जाय और कोई बेंच न खोली जाय? इस पर सरकार कोई निर्णय लेने वाली है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग कोई कायदा नहीं रखते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा है उसका माननीय न्याय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

हमारे पास हाई कोर्ट से रिजोल्यूशन आये हैं और कई जगह से रिजोल्यूशन आये हैं। जिस तरह से सरकार अन्य मामलों से कार्यवाही करती है उसी प्रकार से इस रिजोल्यूशन पर भी करेगी। इस बात को प्रिफिरेन्स देने का कोई सवाल नहीं है।

अपराध संबंधी आयोग के विचारणीय विषय

**३---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या थानों में रिपोर्ट लिखाने और अपराधों को छिपाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करके सुझाव देने हेतु आयोग नियुक्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो आयोग के विचारणीय विषय क्या है और उसकी अवधि क्या होगी?

गृह उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

जी हां । आयोग के विचारणीय प्रस्तावित विषय मुख्यतः अपराधों के छिपाने तथा उनकी गम्भीरता कम करके दर्ज करने के कारणों का पता लगाना, इस कुप्रथा को दूर करने के लिये सुझाव देना तथा तफतीश एवं अभियोजन प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देने होंगे । आयोग की अवधि तीन माह रखने का विचार है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किसी थाना अध्यक्ष की कार्यकुशलता और उसकी तरक्की इस बात से जांची जाती है कि उसके कार्यकाल में जरायम कम हुये हों ? दूसरी बात मान्यवर, यह है कि पुलिस और गुंडों में सांठ-गांठ रहती है और इस कारण अपराध छिपाये जाते हैं ?.....व्यवधान.....

श्री अध्यक्ष---

आप कारण बता रहे हैं या सवाल पूंछ रहे हैं ?

यह तो आप सूचना दे रहे हैं, प्रश्न पूछिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में यह कारण है ?

चौथा कारण यह है कि जब जनता रपट के लिये थाने पर जाती है, उससे न केवल रिश्वत ली जाती है बल्कि बदसलूकी भी की जाती है । पांचवां कारण यह है कि जब पुलिस वालों के खिलाफ अपराधों को दबाये जाने के लिये, छिपाये जाने अथवा घटा कर दर्ज किये जाने के बारे में शिकायत की जाती है तो तत्परता से जांच नहीं होती । इस प्रकार से दोषी अधिकारी को मौका दिया जाता है कि वह गवाही को तोड़े । छठा कारण यह है कि...

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से यह सवाल तो बहुत लम्बा हो जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कारण बता दूंगा तो शायद आयोग की जरूरत ही नहीं रहेगी । छठा कारण यह है कि दोषी कर्मचारी को या पुलिस अधिकारी को यह विश्वास रहता है कि मुसीबत में पड़ने पर नेताओं से उसको सहायता मिल जायगी । क्या इन कारणों से अपराधों को छिपाने, अथवा घटा कर दर्ज किये जाने को प्रोत्साहन नहीं मिलता है ?

श्री चरण सिंह---

मैं अपने माननीय मित्र को धन्यवाद देता हूं । उन्होंने जो सूचना दी है उसको मैं आयोग को भेज दूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि आज प्रदेश में अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वे यह सफाई देते हैं कि अब अपराध वास्तविक रूप से लिखे जा रहे हैं, इसलिए संख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे अपराधों में वृद्धि नहीं है । क्या मंत्री जी इस फैक्ट की जांच भी करायेंगे ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह सूचना तो माननीय मित्र के ही पास होगी, मेरे पास नहीं है । गवर्नमेंट ने यह आर्डर्स जरूर दिये हैं कि रिपोर्ट्स सब लिखी जायं । उसकी वजह से जुर्म बढ़ रहे

हैं, यह उनकी सूचना है, हमारी ऐसी सूचना नहीं है । मैं आपकी इजाजत से यह बता देना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को तीन ही महीने हुए हैं कागनीजेबिल आफेंसेज की संख्या फी लाख १,९०४ से १५ तक थी, ३३५.५ अगले दशक में २४०.५, फिर १३६.१, फिर ११५.१,फिर ५५ से ६० में ८६.९, तथा ६० में ८०.१ थी । इससे जाहिर होता है कि जरायम घट रहे हैं जब पिछले ५० सालों में आबादी ड्योढ़ी हो गयी है । अतः ये आंकड़े गलत हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि जरायम कम नहीं हुए हैं लेकिन ये आंकड़े गलत हैं । रिपोर्ट्स नहीं लिखी गयीं । इम्प्रूवमेंट इन क्राइम सिचुएशन के बारे में जो जायसवाल जी ने जो सुझाव दिये हैं उनमें एक यह भी है कि जरायम को कम दिखाने के लिये रिपोर्ट्स कम लिखी जाती है । इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिये आयोग बैठाया गया है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के इस आदेश के अनुसार कि रिपोर्टें सब लिखी जायं उनको जानकारी है कि कागनिजेबिल आफेन्सेज भी अदम तफतीश कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---

अगर मैं सही सुन पाया हूं तो सवाल यह है कि एस० पी० लोग अनेक बार कागनिजेबिल आफेन्सेज को भी दर्ज नहीं करते हैं । मुझे ऐसा तो नहीं मालूम है कि कोई आम नियम है लेकिन हो सकता है कहीं गलती हुई हो ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी विचार कर रहे हैं कि जो आयोग वह मुकर्रर करने जा रहे हैं उसमें इन्वेस्टीगेशन और क्राइम, इन दोनों ब्रान्चेज को अलग किया जा सके ? और एक दूसरा मैं और सवाल कर देता हूं कि धीरे-धीरे इन्वेस्टीगेशन में वैज्ञानिक तौर तरीके इस्तेमाल किये जांय, इनके सम्बन्ध में भी आयोग के सुपुर्द कुछ कार्य करेंगे या सरकार अपने तौर पर विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह---

एक तो क्राइम रिपोर्ट की बात है, एक इन्वेस्टीगेशन और प्रासीक्यूशन । यह तीनों बातें उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स में हैं । इसके सिलसिले में वह सुझाव देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या शासन के ऐसे भी आदेश हैं जिनके मुताबिक कागनिजेबिल अफेन्सेज की रीपोर्ट तो थाने में दर्ज हो जाती है लेकिन मुकद्दमा दर्ज नहीं किया जाता ?

श्री चरणसिंह---

जहां तक मुझको याद है ऐसे कोई आदेश नहीं है, न किसी पुराने शासन के और न इसके ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आमतौर से यह शिकायतें मिल रही हैं कि रिपोर्ट सही दर्ज नहीं होतीं कोई ऐसी एजेन्सी पर भी विचार करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को असन्तोष हो तो किसी निष्पक्ष अधिकारी, जैसे जुडिशियल आफिसर या किसी और मैजिस्ट्रेट के सामने जा कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके और उसके एफ० आई० आर० मान लिया जाय ?

श्री चरण सिंह---

यह सारा मामला अध्ययन करने के लिये ही तो आयोग है । वह गालिबन क्वेश्चनेयर निकालेंगे तब आप सुझाव भेज दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस आयोग के सदस्य कौन होंगे, इस पर खर्चा कितना होगा और क्या मुझ जैसे विधान सभा के नालायक मेम्बरों को भी उस आयोग में सेवा करने का मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

"नालायक" शब्द अनपार्लियामेंटरी है हालांकि अपने लिये ही आप कह रहे हैं। आप अपने को लायक कहें तो ठीक है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अच्छा, मेरे जैसे लायक मेम्बर को।

श्री चरण सिंह---

आपने मेरी समस्या हल कर दी। नालायकों को रखने का गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है। लायक अगर कोई होंगे तो उनको जरूर रखने पर विचार करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस आयोग पर खर्चा क्या होगा इसका जवाब नहीं आया और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, खर्चा कितना होगा यह मैं अभी नहीं बतला सकता। इसके अध्यक्ष की बाबत हमने तय कर लिया है। रिटायर्ड जस्टिस हैं हमारे हाई कोर्ट के श्री गंगेश्वर प्रसाद सिंह। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। तो उनको तो चेयरमैन बनाने का विचार है। गालिबन मिर्जापुर के रहने वाले हैं। अब वह मिर्जापुर चले गये या इलाहाबाद में ही हैं, ठीक नहीं मालूम। अभी उनको चिट्ठी लिखी गयी थी, उनकी स्वीकृति आयी है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुमकिन है आ गयी हो। एक दूसरे मेम्बर रखने का विचार है रिटायर्ड एडिशनल डी० आई० जी०, सी० आई० डी० १९६१-६२ में श्री शरतचन्द्र मिश्र। इसके बाद वह प्रिन्सिपल हुये पी० टी० सी० के और फिर रिटायर हो गये। आजकल जयपुर में रह रहे हैं। वह स्वीकार करेंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन गवर्नमेंट का विचार है कि अगर वह स्वीकार कर लें तो उनको भी एक सदस्य बनाया जाय। इसी तरीके से मैं यह भी विचार कर रहा हूं एक और रिटायर्ड पुलिस अफसर की बाबत उनको शामिल करने के लिये। और दो रखना चाहता हूं विधायक। वह चाहे दोनों कौंसिल के हों चाहे दोनों यहां के हों, चाहे एक साहब यहां के हों और एक साहब वहां के हों। अभी मैं निश्चय नहीं कर पाया हूं कि किन साहब को रखा जाय। क्रिमिनल प्रैक्टिस जिनकी हो उनको शामिल करने का विचार है।

बरेली में बच्चा पकड़ने वाला कथित गिरोह

**४---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली में बच्चा पकड़ने वाला गिरोह बहुत सक्रिय है और गत सप्ताह में १५ बच्चे गायब हुये जिनकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई ? क्या इसी प्रकार कानपुर, आगरा में भी बच्चे गायब हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा कितने बच्चे अभी तक बरामद किये ?

श्री चरण सिंह---

बरेली में बच्चे पकड़ने वाला कोई गिरोह सक्रिय नहीं है और बच्चा पकड़ने की कोई रिपोर्ट इस वर्ष वहां नहीं हुई है। कानपुर और आगरा में भी इस वर्ष बच्चे पकड़ने की कोई घटना होने की सूचना नहीं है। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[सिचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ३रे बुधवार (२९-४-७०) के प्रश्न जो ४थे बुधवार के लिये रखे गये] ।

अस्थायी अभियन्ता

*३४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग में कितने इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर कार्य कर रहे हैं तथा इनमें कितने अस्थाई हैं ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री जगरनाथ)—

उत्तर प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणी के कुल १,४१६ अभियन्ता कार्य कर रहे हैं जिनमें से ८२० अस्थायी हैं ।

श्री निन्यानन्द स्वामी—

१,४१६ से ८२० अस्थायी हैं । इन ८२० में से ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका सेवा काल दो वर्ष से अधिक हो चुका है ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अपने प्रदेश में इंजीनियरों को काफी परेशानी है कि वे अस्थायी हैं जितने इंजीनियर या सहायक इंजीनियर अस्थायी हैं और जिनका सेवा काल दो वर्ष से अधिक है, उनको स्थायी करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नियम पहले से बने हुये हैं जिनके मुताबिक जो इंजीनियर रख रखाव के ऊपर काम करते हैं तीन वर्ष हो जाने पर वे शत प्रतिशत स्थायी कर दिये जाते हैं । इसी प्रकार जो निर्माण कार्य में काम करते हैं उनके दो-तिहाई तीन वर्ष के बाद स्थायी कर दिये जाते हैं और जो डिजाइन कार्य में लगे हुये हैं उनके एक-तिहाई तीन वर्ष के साथ स्थायी कर दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उससे सरकार सहमत है और वह जरूर इस कोशिश में है कि जिन्हें तीन वर्ष से अधिक हो जांय उन्हें शनैः शनैः स्थायी किया जाय ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग ने बहुत ऐसे कर्मचारी या ओवर-सियर जिन्होंने अस्थायी ढंग पर ६ महीने, साल भर काम किया है उनको छंटनी करके निकाल दिया है, तो क्या सरकार उनको जगह देने में प्रायरिटी देगी और उनको दोबारा नौकरी में लेने की कोशिश करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इससे उठता नहीं है, लेकिन फिर भी जितने आदमियों की छंटनी हुई है उनके पूर्वकाल को सेवा का ख्याल रखा ही जाता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अस्थायी इंजीनियर्स बढ़ जाने का एक बड़ा कारण यह है कि उनको सेवा के नियम अभी नहीं बन पाये हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उनके बनवाने पर विचार करेगी ? और अगर हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरे नोटिस में अभी आया है कि इंजीनियर्स की सेवा के कोई नियम नहीं बने हैं और यह बहुत समय से पड़ा हुआ है । चीफ इंजीनियर्स को आदेश दे दिये हैं कि जो कुछ नियम बनाये हैं—एक कमेटी भी बनी थी—वह जल्दी ही शासन को भेजें जिससे इस पर कुछ विचार किया जा सके ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने आ गयी है ? यदि हां, तो उसकी सिफारिशें स्वीकार करने में शासन को कितनी देर है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी तो रिपोर्ट शासन के सम्मुख, या मेरे सामने नहीं आयी ।

एक सदस्य—

क्या मंत्री जी नान-टेकनिकल आई० ए० एस० सेक्रेटरी को हटाकर उसकी जगह इंजीनियर सेक्रेटरी बनायेगी और २२ साल से जो नियम नहीं बने हैं उनके बनाने के लिए जल्दी कार्यवाही करेगी ।

श्री चरण सिं —

यह सवाल कि आई० ए० एस० या आई० सी० एस० को ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रखने को, उनको सेक्रेटरी बनाने की बजाय उस टेक्निकल या नान-टेक्निकल डिपार्टमेंट के किसी अफसर को सेक्रेटरी बनाया जाय, यह बहुत दिनों से जेरे-गौर है या चल रहा है, विचार हो रहा है । लेकिन इस सिलसिले में दो राय हैं और अभी तक इस गवर्नमेंट ने उस सिलसिले में डिसीशन नहीं लिया है ।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर्स जिनका सेवा काल १२–१२ वर्ष का है वह अस्थायी हैं और जिनका दो या तीन वर्ष का था वह स्थायी कर दिये गये हैं इस वजह से कि सरकार ने इस बीच में निर्णय ले लिया है कि परीक्षा के थ्रू भर्ती जिनकी होगी वह स्थायी कर दिये जायेंगे और जिनका अप्वाइंटमेंट डायरेक्ट हुआ है उनको अस्थायी रखा जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरी नोटिस में तो यह नहीं है अगर इस प्रकार की सूचना देंगे तो जांच करायेंगे ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले कितने वर्षों से अस्थायी पदों की संख्या बढ़ती जाती है । इसके सम्बन्ध में कुछ उपाय माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताये, लेकिन अविलम्ब कोई कार्य हो सके, इस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री चरण सिंह—

मेरी सूचना के अनुसार अस्थायी पदों का प्रतिशत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ घट रहा है । सिंचाई विभाग में और गालिबन विद्युत् विभाग में प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है—३५ से ४५ प्रतिशत के भी करीब है । हां, पी० डब्लू० डी० में जरूर ज्यादा है—६५ परसेंट

हैं अस्थायी का, जो कि काफी ज्यादा है । जैसा कि एक आध जगह मैंने कहा था, हमारा विचार था कि इन अस्थायी पदों का प्रतिशत घटाया जाय ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह बताया कि ऐसे इंजीनियर जो रखरखाव में रखे जाते हैं और तीन साल से लगातार चले आ रहे हैं, वे समस्त स्थायी किये जाते हैं और निर्माण-कार्य में उन पदों के दो तिहाई पद जो तीन वर्ष से लगातार चले आ रहे हैं वह स्थायी किये जाते हैं । नियम पहले से बने हुए हैं । क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन नियमों के अन्तर्गत सभी अस्थायी इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों को स्थायी किया गया है या नहीं ? यदि नहीं किया गया है तो कितने इंजीनियरों को नियम के अन्तर्गत स्थायी करना बाकी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

रख रखाव में ३६ इंजीनियर हैं जिनको स्थायी किया गया है । निर्माण कार्यों में ६ हैं और इसी प्रकार डिजाइन कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो स्थायी न किया गया हो ।

बिजनौर जिले में जहानावाद गांव का बांध

*३५—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम जहानाबाद, परगना दारानगर, जिला बिजनौर में जो मुगलकालीन बाढ़ रोधक पक्का बांध बना हुआ था वह गंगा नदी के कटाव के कारण गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम को कटाव से बचाने के लिये उसकी मरम्मत व देख भाल करायेगी ?

श्री जगरनाथ—

प्रथम भाग—

ऐसा कोई मुगलकालीन बांध नहीं बना हुआ है ।

दूसरा भाग—

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौके पर बड़े-बड़े ईटों के बांध मौजूद हैं, यह उत्तर सही नहीं है । बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि फिर से जांच करा के क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बांध नहीं बनाया गया है । अलबत्ता ईदगाह के लिये एक पुरानी बांध बनी हुई है जिसके रखरखाव की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

यह बांध मुगलों के जमाने का बना हुआ है । यह गांव की हिफाजत के लिये बनाया गया था । अगर यह गिर गया तो सारा गांव बह जायेगा और इस इलाके को काफी नुक्सान पहुंचेगा । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इसको ठीक कराने की कृपा की जाय ।

* * * *

घंघरौल बांध सोन लिफ्ट योजना

*३७—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घंघरौल बांध सोन लिफ्ट योजना मिर्जापुर की कार्य प्रगति क्या है ?

श्री जगरनाथ—

घंघरौल बांध सोन लिफ्ट योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण आरम्भ किया जा चुका है। तत्पश्चात् विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जायगा। तभी वास्तविक रूप रेखा ज्ञात हो सकेगी। उसके उपरान्त निश्चय किया जा सकेगा कि योजना कार्यान्वयन के लिये लेने योग्य है अथवा नहीं।

*३८—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ब्लाक चोपन के अन्तर्गत लौंगा बांध सोन नदी लिफ्ट एवं पांड़ नदी लिफ्ट योजना को लागू करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगरनाथ—

जी नहीं, क्यों कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर ये योजनाएं अलाभकर पाई गई है।

श्री जगननाथ खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हम बोलना चाहते हैं जिससे बोलने का मौका नहीं मिलता है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले जून के महीने में केन्द्र के सिंचाई मंत्री श्री के० एल० राव ने इस योजना को ले लिया है और इसके कार्यान्वयन के लिये रिपोर्ट दे दी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं है।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि मिर्जापुर जिले में बार-बार सूखा और अकाल आता है तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि सोन लिफ्ट योजना के संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक हो सकेगा और उस पर कार्यान्वयन कब से आरम्भ हो सकेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इस सिलसिले में एक उपखंड खोल दिया गया है और वह इसके बारे में सर्वे करके रिपोर्ट देगा।

श्री सूबेदार प्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न संख्या ३८ से सबंधित उत्तर दिया है उस संबंध में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्जापुर के इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में एकही पेय जल की योजना बन सकी है और उसे भी अलाभकर बताया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, कई योजनाये हैं और उनमें से दो योजनायें ऐसी हैं जिनको सर्वथा अलाभकर समझा गया है। कुछ क्षेत्रों में सब डिवीजन खोल दिए गये हैं और कुछ में खोलने की योजना है। उनकी सर्वे रिपोर्ट आने पर ही निर्णय हो सकेगा।

* * * *

गोरखपुर जिले की सदर तहसील में कटावों पर बांध बनाने की मांग

*३६—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंग कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में चुनाव क्षेत्र झंगहा में जहां इस वर्ष भयंकर बाढ़ में राप्ती एवं गौरी नदियों द्वारा कटाव वाले स्थान चितहरी, जोगिया, एवं कुडउआ बांध के निकट ठोकर लगवाने का कार्य होगा ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगरनाथ—

बांध के निकट ठोकर लगाने का कोई कार्य विचाराधीन नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहां बांध कट रहा है वहां पर दूसरे सहायक बांध बंधवाते हुए शेष बांधों की मरम्मत करवायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्राविधिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से यह हितकर नहीं समझा गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई कटाव हुआ है और अगर हुआ है तो उसको बचाने का क्या उपाय किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसकी जांच कराई गई थी और प्राविधिक और आर्थिक दृष्टि से इसको हितकर नहीं समझा गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि क्या कोई कटाव हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां।

श्री दीप नारायण मणि—

क्या माननीय मंत्री जी जो पुराने बांध बने हुए थे उनमें जो कटाव हो रहा है उसको ठीक करायेंगे ताकि गांवों की रक्षा हो सके ? नये बांध बनाने का प्रश्न नहीं है। जो बांध पुराने बने हैं केवल उनकी सुरक्षा करादें ताकि आगे उनको क्षति न हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, एक प्रश्न और ।

श्री अध्यक्ष—

वह समाप्त हो गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस संबंध में जांच करने के पश्चात् टेकनिकल एक्सपर्ट्स की यही राय आई है कि इन गांवों को नसेब से हटाकर ऊंची जगह पर बसाया जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जो बाढ़ में यातायात का और सुरक्षा का काम करते हैं क्या माननीय मन्त्री जी इन बांधों की बरसात के पहले मरम्मत करावेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने बतलाया कि टेकनिकल एक्सपर्ट्स की राय है कि दोनों दृष्टि से, प्राविधिक और आर्थिक, हितकर नहीं होगा ।

सिंचाई मंत्री सम्मेलन नैनीताल के कर्मचारियों को मानदेय

*४०—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत मई महीने में सिंचाई मंत्रियों का जो सम्मेलन नैनीताल में हुआ था उसमें जिन कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया था क्या उन्हें तत्कालीन उप मुख्य मंत्री ने मानदेय देना स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि वह मानदेय उपमुख्य मंत्री के त्याग-पत्र देने पर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगरनाथ—

सम्मेलन में अथक परिश्रम व प्रशंसनीय कार्य करने के लिये सचिवालय के निम्नलिखित पांच अधिकारी/कर्मचारियों को तत्कालीन उप मुख्य मंत्री जी ने मानदेय देने की स्वीकृति दी थी :—

१—श्री अमर सिंह वर्मा, अधीक्षक, सिंचाई (ख) विभाग ।

२—श्री कृष्ण देव श्रीवास्तव, प्रवर वर्ग सहायक, सिंचाई (ग) विभाग ।

३—श्री अवधेश चन्द्र शर्मा, आशुलिपिक ।

४—श्री विश्वेश्वर नाथ सिंह, आशुलिपिक ।

५—श्री बद्री दत्त उप्रेती, प्रवर वर्ग सहायक, राज्य सम्पत्ति विभाग ।

इन सभी अधिकारी/कर्मचारियों को मानदेय की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री नगीना सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो मानदेय दिया गया है वह वेतन के आधार पर दिया गया है अथवा कोई निश्चित रकम के आधार पर दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

रु० ५० प्रति कर्मचारी ।

ग्राम परगना किठौर, तहसील मवाना से पानी निकासी की योजना

*४१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि हर वर्ष बरसात में और इस समय भी ग्राम परगना किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ के तालाबों में पानी की अधिकाई से उस ग्राम की आबादी व खेतों में पानी भर जा ा है और क्या ग्रामीणों को इस विपत्ति से छुटकारा देने के लिये लगभग ३ वर्ष पूर्व मोहल्ला जलालदीपुरा स्थित तालाब से खारजा बनाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन अब तक क्यों नहीं किया ?

श्री जगरनाथ—

ग्राम परगना किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ में मोहल्ला जलालदीपुरा में तालाब होने के कारण पानी तालाब में भरा रहता है तथा अधिक वर्षा काल में पानी निकासी का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण से पानी आ ादी तथा खेतों में भरने लगता है। उक्त विपत्ति से छुटकारा पाने के लिये एक नाला निकालने हेतु प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई थी। मोहल्ला जलाल-दीपुरा के तालाब से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के पास वाले तालाब तक नाले की प्रस्तावित लम्बाई ३ १/२ फर्लांग होगी और नाले के लिये भूमि किठौर में ही उपलब्ध है। चूंकि बर्तमान शासनादेश के अनुसार एक ही गांव से गुजरने वाले, एक मील से कम लम्बाई वाले नाले ग्राम सभा द्वारा ही निर्मित किये जाने हैं अतः उक्त कारणों से नाला विभाग द्वारा न बनाकर ग्राम सभा द्वारा ही बनाया जाना है ।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय मंत्री जी ने इसको खुद मंजूर किया है कि उस गांव में तालाब के कारण बरसात में पानी भर जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरसात के दिनों में कितने मकान गिर जाते हैं जिससे वहां के गरीब लोगों को बहुत अधिक कष्ट है। गांव वाले १०, १२ साल से सरकार के पास इस बात की दरख्वास्त करते रहे हैं कि उस नाले को न बनाने के कारण लाखों रुपयों का लोगों का नुकसान हो जाता है। क्या सरकार जो मील वाली हद है उसका संशोधन करके कोई ऐसा नियम बनावेगी जिससे कि वह नाला बन सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इसकी जांच जरूर करवाई गई थी और यह नाला गांव के बीचों बीच में पड़ता है और दूसरी तरफ सड़क पार करके गिरता है। अब गांव की आबादी में नाला बनाना सम्भव है। साढ़े ३ फर्लांग का सवाल है। अब जब तक कि सरकार इसके लिये आदेश न दे यह नहीं हो सकता। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि एक मील से कम वाले पर भी यह हो सके और अगर आवश्यता हो तो उसके निर्माण पर भी विचार किया जाय। जब तक कि आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक उसको बनाना सम्भव नहीं था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि बरसात के दिनों में मकान गिर जाते हैं और फसल को नुकसान होता है। ऐसी हालत में फसल को बचाने के लिये उस नाले को बनाने का वह कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इससे लाखों रुपयों की फसल नष्ट नहीं होती परन्तु इससे आबादी के मकान तथा पी० डब्लू० डी० की सड़क को अवश्य नुकसान होता है। मैं इस विषय में पी० डब्लू० डी० से भी कोशिश करूंगा कि वह भी इसको एक मर्तबा दिखला लें। इसमें जो कुछ भी सम्भव होगा वह करूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगली बरसात आने के पहले अपने इस आश्वासन को अमल में ला देगें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अगली बरसात तो आने वाली है, सवा महीना ही बाकी है, और अभी तो पुराने एक मील के आदेश पुरानी सरकार के मौजूद हैं, उनको तरमीम करना होगा। फिर पी० डब्लू० डी० से भी बात करनी होगी, फिर टेन्डर्स की बात होगी, रुपए का प्रावीजन भी करना होगा। तो यह मुश्किल लग रहा है कि इस बरसात के पहले यह कार्य सम्भव हो सकेगा।

श्री मंजूर अहमद—

मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बता दूं। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन फर्लांग है। आबादी से लगभग डेढ़ फर्लांग का नाला ग्राम पंचायत ने बनवा रखा है, लगभग डेढ़ फर्लांग बचा। उसके एस्टीमेट्स बनकर सरकार में आ गए हैं। अगर उसके आदेश दे दें तो बन सकता है बरसात के पहले। लाखों रुपए के मकान और मवेशी जो दब जाते हैं, वह बच सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने अभी बतलाया कि पुराने नियम अभी हैं। जब तक वह बदले ना जायं तब तक नहीं हो सकता। मैं यह कोशिश करूंगा कि शीघ्र नियम में परिवर्तन हो और अगर सम्भव हो सका और पैसे का इन्तजाम भी कर सके तो जरूर विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या मंत्री जी कृपया बताएंगें कि इस प्रकार के कामों के लिये अग्रिम स्वीकृति देना सम्भव नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, जैसा कि मैं तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं, एक मील से कम के नाले को हम एक गांव में बना ही नहीं सकते जब तक कि वह नियम है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह शिकायत जगह-जगह है। तो क्या माननीय सदस्यों की सूचना पर, जहां-जहां ऐसी शिकायत हो, उस निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि नियम बदलेंगे तब कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, प्रायरटी दे दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने तो अभी बताया कि नियम को परिवर्तित करने पर हम विचार कर रहे हैं।

बांसगांव तथा बेलघाट ब्लाक से सिंचाई के लिये प्रार्थना-पत्र

*४२—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव और बेलघाट ब्लाक में सिंचाई की व्यवस्था के लिये कितने प्रार्थना-पत्र १ दिसम्बर, १९६८ से ३० दिसम्बर, १९६९ तक मंत्री जी को प्राप्त हुये और उस पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कथित क्षेत्र में नलकूपों व नहरों द्वारा सिचाई व्यवस्था के विषय में विधायक महोदया के तीन प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि में शासन को प्राप्त हुए ।

दिनांक १६-१०-१९६९ को विधायक महोदया को सूचित किया जा चुका है कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार जिन स्थानों में नलकूप लगने सम्भव पाये गये हैं वहां विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् यदि प्राविधिक और मितव्ययिता की दृष्टि से उचित पाया गया तो वहां नलकूप निर्माण करने की कार्यवाही की जायगी । कुआनो नदी से नहर निकाले जाने के विषय में भी उन्हें सूचित किया जा चुका है कि कुआनो नदी से बस्ती पम्प कैनाल और कुआनो पम्प केनाल निकाली जा चुकी है जिनका हेड डिस्चार्ज क्रमशः ३० व १५० क्यूजेक है । नदी में और पानी गर्मी में नहीं रह जाता । फिर भी लालपुर ग्राम को, जो कुआनो पम्प कैनाल की टेल के पास है, पानी देने के लिए पंम्पिग स्टेशनों पर एक ३० क्यूजेक का पम्प लगाने का प्रस्ताव है जिससे कुछ अतिरिक्त पानी मिल सकेगा ।

*४३—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से भी बांसगांव एवं बेलघाट ब्लाक में सिंचाई की व्यवस्था के लिये कोई निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं ।

नहर गग, शाखा इटावा से किसौरा रजबहा निकालने की योजना

*४४—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर गंग शाखा इटावा के मील नं० ९२, ग्राम गढ़ी, महेरिया, सुनाथा, तहसील डेरापुरा, जिला कानपुर से पूर्वोत्तर की ओर ग्राम किसौरा, बनीपारा महराज होते हुये एक रजबाहा निकालने की कोई स्कीम है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू होगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत नहर गंग शाख इटावा के मील सं० ०-९१ व ९२ के बीच बाई पटरी से १२ मील २ फ० लंबा किसोरा रजबहा प्रस्तावित है । प्रस्तावित रजबहा ग्राम सुनाथा तहसील डेरापुर जिला कानपुर से पूर्वोत्तर की ओर ग्राम सुनाथा व किसोरा, बनीपारा व महाराज होते हुए निकाला जावेगा । इस रजबहे का सर्वेक्षण कार्य कराने के पश्चात् इसके निर्माण का कार्य चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के भीतर ही पूर्ण कराने का प्रस्ताव है ।

सुकरौली ब्लाक में नाले पर बांध बनाने की शिकायत

*४५—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत सुकरौली ब्लाक में पिपराइच ताल से कोई नहर निकाली गयी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

देवरिया जिले में सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत कोई नहर नहीं बनायी गयी है। वर्षा का पानी निकालने के लिए एक नाले का निर्माण कराया गया था।

*४६—श्री बांके लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नहर सिंचाई विभाग द्वारा नीलाम कर दी गयी है जिस के कारण मछली मारने के लिए उपरोक्त नहर के मल्लाहों ने बन्धा बांध दिया है जिससे ४ हजार एकड़ जड़हन की फसल नष्ट हो गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपर्युक्त नाले में मछली मारने के लिए वर्ष १९६९–७० में नीलाम किया गया था परन्तु बांध बांधने की अनुमति नहीं दी गयी। न कोई बांध ही बांधा गया और न कोई फसल ही नष्ट हुई।

श्री बांके लाल—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लहनी गांव के किसानों ने इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र अगस्त के महीने में सिंचाई मन्त्री को दिया था जिसके आधार पर यह जांच करायी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, फाइल में तो इस प्रकार की कोई शिकायत है नहीं और न कोई मेरी जानकारी में ही है।

श्री बांके लाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि शिकायत कर्ता से भी पूछतांछ की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने तो कहा कि फाइल में नहीं है और न मेरी जानकारी में है।

श्री बांकेलाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके इस उत्तर का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

कौन से प्रश्न का, ४५ का या ४६ का ?

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो जवाब उन्होंने दिया है उस का आधार क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय बांके लाल जी का प्रश्न ।

श्री बांके लाल—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सूचना पर विश्वास करें कि यह प्रश्न का उत्तर गलत मिला है और सही बात यह है कि मल्लाहों ने बांध बांध दिया है जिस के कारण वहां के किसानों की जड़हन की फसल नष्ट हो गयी है और क्या वह फिर से दोबारा इस की जांच करायेंगे और उस जांच के समय पर मुझे भी सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यदि माननीय सदस्य मुझे लिखित दे दें तो मैं आदेश कर दूंगा कि श्री बांके लाल जी की उपस्थिति में ही इस की जांच की जाय ।

सिकन्दराराऊ तहसील में बरसाती पानी की निकासी

*४७—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के ग्राम इटनी से ग्राम बरवाना तक बहने वाले नाले की सफाई सन् १९६९ में नहीं की गई जिसके कारण किनारे के गांव अभयपुर, नगला आल, पोपी का नंगला तथा मंडनपुर में वर्षा का पानी लोगों के घरों तक में भर गया, सरकार इस नाले की सफाई कब तक कराने का विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ग्राम इटरनी से ग्राम बरवाने तक तीन नाले इटरनी नाला, गोपालपुर गंगापुर नाला व बरवाना नाला पड़ते हैं । तीनों नालों की कुल लम्बाई लगभग ९ मील है । उपरोक्त लम्बाई में से इटरनी नाले की कुल लम्बाई में व बरवाने नाले की ०—० से मील १—० तक पूर्ण रूप से सफाई सन् १९६९ की वर्षा से पहले कर दी गयी थी । शेष बरवाने नाले की तथा गोपालपुर गंगापुर नाले के समस्त ठेकों और बन्दों को वर्षा काल १९६९ से पूर्व पूर्ण रूप से साफ करा दिया गया था । ग्राम ओरपुर, नगला आम, नगला पोपी व मंडनपुर ग्रामों के नीची जमीन में बसे होने के कारण अधिक वर्षाकाल में पानी नशेबी रकबे में भर जाता है और नाले द्वारा पानी निकलने में कुछ समय लगता है । उर्युक्त नालों की सफाई वर्षा काल १९७० में पहले ही जहां आवश्यकता होगी करा दी जायगी ।

*४८—श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा हसायन, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के तालाब से खारजा नहर तक बहते हुये नाले में पानी खींचने की क्षमता कम होने के कारण किनारे के बसे गांव कोंडरा, हैदलपुर, बकायन तथा सोंकापुर हर वर्ष जलप्लावित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त नाले को और अधिक चौड़ा तथा गहरा करने का विचार सरकार कर रही है ? यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बकायन नाला नगला कांच की झील से आरम्भ होता है और कस्बा हसायन झील से होता हुआ इटावा स्टम्प में मील १५ फर्लांग ४ पर गिरता है । बकायन नाले की तली का स्तर मील १ फर्लांग ७ से २ मील ३ फर्लांग (बकायन की झील) व ३ मील ५ फर्लांग से ५ मील ४ फर्लांग (हसायन की झील) में जमीन के स्तर से ऊंचा है जिसके कारण अधिक

वर्षाकाल में किनारे पर बसे हुये गांव कोंडरा, हैदरपुर, बकायन आदि में नशेबी भूमि होने के कारण पानी भर जाता है। उपरोक्त नाले को चौड़ा व गहरा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस नाले का पानी खींचने की क्षमता ठीक है तथा आउट फाल के स्तर के अनुसार इस की तली को और गहरा नहीं किया जा सकता।

इलाहाबाद जिले में नलकूप

*४६—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर ब्लाक के अन्तर्गत कौन-कौन नल-कूप ऐसे हैं जो एवरेज डिस्चार्ज से भी कम पानी का डिस्चार्ज दे रहे हैं? क्या उन नलकूपों के स्थान पर पुनः दूसरा नलकूप बोर करने की कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद जनपद के प्रतापपुर ब्लाक के निम्नलिखित राजकीय नलकूपों का डिस्चार्ज, औसत डिस्चार्ज से कम है :

क्रम-संख्या	संख्या तथा समूह	नाम नलकूप	डिस्चार्ज प्रति घण्टा
१	५७ एच ..	अमोलवा ..	२४,२००
२	६१ एच ..	चकपूरे मिया ..	२४,०००
३	७० एच ..	जनुवाडीह ..	१८,०००
४	९६ एच ..	उग्रसेनपुर ..	२०,३००
५	९७ एच ..	सराय हरीराम ..	१८,०००
६	१२७ एच ..	बाबूपुर ..	२०,०००
७	१३३ एच ..	आरा खुर्द ..	२०,३००
८	१३९ एच ..	सौंरों ..	१५,१२०

उपर्युक्त नलकूपों में जल निकासी की क्षमता को बढ़ाने के लिए पुनर्निर्माण एवं अन्य औपचारिक साधनों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

*५०—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत तहसील हंडिया व फूलपुर में कुल कितने नलकूप लगे हैं और असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए अभी कितने नलकूपों की आवश्यकता है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितने नलकूपों के लगाने की व्यवस्था की गयी है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पहला भाग :

इलाहाबाद की हंडिया व फूलपुर तहसीलों में इस समय क्रमशः १६८ एवं ७० राजकीय नलकूप लगे हैं।

दूसरा भाग :

एक राजकीय नलकूप का कमान्ड क्षेत्र लगभग ३०० एकड़ रखा जाता है। यदि किसी असिंचित क्षेत्र के ६० प्रतिशत क्षेत्र को राजकीय सिंचाई साधनों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा जाय तो उस आधार पर हन्डिया व फूलपुर तहसीलों में क्रमशः ९२ तथा १५८ नलकूप और लगाये जा सकते हैं।

तीसरा भाग :

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में हन्डिया व फूलपुर तहसीलों में क्रमशः २० व १८ नलकूप लगाने का प्रस्ताव था। इन सभी नलकूपों का छिद्रण कार्य उक्त वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो चुका था।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह जो ८ नलकूपों की सूची दी गई है उनका डिसचार्ज कई साल से गिर गया है तो उसको ठीक करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कितने सालों से डिसचार्ज कम है इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह जो नं० ८ का नलकूप है इसकी रिबोरिंग हो रही है और ३ नलकूपों में कुछ कोशिश की गई थी कि उन के कालम पाइप को बढ़ाया जाय लेकिन उस में कामयाबी नहीं हो सकी और उनका भी कुछ समय बाद शायद रिबोरिंग ही करना पड़े।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बाकी ६ नलकूपों को आप कबतक ठीक करा दगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कई नलकूपों का डिसचार्ज तो २४ हजार गैलन है या इतना है जिस के ऊपर हम रिबोरिंग नहीं करते, औसत डिसचार्ज २० हजार गैलन का होता है लेकिन जब १५ या १६ हजार गैलन से भी कम हो जाता है तब रिबोरिंग की व्यवस्था होती है। यह औसत प्रदेश भर का है। जो नये नलकूप लगाते हैं उनका डिसचार्ज तो ४० हजार गैलन भी आता है, औसत २५ हजार से कम है लेकिन जहां २० हजार गेलन का औसत है वहां अगर कहीं डिसचार्ज १५ हजार गेलन से गिर जाता है तब वहां दोबारा रिबोरिंग कराया जाता है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

प्रदेश के अन्य जिलों में भी नलकूपों का डिसचार्ज कम हो गया है तो क्या मंत्री जी अन्य जिलों में भी कुओं का रिबोरिंग करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हमारे सभी जगह के लिये यह आदेश हैं कि जहां डिसचार्ज १५ हजार गलन या उस से कम हो जाय वहां रिबोरिंग कराया जाय।

श्री हबीबुर्रहमान—

अन्य जिलों में भी इस तरह की शिकायतें हैं कि ट्यूबवेल पानी कम देते हैं और किसान साल साल और दो दो साल से शिकायत कर रहे हैं लेकिन सरकार के कर्मचारी उन पर कोई तवज्जह नहीं देते और उसका नतीजा यह होता है कि किसानों की लाखों रुपये की फसल बरबाद हो जाती है तो क्या सिंचाई मंत्री जी ऐसा बन्दोबस्त करेंगे कि इस तरह की त्रुटि आइन्दा न हो और जो नलकूप खराब हैं उनकी फौरन मरम्मत हो जाया करे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर माननीय सदस्य ऐसे किसी स्थान की विशेष सूचना देंगे कि २ साल से किसान परेशान हैं और वहां नलकूप १५-१६ हजार गैलन से कम पानी देते हैं तो उस पर हम शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

* * *

बेगुल डैम की मछलियों का नीलाम

*५३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री इस बात की जांच करायेंगे कि बेगुल डैम की मछलियों का जो नीलाम दिनांक २६ सितम्बर, १९६६ को हुआ, क्या उसकी सूचना विस्तार रूप से दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनः इसका नीलाम कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जांच करने से ज्ञात हुआ है कि ठेके के लिए टेण्डर आमंत्रित किये गये थे। टेण्डर नोटिस बार-बार समाचार पत्रों में भिन्न-भिन्न तारीखों में छापे गये थे, और उसकी सूचना विस्तार रूप से दी गई थी। अतः पुनः नीलाम कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

* * *

घाघरा और सरजू के बीच गांव ऊंचे करने का सुझाव

*५७—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि घाघरा और सरजू तथा परसपुर जौलपुर के बीच गांव जो प्रति वर्ष क्षतिग्रस्त होते हैं उन ग्रामों के ऊंचा करने की योजना सरकार ने स्वीकार किया है ? यदि हां, तो कब तक काम प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग : जी नहीं।

दूसरा भाग : प्रश्न नहीं उठता।

बझेड़ा रजबहा से पानी न मिलने की शिकायत

*५८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री को पता है कि बझेड़ा रजबहों में जो कि बरेली में फरीदपुर ब्रांच से निकला है ४ महीनों से एक दिन भी टेल गौहावर तक पानी नहीं पहुंचा है इससे किसान त्रस्त हैं और फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की जिससे पानी पहुंच सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह कथन सत्य नहीं है कि ४ महीने से एक दिन भी पानी टेल गोहावर तक नहीं पहुंचा। इस समय पानी की मांग नहीं है तथा टेल पर फसल की हालत अच्छी है।

*५९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री जी को पता है कि बझेड़ा रजबहा सन् १९६२ से पहले अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर, शाहजहांपुर के चार्ज में था उसके बाद बरेली के अधिशासी अभियन्ता के चार्ज में कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट:—तारांकित प्रश्न ५० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी हां। रजबहा बझेड़ा फरीदपुर कस्बे के पास से निकलता है। चूंकि यह स्थान बरेली के निकट है इसलिए प्रशासकीय तथा कृषकों की सुविधा को देखते हुए उक्त रजबहा को शाहजहांपुर खण्ड से रोहेल खण्ड डिवीजन बरेली में मार्च, १९६४ से रखना उचित समझा गया।

* * * *

लखनऊ में गोमती के किनारे बांध बनाने की योजना

*६६--श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या शासन ने लखनऊ स्थित बाबा का पुरवा चक्रपुर की तरफ गोमती के किनारे-किनारे बांध बनाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से चालू होगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

लखनऊ शहर को गोमती नदी की बाढ़ से बचाने की योजना के अन्तर्गत निशातगन्ज पुल से गोमती नदी के बायें किनारे पर बाबा का पुरवा होते हुए भीषमपुर तक एक बान्ध बनाने का प्रस्ताव है। अभी इस योजना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और केन्द्रीय नियोजन आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही उक्त योजना की अन्तिम रूप रेखा सामने आयेगी तथा भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही यथा समय वह कार्य किया जा सकेगा।

* * * *

केराकत उपशाखा नहर पर नहर कालोनी में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*६९--श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के केराकत उपशाखा नहर पर थाना गद्दी ग्राम में जिन किसानों की जमीन पर नहर विभाग की कालोनी बनी है क्या बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी दिनांक ३० जनवरी, १९७० तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जौनपुर जिले के केराकत उपशाखा (नहर) पर थाना गद्दी ग्राम में जिन किसानों की जमीन पर नहर विभाग की कालोनी बनी है उसका मुआवजा वर्ष १९६२ में ही दिया जा चुका है। प्रश्न ही नहीं उठता।

गण्डक नहर की उपशाखा, अमडरिया के निर्माण को रोकने की प्रार्थना

*७०--श्री राम सागर--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में गण्डक नहर की उपशाखा अमडरिया के निर्माण के रुकवाने के लिये उक्त नहर क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित कर सरकार को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उक्त नहर क्षेत्र की जमीन नीची होने के कारण जल भराव से किसानों को लाभ की जगह हानि होगी तथा इस सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का हाल में सिंचाई मन्त्री को पत्र भी मिला है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, जिला देवरिया में गण्डक नहर की उपशाखा अमडरिया के निर्माण के रुकवाने के लिए उक्त नहर क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम सभाओं में से १२ ग्राम सभाओं के प्रस्ताव शासन द्वारा अभी हाल में प्राप्त हुए हैं जो कि श्री हिम्मत सिंह, सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक २९-१०-१९६९ द्वारा सिंचाई मंत्री को भेजे थे।

प्रस्तावित अमडरिया रजवहा के कमांड में कुल २८ ग्राम पड़ते हैं। प्रस्ताव की जांच की गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि गण्डक नहर के निर्माण से इस क्षेत्र में जल भराव की सम्भावना नहीं है।

इस रजवहा के एलाटमेंट पर चौड़ा (१४) ३" एवं ४" व्यास के नलकूप पड़ते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि इस क्षेत्र में सिंचाई की अत्याधिक आवश्यकता है इसलिए यह सत्य नहीं है कि नहर के निर्माण से लाभ के बजाय हानि होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का कोई भी पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

* * * *

सिराथू ब्लाक में नलकूप बढ़ाने की प्रार्थना

*८४—श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि सिराथू ब्लाक, जिला इलाहाबाद सूखा क्षेत्र है और वहां पर केवल एक ही राजकीय नलकूप है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक में और अधिक नलकूप लगाने का विचार कर रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कोई क्षेत्र सदैव सूखा क्षेत्र नहीं रहता। जिस वर्ष वर्षा नही होती या सामान्य से बहुत कम होती है उस वर्ष सूखे का प्रभाव माना जाता है। किसी वर्ष विशेष में सूखा ग्रस्त होने के अलावा कुछ क्षेत्रों को इस तरह निर्दिष्ट किया गया है कि वहां प्रायः सूखा रहता है। ऐसे इलाकों में इलाहाबाद जिले का सिराथू ब्लाक नहीं है।

उक्त ब्लाक में इस समय एक ही राजकीय नलकूप हैं तथा वहां और नलकूप लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

* * * *

खजूरी बांध का भरपुरा रजबहा

*८६—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ऊपर खजूरी बांध क भरपुरा रजबहा का निर्माण कब हुआ और क्या वह अपने लक्ष्य एकड़ की सिंचाई कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

भरपुरा रजवहा का निर्माण सन् १९६१-६२ में हुआ था।

उक्त रजवहा अपने लक्ष्य एकड़ की सिचाई नहीं कर रहा है जिसका कारण इस प्रकार है :—

भरपुरा रजवहा को अपर खजुरी जलाशय से पानी दिया जाता है। अपर खजुरी जलाशय को दो स्त्रोतों (sources) से पानी मिलता है। प्रथम तो वर्षा से और दूसरे नगवा जलाशय से। इन दोनों स्त्रोतों से इस जलाशय को केवल प्रस्तावित मात्रा का लगभग १/३ हो पानी मिल पाता है। इसके अतिरिक्त भरपुरा रजवहा कुछ दूर पहाड़ी क्षेत्र में से गुजरता है और पानी के काफी रिसने के कारण उपलब्ध पानी में भी कमी हो जाती है।

सरयू-कुआनो दोआब क्षेत्र की सिंचाई

*८७—श्री रामपति (जिला गोरखपुर) तथा श्री सन्तू (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिला के धुरियापार क्षेत्र में जिला बस्ती के हसर क्षेत्र के सरयूकुआनों दो आबा क्षेत्र की सिंचाई के लिये कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है ।

* * * *

प्रतापगढ़ जिले में मसवन तथा जलालपुर, डिहवा गांवों की असिचित भूमि

***९१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ मौजा मसवन पंचायत मसवन, ग्राम जलालपुर डिहवा में सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार तत्काल नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ग्राम मसवन में सिंचाई का कोई साधन नहीं है और ग्राम जलालपुर डिहवा का केवल ११५ एकड़ क्षेत्र इलाहाबाद ब्रान्च शारदा कैनाल के कमान्ड में है । दोनो ग्रामों के असिन्चित कृषि योग्य क्षेत्र के लिये कोई राजकीय नलकूप अभी प्रस्तावित नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सरकारी नलकूपों से पानी की दर

***१—श्री रामबचन यादव—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी ट्यूबवेल में १ रुपया के १२ हजार गैलन पानी देने के स्थान पर ८ हजार गैलन कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार पुनः १२ हजार गैलन की दर से पानी देगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग :

जी हां ।

द्वितीय भाग:

ऐसा नलकूपों से होने वाली भारी हानि में कमी करने के उद्देश्य से पिछली सरकार द्वारा किया गया था ।

तृतीय भाग :

वर्तमान सरकार ने अभी इस विषय पर विचार नहीं किया है ।

अधिकतम जोत सम्बन्धी आदेश

***२—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री कल्यान सिंह, श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्यपाल के सम्बोधन में यह घोषणा कि भूमि की अधिकतम जोत सीमा ३० एकड़ रहेगी जिसमें बागात और सरकारी फार्म भी शामिल होंगे उस घोषणा के अन्तर्गत जो सूबे भर में सरकार ने आदेश दिया है कि बटवारे और बिक्री-भूमि और बागात की नहीं हो सकती वह आदेश अब भी लागू हैं या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

जी नहीं, बटवारे अथवा बिक्री रोकने के कोई भी आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किये गये हैं ।

*३---श्री सजीवन लाल---

[५वें सोमवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३ १/८ एकड़ भूमि की लगान माफी से राजस्व में कमी

*४---श्री कल्यान सिंह तथा श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ३ १/८ एकड़ भूमि का लगान माफ करने से राजस्व में कितने रुपये वार्षिक की कमी हो जायगी और इसके परिणाम स्वरूप केन्द्र से मिलने वाले अनुपातिक आर्थिक अनुदान की राशि में कितने रुपये की कमी आयेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

राज्य में ३ १/८ एकड़ तक की जोतों को मालगुजारी की अदायगी के दायित्व से मुक्त किया जाने पर राजस्व में लगभग सवा पांच करोड़ रुपया वार्षिक की कमी आ जावेगी । केन्द्र से मिलने वाले आर्थिक अनुदान की राशि में इसके कारण निकट भविष्य में कोई कमी होने की सम्भावना नहीं है ।

*५---श्री कल्यान सिंह तथा श्री मलिखान सिंह---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त कमी को किस प्रकार पूरा किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इसके सम्बन्ध में शासन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

गोरापड़ाव ट्यूबवेल पेयजल योजना

*६---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में गोरापड़ाव ट्यूबवेल से जो पेयजल योजना की पाइपें एल० एस० जी० ई० डी० के कर्मचारी डलवा रहे हैं क्या यह योजना स्वीकृत प्लान के अनुसार नहीं बन रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)---

गोरापड़ाव ट्यूबवेल पेयजल योजना जो धौराखेड़ा ग्राम समूह योजना के नाम से मंजूर हुयी है वह स्वीकृत प्लान के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है । जो पाइप लाइनें इस योजना के अन्तर्गत डाली जा रही हैं वे स्वीकृत प्लान के अनुसार ही डाली जा रही हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

रुद्रपुर नगरपालिका में नजूल के प्लाटों का अनियमित पट्टा

*१---श्री इन्द्रलाल---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगरपालिका, रुद्रपुर, जिला नैनीताल के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष-कम-सेक्रेटरी ने पिछली तारीखों पर २५ प्लाटों

का नीलाम दिखा कर माह जून, १९६९ में रजिस्टरियां कराई हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इससे नगरपालिका को कितना नुक्सान उठाना पड़ा है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

नगरपालिका रुद्रपुर में १६ नजूल प्लाटों को श्री जगदीश नारायण सक्सेना ने ६-८-६८ से ८-१२-६८ की अवधि में जब उन्होंने नोटीफाइड एरिया कमेटी, रुद्रपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर कार्य किया अनियमित तौर पर पट्टा स्वीकृत कराया। इस अनियमित कार्यवाही से लगभग पांच लाख रुपये का हानि की अनुमान है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जा रही है ।

देहरादून की सोंग नदी के पुल पर लाश गाड़ियों पर टैक्स

*२---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून में सोंग नदी के पुल पर मृतकों को ले जाने पर भी टैक्स है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तुरन्त बन्द करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)---

देहरादून में सोंग नदी के पुल पर मृतकों को कंधों पर ले जाने में कोई पथकर नहीं लिया जाता है। किन्तु मृतकों को ले जानेवाली मोटर बसों इत्यादि पर पथ कर लिया जाता है। ऐसी मोटर बसों इत्यादि को पथ कर से मुक्त करना सम्भव नहीं है ।

फूलपुर-होलागढ़ सड़क का निर्माण

*३---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद की फूलपुर-होलागढ़ सड़क का निर्माण-कार्य, जो लगभग चार वर्ष से प्रारम्भ है कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---

प्रश्नगत मार्ग के फूलपुर से सोरांव तक के भाग के निर्माण कार्य की जून, १९७० तक पूरी हो जाने की आशा है। शेष भाग अर्थात सोरांव-होलागढ़ लिंक मार्ग के निर्माण कार्य की दिसम्बर, १९७१ तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

हौदनाथ-कुण्डा सड़क पर पुल की आवश्यकता

*४---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सरकार को पता है कि जिला प्रतापगढ़ में हौदनाथ व कुंडा को मिलाने वाली सड़क के बीच में नदी के ऊपर पुल न होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के डूब जाने की कई वार-दातें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को बनाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मसिंह---

हौदनाथ से कुन्डा जाने वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। प्रश्नगत पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है। पिछले पांच वर्षों में पुल के अभाव में स्कूल के बच्चों के डूब जाने की कोई रिपोर्ट पुलिस के कागजों में दर्ज नहीं है।

बस्ती जिले में सड़कों में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*५—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परसा से परशुरामपुर सड़क तथा कलवारी से छावनी सड़क, जिला बस्ती में बन रही है ? उसमें कितनी जमीन किसानों की सड़क के अन्दर ली गई, कितने किसानों को मुआवजा दिया गया, कितना बाकी है ? बाकी होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां, परसा से परशुरामपुर सड़क के लिये ८२.८६ एकड़ स्थायी रूप से तथा १६०.९० एकड़ अस्थायी रूप से भूमि ली गई है। ली गई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। मुआवजे के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

छावनी कलवारी सड़क के लिये स्थायी एवं अस्थायी भूमि की अध्याप्ति नहीं की गई है। २४.२४ एकड़ स्थायी एवं ८१.९५ एकड़ अस्थायी भूमि की अध्याप्ति की जाने वाली है। भूमि का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है।

*६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

परसा में परशुरामपुर तथा कलवारी से छावनी सड़क बन कर तैयार होने का सरकार का लक्ष्य किस समय तक था ? यदि निश्चित् लक्ष्य से बिलम्ब हुआ तो क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह—

परसा से परशुरामपुर तथा कलवारी से छावनी तक सड़क बनकर तैयार होने का लक्ष्य क्रमशः दिसम्बर, १९६६ व दिसम्बर, १९७० रखा गया था। कलवारी से छावनी तक सड़क का निर्माण निर्धारित लक्ष्य तक समाप्त होने की आशा है। परसा से परशुरामपुर तक मार्ग निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत पूर्ण न हो सका। इसका कारण ईंटों तथा ईंटों को गिट्टी की कमी, रोलर की कमी आदि है।

नौतनवा टाउन एरिया में हक जमींदारी की वसूली

*७—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि नगर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू कर दिये जाने के बावजूद गोरखपुर जनपद की टाउन एरिया नौतनवा की सीमा के अन्तर्गत व्यवसायियों अथवा किसानों के द्वारा बिक्री के लिये लाये जाने वाले सामानों पर भूतपूर्व जमींदारों के द्वारा जमींदारी-कर वसूल किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। टाउन एरिया नौतनवां के क्षेत्र में स्थित पड़ाव भूमि पर एक बाजार लगती है जिसमें जमींदार हक जमींदारी वसूल करते हैं। इस सम्बन्ध में सिविल कोर्ट से उन्होंने अपने पक्ष में निर्णय भी ले लिया है। टाउन एरिया कमेटी ने सिविल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की है। उक्त मामला अभी हाई कोर्ट के विचाराधीन है।

*८—श्री रामलगन दुबे—

क्या मंत्री जी इस वसूली से किसानों तथा व्यवसायियों को संरक्षण दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उच्च न्यायालय के निर्णय हो जाने के बाद ही आगे कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उठेगा ।

[६ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, प्रतापगढ़ के विचाराधीन अपीलें

*१---श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या माल मन्त्री जी बतायेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, प्रतापगढ़ के न्यायालय में कितनी अपीलें विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, प्रतापगढ़ के न्यायालय में ३१ मार्च, १९७० को ३७३३ अपीलें अवशेष थीं ।

*२---श्री जयराम यादव---

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी तथा कुंडा में कानून चकबन्दी को लागू करने की घोषणा कब तक की जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जिला प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में चकबन्दी क्रियाओं के प्रसार की घोषणा कर दी गयी है तथा तहसील कुन्डा को, पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार, चकबन्दी क्रियाओं के अधीन शीघ्र लाया जायेगा ।

नायब तहसीलदारों की सूची में हरिजन

*३---श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि ३३२ नायब तहसीलदारों की सूची बोर्ड आफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश ने तैयार की हैं, जिन्हें भविष्य में तहसीलदार बनाया जायगा ? यदि हां, तो उसमें हरिजनों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

अलीगढ़ नगरपालिका के हटाये गये कर्मचारी

*४---श्री जगदीश गांधी तथा श्री हिम्मत सिंह---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अपने पत्र संख्या १९८२-(११)/१-ए-२६(१)-६२ दिनांक २ जुलाई, १९६३ में स्वीकार किया है कि अलीगढ़ नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों की सेवायें सन् १९५४ में अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं जिन्हें जुलाई, १९६३ में पुनः नियुक्त किया गया, यदि हां तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों को अपने पदों पर बहाल न करके उन्हें नये रूप से नियुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

जी नहीं । केवल एक अस्थायी कर्मचारी श्रीमती श्रृंगार देवी की सेवाएं नगरपालिका ने इनकी सेवा-शर्तों के अनुसार नोटिस देकर समाप्त की थीं । यह कहना गलत है कि कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था । श्रीमती श्रृंगार देवी को भी अवैध रूप से नहीं निकाला गया था । इस बारे में श्रीमती श्रृंगार देवी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी परन्तु कोई सफलता नहीं मिली ।

परीक्षितगढ़ विकास खंड में बंजर जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*५---श्री मन्जूर अहमद---

क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले की तहसील मवाना के अन्तर्गत विकास खंड परीक्षितगढ़ में काबिल काश्तकार बंजर आराजी का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

६११३ एकड़ ।

*६---श्री मन्जूर अहमद---

क्या माल मन्त्री यह भी बातयेंगे कि उपर्युक्त आराजी में से कितनी पर अनधिकृत कब्जा है तथा उसके हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

१७७३ एकड़ क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा है जिसे हटाने के लिये आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

बलिया जिले में पेयजल व्यवस्था

*७---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि बलिया शहर की आबादी सन् १९५२ जलपूर्ति हेतु जलकल लगने को समय से अधिक हो गई है और उक्त जलकल के पम्प पुराने हो गये हैं इससे बलिया नगरवासियों को पेय जल आवश्यकतानुसार सुलभ नहीं हो रहा है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

जी हां । किन्तु जलकल व्यवस्था सन् १९५२ में नहीं वरन् १९५७ में चालू की गई थी ।

*८---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बलिया नगरवासियों के पेय जल की समुचित व्यवस्था करने के लिये सरकार के सामने कोई योजना है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

३.९५ लाख रु० समस्या की एक योजना (प्रोजेक्ट) तैयार की गई है । किन्तु उसकी आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है । पुरानी योजना का पुनर्गठन कराने के बारे में भी नगरपालिका बलिया को स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है ।

पूर्वी जिलों में बाढ़ से क्षति

*९--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में गत वर्षाकाल में बाढ़ से कितनी एकड़ भूमि की फसलें बरबाद हुई हैं तथा कितनी जाने गई हैं और कितने मकान गिरे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उत्तर प्रदेश के १६ पूर्वी जिलों में गत वर्षा काल में १८,७६,३६१ एकड़ फसल बाढ़ से क्षति-ग्रस्त हुई। ३८ मनुष्यों और १,८२९ पशुओं की जानें गई तथा ६६,५०५ मकानों को नुकसान पहुंचा। जिलों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३७ पर)

*१०---श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

देहरादून में नेहरू नगर कालोनी बसाने के लिये भूमि

*११---श्री इन्द्रलाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एरिया की सीमा के अन्दर नेहरू नगर कालोनी बसाने के लिये भूमि अधिग्रहण सन् १९६७ की जो कार्यवाही चल रही थी वह कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री अतीकुर्रहमान--

देहरादून इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एरिया में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम १९६५, ७ दिसम्बर, १९६७ से लागू किये जाने के फलस्वरूप नेहरू नगर कालोनी बसाने के लिये भूमि अध्याप्ति कार्यवाही उक्त तिथि से भूतपूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बजाय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा की जा रही है, परन्तु दीवानी न्यायालय से प्राप्त रोधनादेशों के अनुपालन में भूमि अध्याप्ति कार्यवाही रोक दी गई है।

*१२---श्री इन्द्रलाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त अधिग्रहित भूमि के वितरण की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

रोधनादेशों के निरस्त होने पर जब भूमि पर कब्जा मिल जायगा और विकास कार्य हो जायगा, तब नियमों के अनुसार विकसित प्लाटों का वितरण किया जायगा।

बुलहवा गांव, तहसील हाटा में बड़ी गन्डक से प्रभावित लोगों को सहायता

*१३---श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया तहसील हाटा के ग्राम बुलहवा के कितने घर इस वर्ष बड़ी गण्डक के कटाव से प्रभावित हुये हैं तथा उसकी आबादी कितनी है तथा दिनांक ३० सितम्बर, १९६९ तक उक्त गांव के निवासियों को कहां बसाया गया तथा कितनी सहायता किस मद में कितनी-कितनी दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

२०३ घर प्रभावित हुए । इनकी जनसंख्या १,०१० है । प्रभावित परिवारों को रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ कटान के खतरे से बाहर बसाया गया है । सरकार द्वारा ३,७०० रु० नकद, १५ कुन्तल ८० किलों गेंहूं तथा ८१ आदमियों को कपड़ा मुफ्त बांटा जा चुका है ।

*१४—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अध्यक्ष तथा सदस्य नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा अनियमित भत्ता लेने की जांच

*१५—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका प्रतापगढ़ के अध्यक्ष तथा सदस्य के खिलाफ अनियमित भत्ता चार्ज करने के आरोप में जिलाधीश प्रतापगढ़ द्वारा कोई जांच वर्ष १९६९ में कराई गई ? यदि हां, तो आरोप क्या थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां । अनियमित भत्ते चार्ज करने का आरोप था । जांच से साबित नहीं हुआ ।

आवास न पाने वाले विधायक

*१६—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ अक्तूबर, १९६९ तक कौन-कौन बिधायक ऐसे है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निवास स्थान का आवंटन नहीं दिया जा सका है ।

श्री धर्म सिंह—

विधायकों की नामावली मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३८–२३९ पर) ।

*१७—श्री नौनिहालसिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त] ।

नगरपालिका, इलाहाबाद द्वारा दुर्गा पूजा समितियों से पार्क शुल्क लेना

*१८—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर के प्रशासक सार्वजनिक पार्कों का उपयोग करने के लिये कोई टैक्स लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पार्कों का प्रयोग करने के लिये पिछले पांच वर्षों से दुर्गापूजा समिति से यह टैक्स किस दर से प्रति वर्ष लिया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा पार्कों के उपयोग के लिये २५ रु० प्रतिदिन शुल्क लिया जाता है । १–२–६९ से पहले यह दर १५ रु० थी । पिछले पांच वर्षों में केवल वर्ष १९६९–७० में दुर्गा पूजा समितियों से केवल एक दिन का शुल्क उपर्युक्त दर से लिया गया था ।

*१९---श्री राम गोपाल संड---

क्या सरकार सांस्कृतिक कार्यों के उपयोग हेतु पार्कों से टैक्स हटाने की कोई योजना पर विचार कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

जी नहीं ।

सिंचाई विभाग में कर्मचारियों के विभागीय जांच के मामले

*२०---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३१ अगस्त, १९६७ तक उनके विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के विभागीय जांच के कितने मामले और अलग-अलग कब से विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

प्रश्नगत अवधि को ३१ कर्मचारियों के विभागीय जांच के मामले विचाराधीन थे। इनकी विधाराधीन होने की अवधि संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३ २४०-२४१ पर)

*२१---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि विभागीय जांच के सिलसिले में निलम्बन और जांच पूरी करने की अवधि के सम्बन्ध में शासकीय एवं विभागीय आदेश क्या है और क्या उन आदेशों का उल्लंघन कर जांच में असाधारण विलम्ब करने के दोषी किसी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

शासकीय एवं विभागीय आदेशों के अनुसार विभागीय जांच को साधारण तया ६ माह की अवधि में पूरा कर लेना चाहिये । लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यवाही में देरी हो जाती है । बिचाराधीन मामलों में किसी देरी के लिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस दृष्टिकोण से यह मामले, अभी तक जांचे नहीं गये हैं। इनकी जांच कर के असाधारण विलम्ब के लिये उत्तर दायित्व निर्धारित कर के कार्यवाही की जायगी।

बदायूं जिले के राजकीय नलकूप

*२२---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिला बदायूं में कितने स्टेट ट्यूबवेल लगवाने की योजना है तथा चालू वर्ष में कितने ट्यूबवेल जिले में लगाये जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

नये राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्य क्रम अब उपलब्ध सन्साधनों के अनुसार वर्ष प्रतिवर्ष बनता है, अतः चौथी योजना काल में बदायूं जिले में कितने नलकूप लगेंगे, यह बता सकना इस समय सम्भव नहीं है चालू वित्तीय वर्ष (१९६९-७०) में बदायूं जिले को १५ नलकूप दिये गये हैं ।

फूलपुर तहसील में कथित लिफ्ट सिंचाई नहरें

*२३—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि फूलपुर तहसील जनपद इलाहाबाद के ग्राम बदरा, सोनोटी सेरडीह घूरुवा में लिफ्ट सिचाई योजना आरम्भ की गई है ? यदि हां, तो उसमें सरकार का कितना धन खर्च हुआ और उस योजना के असफल होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन गांवों की सिंचाई के लिये नलकूप द्वारा सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्नगत गांवों में कोई लिफ्ट सिंचाई नहरें नहीं बनाई गई है और न कोई ऐसी नहरें प्रस्तावित हैं। १९६७-६८ में सूखे की स्थिति में आपातकालीन योजना के अन्तर्गत केवल बदरा तथा सोनोटी ग्रामों में डीजल पम्पिंग सेटों से गंगा नदी से पानी उठा कर अस्थाई रूप से उसी वर्ष के लिये सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। इस सम्बन्ध में केवल इन्हीं गांवों पर हुआ व्यय अलग से उपलब्ध नहीं है लेकिन इलाहाबाद लिफ्ट खण्ड ने २,३१,२८१.३५ रु० व्यय किया था जिसमें बदरा और सोनेटी में हुआ व्यय सम्मिलित है। सिंचाई केवल उस वर्ष सूखा सहायता कार्यक्रम में की गई थी और योजना के असफल होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्रामों का अधिकांश भाग असमतल एवं कछारी होने के कारण राजकीय नलकूप लगाने के लिए अनुपयुक्त है।

गोरखपुर जिले की शिक्षा संस्थाओं में नलकूप लगाने की जानकारी

*२४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के निजी भूमि में सरकारी ट्यूबवेल या पम्पिग सेट लगाने की योजना है ? यदि हां, तो जनपद गोरखपुर के कितने विद्यालय इस योजना से लाभान्वित हुये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सिंचाई विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

*२५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र झंगहा के अन्तर्गत स्थित विद्यालय स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशुनपुरी, इण्टर कालेज बरही सोनवरसा, हाई स्कूल अमहिया आदि भी सरकार की ओर से ट्यूबवेल या पम्पिग सेट लगाने वाली योजना में हैं ? यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

मनवर नदी पर बांध बनाने की प्रार्थना

*२६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम सत्र १९६७ के २रे मंगलवार के प्रश्न संख्या १५-१६ के सन्दर्भ में क्या सरकार ने सर्वेक्षण के उपरान्त मनवर नदी पर बांध बनाने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो अब तक बांध न बनाने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम सत्र १९६७ के दूसरे मंगलवार के प्रश्न संख्या १५, १६ के सन्दर्भ में सरकार ने सर्वेक्षण के उपरान्त ४१, ७७८ रु० का एक प्राक्कलन तैयार कराया है। मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा यह प्राक्कलन राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् के स्वीकृतार्थ शीघ्र ही प्रेषित किया जायेगा।

*२७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार उक्त ग्राम की फसल की क्षति को देखते हुये तथा हजारों एकड़ बेकार हो गई भूमि खेती योग्य हो सके उस हेतु मनवर नदी पर जहां ताल बना है बांध बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् ही उक्त बांध पर कार्य किया जाय सकेगा। निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि अभी सूचित किया जाना सम्भव नहीं है।

महादेवा क्षेत्र, जिला गोंडा में नलकूप

*२८—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा १६८ नं० निर्वाचन क्षेत्र महादेवा जनपद गोंडा में चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने राजकीय नलकूप सरकार बनाने जा रही है, और किन स्थानों में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनाया जाता है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि उक्त क्षेत्र में चतुर्थ योजना काल में कितने नलकूप लगाये जायेंगे।

*२९—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय नलकूप बनाने के लिये विभाग में कितने प्रार्थना-पत्र १ मई, १९६९ से १० जनबरी, १९७० तक सिंचाई के आये हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

कथित क्षेत्र के ग्राम खौखिया में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में विधायक महोदय ने उक्त ग्राम के अदालती सरपन्च श्री राम लखन सिंह का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८-८-६९ तत्कालीन उप-मुख्य मंत्री जी को प्रेषित किया था। क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने पर वहां नलकूप की सम्भावना पाई गई। अतः ग्राम खौखिया में नलकूप लगाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकारियों के दक्षता-रोक संबंधी मामले

*३०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग के अन्तर्गत कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनके दक्षता-रोक का पारण १९६६ में उसके पूर्व ही ड्यू हो चुका है किन्तु उनको दक्षता-रोक पार करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है ? इस बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह—

ऐसे १७ अधिकारी हैं । इनके मामलों में विलम्ब निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से हुआ है :

१—अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच का होना ।

२—दक्षता-रोक पार करने की सही तिथि का पुष्टीकरण प्राप्त न होना अथवा विलम्ब से प्राप्त होना ।

३—अधिकारियों द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध किये गये प्रत्यावेदनों का विचाराधीन होना ।

४—अधिकारियों द्वारा विभागीय परीक्षा समय से न पास करना ।

५—अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होना ।

६—अधिकारी को निर्धारित तिथि पर विचारोपरान्त दक्षता-रोक पर रोके जाने के आदेश होना ।

***३१—श्री रामचन्द्र विकल—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि दक्षता-रोक के सभी केसों में अविलम्ब निर्णय लिया जाय ?

श्री धर्म सिंह—

इन मामलों में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता के बारे में शासन सजग है और यथा संभव हर मामले में शीघ्रता करने की कोशिश की जाती है ।

***३२-३३—श्री राम स्वरूप वर्मा—**

[प्रश्नकर्ता के निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण निरस्त]

बदायूं तथा उझयानी नगरपालिकाओं में सदस्यों के रिक्त स्थान

***३४—श्री कृष्ण स्वरूप—**

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं नगरपालिका एवं उझयानी नगरपालिका में सदस्यों के रिक्त स्थानों के चुनाव कब तक सम्पन्न होंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा १३ (आई) के अन्तर्गत इन रिक्तियों को न भरने का निर्णय लिया है ।

उत्तर प्रदेश रोड फण्ड से सिकन्दराराऊ नगरपालिका को धन न मिलना

***३५—श्री जगदीश गांधी—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 'उत्तर प्रदेश रोड फंड' से नगरपालिका सिकन्दरा-राऊ जिला अलीगढ़ को सन् १९६७-६८ व १९६८-६९ में कितनी धनराशि दी गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कुछ नहीं ।

सीतापुर जिले में लगान वसूली

*३६—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश द्वारा सवा छः एकड़ तक की जोत के काश्तकारों का जुलाई, सन् १९६९ अर्थात् रबी फसल से लगान माफ किये जाने के बावजूद भी क्या जिला सीतापुर के राजस्व अधिकारी पूरे साल का अभी भी लगान वसूल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित अध्यादेश में सवा छः एकड़ तक की जोतों का भू-राजस्व रबी १३७७ फसली से माफ किया गया था जिसकी वसूली अप्रैल, १९७० से प्रारम्भ हुई है। परन्तु इसके पूर्व कुछ खातेदारों ने अपनी इच्छा से रबी १३७७ फसली के भू-राजस्व का भी भुगतान किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया।

*३७—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनकी भूमि सवा छः एकड़ या इससे कम लगान माफी के बावजूद भी पूरे साल की मालगुजारी वसूल कर ली गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अब अध्यादेश व्यपगत हो गया है और इस समय पूरी वसूली की जा रही है। अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

*३८-३९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित]

काफूरपुर, जिला जौनपुर के काश्तकारों का सिंचाई के गलत परताल संबंधी आवेदन पत्र

*४०—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत ग्राम काफूरपुर परगना हवेली के काश्तकारान ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, सुल्तानपुर के पास नहर द्वारा सिंचाई के गलत परताल के विरुद्ध दिनांक २४ नवम्बर, १९६९ ई० को आवेदन-पत्र जांच के लिए दिया था? यदि हां, तो उस पर ३० जनवरी, १९७० तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जौनपुर जनपद के ग्राम काफूरपुर परगना हवेली के काश्तकारान ने सिंचाई के गलत परताल के लिए आवेदन पत्र २४-११-६९ को दिया था, मगर प्रश्न में उल्लिखित अधिशासी अभियंता को नहीं, बल्कि सहायक अभियंता को। इस आवेदन पत्र पर ३०-१-७० तक कोई कार्यवाही नहीं की गई बाद में जिलेदार मुत्तालिका ने २३-४-७० को ग्राम में जांच की तो पड़ताल सही पाई गई।

प्रतापगढ़ जिले में नशीरपुर एवं शिवगढ़ माइनर नहरों से सिंचाई

*४१—श्री रामदेव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत मड़ियाहूं जनशाखा की नशीरपुर एवं शिवगढ़ माइनरों की सफाई १९६७ ई० से ३१ जनवरी, १९७० तक

नहीं कराई जा सकी और पर्याप्त सरकारी धनराशि इस हेतु निकाली गई ? यदि हां, तो क्यों और कितनी धनराशि उस अवधि के अन्तर्गत कब-कब निकाली गई ? सफाई का ठेका किन-किन ठेकेदारों को दिया गया और वे क्यों नहीं सफाई करा सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इन माइनरों की सफाई उक्त अवधि में आश्यकतानुसार कराई गई थी इस हेतु जो धन-राशि निकाली गई तथा जिन ठेकेदारों ने काम किया उनका विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४२-२४३ पर)

*४२---श्री रामदेव---

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शिवगढ़ एवं नशीरपुर रजबहा में १९६७ ई० से ३१ जनवरी, १९७० तक कितनी बार पानी दिया गया और पानी किस मील से किस मील तक पहुंचाया गया ? क्या आधी माइनरों तक भी पानी नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो क्या पानी न पहुंचने के उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी और भविष्य में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इन माइनरों में कितनी बार पानी उक्त अवधि में चलाया गया उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है । यह सही है कि पानी आधी माइनरों तक भी नहीं पहुंचा जिसका कारण यह है कि जिस जगह से नशीरपुर रजबहा निकलता है उसके नीचे कोई रेगु-लेटर नहीं है अतः दोनों नहरें पूर्ण क्षमता में नहीं चल पातीं। धन उपलब्ध होते ही रेगुलेटर लगा दिया जायगा तब पानी की कमी न रहेगी । चूंकि इस मामले में कर्मचारियों का दोष नहीं है अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४२-२४३ पर)

गांधी नगर कालोनी, गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के क्वार्टर

*४३---श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद स्थित गांधी नगर में इम्प्रूवमेंट ने लघु एवं मध्य श्रेणी के गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत क्वार्टर बनाये थे जिनको सरकार के पत्र संख्या ५८७६-एच/XXXVII-20 (Migh)-६३, दिनांक २० मार्च, १९६४ के अधीन ५० प्रतिशत क्वार्टरों को हायर पर्चेज पर देने की व्यवस्था थी ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत किस वर्ग के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये ?

श्री अतीकुर्रहमान---

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने गांधी नगर कालोनी में अल्प आय वर्ग के लिए ६४ व मध्यम आय वर्ग के लिए १८ मकान गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये, जिनमें से कोई भवन हायर पर्चेज पर नहीं दिया गया । इन मकानों के संबंध में प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था लागू नहीं थी ।

*४४---श्री धर्मवत्त---

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*४५---श्री कल्यान सिंह---

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित]

अवशान्त नगरपालिकायें

*४६--श्री कल्यान सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी नगर-पालिका सुपरसीडेड हैं और उनके प्रशासक तथा प्रभारी अधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४४ पर)

उत्तर प्रदेश निर्माण कार्यों के विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र

*४७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्माण कार्यों के विनियमन अधिनियम, १९५८ के अधीन कितने पुनरीक्षण ३१ जनवरी, १९७० तक राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान--

३१ जनवरी, १९७० तक प्राप्त ५२ पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र शासन के समक्ष विचाराधीन हैं ।

*४८--श्री देवकीनन्दन विभव--

क्या सरकार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पुनरीक्षण और अपील के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के सामने नहीं है ।

परगनाधिकारी सलोन के विचाराधीन दाखिल खारिज के मुकदमें

*४९--श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत सलोन के परगनाधीश व तहसीलदार के न्यायालयों में दाखिल खारिज के कितने मुकदमें ३१ जनवरी, १९७० तक अनिर्णीत पड़े हैं ? सरकार उन मुकदमों के शीघ्र निर्णय हेतु क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिला रायबरेली में सलोन के परगनाधिकारी के न्यायालय में ३१-१-७० तक दाखिल खारिज के ४४ मुकदमें तथा तहसीलदार के न्यायालय में १७ मुकदमें अनिर्णीत पड़े थे ।

दाखिल खारिज के मुकदमों का शीघ्र फैसला करने के लिये राजस्व परिषद् तथा जिलाधिकारियों को १८ जून, १९६९ को विस्तृत आदेश भेजे जा चुके हैं ।

गोंडा जिले में सेवा निवृत्त चकबन्दी लेखपाल

*५०--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कितने चकबन्दी लेखपालों को जनवरी सन् १९६९ से जनवरी, सन् १९७० तक सेवानिवृत्त किया गया ? सेवानिवृत किये गये लेखपालों में से कितने लेखपाल ऐसे हैं जिन्हें बिना कारण बताये निकाल दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गोंडा जिले में प्रश्नगत अवधि में कुल ३३ चकबन्दी लेखपाल सेवा निवृत किये गये जिनमें से ६ लेखपालों को सेवा शर्तों के मुताबिक बिना कारण बताये सेवा निवृत किया गया ।

मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में सड़कों का निर्माण

*५१--श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में मुबारकपुर से मुहम्मदाबाद गोहना, करहा से जहानगंज बाजार, सठियांव से जहानगंज बाजार और सठियांव से करहो बाजार तक पक्की सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री धर्मसिंह--

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में पानी निकासी

*५२--श्री भाभी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत खुशामदपुर बरडीहा, सुरहटपुर टेडवा आदि गांवों की हजारों एकड़ फसल पानी का बहाव रुक जाने के कारण डूब गई है और जिसकी सूचना गांव के लोगों ने जिलाधीश को जुलाई-अगस्त, १९६९ में दी है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां ।

सूचना मिलने पर परगनाधीश तथा तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सड़क कटवा कर पानी निकलवा दिया ।

एटा जिले में पटियाली माइनर नहर निकालने की योजना

*५३--श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटियाली क्षेत्र ३४८ जिला एटा के अन्तर्गत पंचपोखरा माइनर को आगे गांव भुजपुरा तक ले जाने तथा गंजडुडवारा माइनर से नगला काजी से नई माइनर निकाल कर पटियाली होकर गांव बीनपुर कुतुबपुर सराय तक ले जाने के लिये क्या भूमि चकबन्दी विभाग ने छोड़ रखी है? यदि हां, तो कब तक सरकार माइनर निकलवा देगी तथा इस काम में ३१ जनवरी सन् ७० तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पंचपोखरा माइनर को आगे ग्राम भुजपुरा में अथवा गंजडुडवारा माइनर से नगलाकाजी आदि ग्रामों में नई माइनर निकालने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एक नई माइनर पटियाली माइनर के नाम से भुढा राजबहे को बाई पटरी से नगलाकाजी के पास से निकालने का प्रस्ताव अवश्य है । यह माइनर बहादुर नगर, अलीपुर दादर, पटियाली तथा बीनपुर के ग्रामों के क्षेत्रों में होती हुई जायेगी । इस माइनर के लिए केवल पटियाली ग्राम में २ मील ४ फरलांग की लम्बाई में चकबन्दी में भूमि छोड़ दी गई है जो अभी संबंधित कृषकों के नाम है ।

इस माइनर को रामगंगा योजना सम्पूर्ण होने के बाद ही पानी मिल सकेगा जिसकी आशा वर्ष १९७४ से पहले नहीं है। तब तक यह माइनर बना दी जायगी । ३१ जनवरी, १९७० तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ लेकिन माइनर का सर्वेक्षण, लौंग सेक्शन आदि तैयार करा लिया गया है ।

डलमऊ गंगा लिफ्ट परियोजना से प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई

*५४---श्री शिवप्रसाद पांडिया---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि डलमऊ गंगा लिफ्ट प्रयोजना का पानी किन ब्लाकों से होकर प्रतापगढ़ जिले की ओर बढेगा व इसके लिए अलग से नहर खोदी जायगी या बनबसा बांध से आने वाली पुरानी नहरी मार्ग से ही होकर जायगी ?

श्री धीरेन्द्र वर्मा---

डलमऊ गंगा लिफ्ट परियोजना का पानी प्रतापगढ़ शाखा में, जो बनबसा से निकाली नहर की शाखा है, डाला जायेगा वह रायबरेली जिले के डलमऊ, जगतपुर, ऊंचाहार, सलोन, सतऊं, तथा प्रतापगढ़ जिले के बाबागंज, कालाकांकर व बिहार नामक ब्लाकों से होकर प्रतापगढ़ की ओर बढ़ेगा । उसके लिए अलग से कोई नहर नहीं खोदी जायेगी बल्कि बनबसा बांध से आने वाली पुरानी नहरों से होकर ही पानी जायेगा ।

*५५-५६---श्री मोहनलाल कपूर, श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री राधाकृष्ण गोस्वामी, श्री नरोत्तम सिंह, श्री त्रिवेणी सहाय, कुंवर तेजभान सिंह, श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री इन्द्र- लाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किये गये ।]

*५७---श्री सुखपाल पांडेय---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, लखनऊ को प्राप्त धनराशि

*५८---श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र लखनऊ को नक्शों की फीस कम्पाउंडिंग फीस, नकलों की फीस से जो धनराशि गत ३ वर्षों में प्राप्त हुई वह कितनी है और क्या वह सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान---

इन मदों में प्राप्त आय इस प्रकार है:---

प्राप्त आय		१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०
		रु०	रु०	रु०
नक्शे की फीस	..	२५,७०५.००	२९,२९०.००	२८,९३०.००
कम्पाउंडिंग की फीस	..	९,७०५.३८	७,०७०.५७	९,५०५.५८
नकल की फीस	..	१७६.५०	२०७.२५	३९२.५०
योग	..	३५,५८६.८८	३६,५६७.८२	३८,८२८.०८

यह धन महापालिका कोष में जमा कर दिया गया था । इस धन को शासकीय कोष में जमा करने के लिए नगर महापालिका को लिखा गया था किन्तु महापालिका ने ऐसा नहीं किया है। अब यह निश्चित किया गया है कि महापालिका क्षेत्रों में नियत प्राधिकारी को प्राप्त होने वाली आय महापालिकाओं को ही दे दी जाय ।

बस्ती जिले में हरैया ग्रुप के नलकूपों पर गूलों का निर्माण

*५६—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के अन्तर्गत हरैया ग्रुप के नलकूप नं० ४२ तथा ४४ के गूलों के बनाने का काम १९६९ में अब आरम्भ किया गया था ? यह कितने रुपये की लागत का कार्य था और उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नलकूप संख्या ४२ हरैया ग्रुप पर गूल निर्माण का कार्य दिनांक १३-३-६९ से आरम्भ किया गया था । यह कार्य लगभग ३०,०००.०० रु० की (अनुमानित) लागत का है । इस कार्य के जुलाई १९७० तक पूर्ण होने की संभावना है। नलकूप संख्या ४४ हरैया ग्रुप पर गूल निर्माण का कार्य दिनांक ११-३-६९ से प्रारम्भ हुआ था । इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग २५,०००.०० रुपये है। इस नलकूप पर गूल निर्माण का कार्य सितम्बर, १९६९ को पूर्ण हो चुका है। केवल एक पुलिया का निर्माण शेष है जो मई १९७० तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

प्रतापगढ़ जिले में सड़कें पक्की करने का कार्य

*६०—श्री गया प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुंडा से मोहनगंज व बिहार से नरई होते हुए सलोन जिला रायबरेली और झींगुर से अझारा लालगंज तथा अन्तामऊ से पक्की सड़क से होते हुए ग्राम बजहा भीट, जिला प्रतापगढ़ की उपरोक्त पी० डब्लू० डी० की कच्ची सड़कों को सरकार वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में पक्की करने जा रही है ? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

प्रश्नगत कच्ची सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की नहीं है । इनमें से प्रतापगढ़ जैवारा मार्ग के १५ किलोमीटर का पुनः निर्माण व मानिकपुर लाला का बाजार के ३.५ किलोमीटर का निर्माण शासन के विचाराधीन है।

मानिकपुर परगना, जिला प्रतापगढ़ में असिंचित भूमि

*६१—श्री गया प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बजहाभीट व जोतदम्मन तथा ग्राम अतौलिया, परगना मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ में सिंचित व असिंचित क्षेत्रफल कितना है और कितने राजकीय नलकूप लगे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ग्राम बजहाभीट, जोतदम्मन और अतौलिया का औसत सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः १६, ३ तथा ० एकड़ है तथा इन ग्रामों का असिंचित क्षेत्रफल क्रमशः २८४, ५०० और २१० एकड़ है। इन गांवों में राजकीय नलकूप नहीं लगे हैं।

आयुक्त, वाराणसी मण्डल के विचाराधीन नगरपालिका सदस्यों के मामले

*६२—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरी के पास दिनांक १२ फरवरी, १९७० को किन-किन नगरपालिका सदस्यों तथा भूतपूर्व नगरपालिका सदस्यों के विरुद्ध (१) सदस्यता से पृथक करने, (२) नियम विरुद्ध कार्य किये जाने के कारण सरचार्ज प्राप्त करने तथा (३) सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन थी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

(१) श्री हनुमान प्रसाद, सदस्य, नगरपालिका, मुगलसराय, (जिला वाराणसी) तथा श्री मन्हकू राम, सदस्य, नगरपालिका, चुनार (जिला मिर्जापुर) के विरुद्ध सदस्यता से पृथक करने एवं अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही दिनांक १२-२-७० को आयुक्त, वाराणसी मण्डल, के समक्ष विचाराधीन थी।

(२) श्री मैथालाल व्यवहारक अध्यक्ष, नगरपालिका, मुगलसराय के विरुद्ध सरचार्ज की कार्यवाही दिनांक १२-२-७० को आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के समक्ष विचाराधीन थी।

(३) भूतपूर्व नगरपालिका सदस्यों के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही दिनांक १२-२-७० आयुक्त, वाराणसी मण्डल, के समक्ष विचाराधीन नहीं थी।

मथुरा जिले में हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट के विरुद्ध जांच

*६३—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा जिले में मथुरा और बृन्दाबन के बीच स्थित धौरेरा ग्राम में १२४० एकड़ गांव समाज की भूमि पर १९६२ में चारा उगाने और गायों को चराने के लिये श्री गिरिराजधरण खांडवाले, मन्त्री हासानन्द गोचर भूमि छछ ट्रस्ट के नाम पट्टे किये गये थे और इन पट्टों के सम्बन्ध में इसी धौरेरा ग्राम के भूमिहीनों ने २ सितम्बर, १९६८ को जिलाधिकारी मथुरा के समक्ष प्रदर्शन करके यह शिकायत की थी कि इन पट्टों की भूमि पर चारे के बजाय खाद्यान्नों की खेती हो रही है, पेड़ काटकर उनकी लकड़ी बेची जा रही है तथा अन्य प्रकार से पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करके भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, धौरेरा ग्राम की १२४० एकड़ भूमि नहीं बल्कि ग्राम धौरेरा बांगर की १०७.४२ एकड़ व धौरेरा खादर की ५५३.४३ एकड़ गांव सभा भूमि हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को सन् १९६२ में पट्टे पर दी गई थी और इस भूमि के दुरुपयोग की शिकायत १९६८ में जिलाधिकारी से की गई थी।

*६४—श्री सजीवन लाल तथा श्री छांगुर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त शिकायत को प्राप्त करने के बाद जिलाधिकारी मथुरा ने अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अन्य अधिकारी ने क्या कार्यवाही की और यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई हो तो उसके बाद सरकार किस नतीजे पर पहुंची ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जांच कराने के बाद शासन ने निर्णय लिया कि ट्रस्ट को दिये गये पट्टे की शर्तों में इस उद्देश्य से संशोधन किया जावे कि भूमि के दुरुपयोग की सम्भावना न रहे। पट्टे की शर्तों के संशोधन का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

बुखारा भानुपुर-चिकरिया सड़क को फरीदपुर तक बढ़ाने की सिफारिश

*६५--श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुखारा-भानुपुर-चिकरिया रोड को फरीदपुर तक बढ़ाने के लिये सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समिति, जिला बरेली तथा अधिशासी अभियन्ता, बरेली की कोई सिफारिश हाल में शासन को प्राप्त हुई है ?

श्री धर्म सिंह--

जी हां।

*६६--श्री शफीक अहमद खां--

क्या सरकार इस सड़क को फरीदपुर तक विस्तार करना स्वीकार करेगी ?

श्री धर्म सिंह--

नकटिया पुल से फरीदपुर मार्ग का ४ किलोमीटर भाग का निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है।

मिर्जापुर जिले में सीरदारी अधिकार एवं कर वसूली के आदेश

*६७--श्री सूबेदार प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में तहसील राबर्ट्सगंज के गैर-पैमाइशी क्षेत्र परगना अगोरी के काश्तकारों की पुश्तैनी काश्त को रेकार्ड आपरेशन द्वारा वर्ग ४ में दर्ज कर वन विभाग के सिपुर्द किये जाने एवं इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे मुकदमों को तत्काल रोककर उपरोक्त भूमि पर लगान बांध कर काश्तकारों को सीरदार घोषित करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, केवल राबर्ट्सगंज में ही नहीं बल्कि जिले की अन्य तहसीलों में भी गांव सभा में निहित भूमि पर वर्ग-४ में अंकित अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों को, जिनका कब्जा १ जुलाई, १९६७ से पहले का है, कतिपय निर्धारित शर्तों के अधीन, सीरदारी अधिकार देने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।

*६८--श्री सूबेदार प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर जो गत कई वर्षों से सूखा-ग्रस्त क्षेत्र रहा है के तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत लगान एवं सभी बकाये सरकारी ऋणों की वर्तमान वसूली को तत्काल स्थगित कर फसलों की कटाई के बाद आसान किस्तों में वसूल करने का आदेश जारी करने जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज तहसील में भू-राजस्व, सिंचाई शुल्क तथा तकाबी अधिनियम १२ व १९ के बकाया को तीन किस्तों में वसूल करने के लिये शासन द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

रायपुर ग्राम, जिला वाराणसी में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*६९—श्री वुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा रायपुर परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी के निवासियों ने सरकारी ट्यूबवेल लगाने हेतु जनवरी-फरवरी सन् १९७० में प्रार्थना सिंचाई मन्त्री, चीफ इंजीनियर व ट्यूबवेल डाइरेक्टर के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग : जी हां ।

दूसरा भाग : ग्राम रायपुर और निकटवर्ती ग्रामों का सर्वेक्षण कराया गया जिसके फलस्वरूप ग्राम रायपुर में एक नया नलकूप लगाना उपयुक्त पाया गया ।

*७०-७१—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित]

लखनऊ महापालिका के चौधरी गढ़इया मुहल्ले में सीवर कार्य

*७२—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि स्वायत्त शासन (ख) विभाग के आदेश संख्या ४२२०-डी०/९-बी०-७ एल (५)-६८, दिनांक २४ सितम्बर, १९६८ द्वारा सरकार ने नगर महापालिका, लखनऊ को आदेश दिया था कि मोहल्ला चौधरी गढ़इया, वजीरगंज वार्ड, लखनऊ में गांधी शताब्दी वर्ष में सीवर बिछाया जाय, किन्तु नगर महापालिका ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया ? क्या मन्त्री महोदय उक्त नगर महापालिका को पुनः आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, नगर महापालिका, लखनऊ को आदेश दिया गया था और उसने इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाये हैं । परन्तु यह सीवर कार्य रेलवे पुल के नीचे से होकर गुजरेगा, जिसके लिये रेलवे प्रशासन से मांगी गयी अनुमति महापालिका को अभी तक नहीं मिल पाई है । अतः योजना का महापालिका द्वारा कार्यान्वयन अनुमति मिलने पर ही किया जा सकेगा । ऐसी दशा में महापालिका को पुनः आदेश दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

फतेहपुर तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*७३—श्री जयनारायन सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद के तहसील फतेहपुर के रेलवे लाइन के दक्षिणी क्षेत्र में १७ फरवरी, १९७० के बाद २७ फरवरी, १९७० तक किन-किन ग्रामों में ओले पड़े हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

५२ ग्रामों में ओले गिरे । इन ग्रामों के नामों की सूची संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४५ पर)

*७४—श्री जयनारायण सिंह—

क्या सरकार उक्त ओला ग्रस्त ग्रामों में प्रभावित किसानों को लगान, आबपाशी की छूट देने का विचार कर रही है और उनके जीवन निर्वाह के लिये तकावी वितरण करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । जिन ओलाग्रस्त ग्रामों में फसल को क्षति पचास प्रतिशत या उससे अधिक हुई है वहां मालगुजारी तथा लगान में नियमानुसार छूट दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । मालगुजारी तथा लगान में छूट का अन्तिम प्रस्ताव जिला स्तर पर बनाया जा रहा है जो कि शासन को १५ मई, १९७० तक प्राप्त हो जाना चाहिये । आबपाशी में छूट देने की कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है । जहां तक तकावी वितरण का प्रश्न है, ४,००० रुपये आपदा तकावी ११० कृषकों को बांटी जा चुकी है ।

*७५–७६—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित]

श्रीनगर में भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन तथा पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नरी दिवस मनाने पर व्यय

*७७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६९ में श्री नगर में भूतपूर्व सैनिकों का एक सम्मेलन अध्यक्ष नगरपालिका के संयोजकत्व में हुआ था ? यदि हां, तो इस कार्य के लिये भिन्न-भिन्न श्रोतों से कितना-कितना धन कमिश्नर गढ़वाल मंडल को तथा उनके माध्यम से प्राप्त हुआ था और उसका व्यय किस प्रकार हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९७० को जो पौड़ी (गढ़वाल) में गढ़वाल कमिश्नरी दिवस मनाया गया, उस पर कितना खर्च हुआ और यह धनराशि किन-किन सूत्रों से कितनी-कितनी प्राप्त हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाराबंकी–जैदपुर सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*७९—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बाराबंकी–जैदपुर रोड बाराबंकी से ७ मील तक पक्की है और बाकी ६ मील बिल्कुल कच्ची, ऊबड़-खाबड़, जिस पर बरसात के दिनों में चलना दूभर हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर उसे पक्की कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्नगत सड़क के सात मील, जिनकी दशा अच्छी नहीं है, जिला परिषद् के अधीन हैं । इन मीलों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

रायबरेली जिले में नलकूप

१—श्री शिवप्रसाद पांडिया—

क्या सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत विकास खंडवार कुल कितने नलकूप हैं ? उनमें सरकारी और निजी नलकूपों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१—जिला रायबरेली में वर्ष १९६९-७० तक कोई राजकीय नलकूप नहीं बना है। इस जिले में विकास खन्डवार स्थित निजी नलकूपों की संख्या ३१-३-७० को इस प्रकार थी :

		संख्या
(१)	बछरावां	१८५
(२)	डलमऊ	३०४
(३)	हरचन्दपुर	३९६
(४)	जगतपुर	१६२
(५)	खीरो	१७०
(६)	महराजगंज	१९७
(७)	नसीराबाद	२३६
(८)	सलोन	२०५
(९)	सरेनी	२८६
(१०)	सताब	५४४
(११)	सिंहापुर	१६७
(१२)	ऊंचाहार	१६७
	योग ..	३,०१९

सलोन तहसील में तालाबी भूमि के पट्टे

२—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील सलोन के ग्राम बरवलिया में असामी काश्तकारों को कितनी तालाबी भूमि के पट्टे कितने व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जमींदारी-विनाश के बाद से अब तक तहसील सलोन के गांव बरवलिया में कोई भी तालाबी भूमि के पट्टे काश्तकारान को नहीं दिये गये हैं।

बिसौली तहसील में जमीन के बैनामे

३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के अन्तर्गत बिसौली तहसील में २१, २२, २३ एवं २४ फरवरी सन् १९७० ई० को कितने जमीन के बैनामे हुये एवं किन-किन व्यक्तियों द्वारा वह बैनामे किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तहसील बिसौली, जिला बदायूं में दिनांक २१, २२, २३ एवं २४ फरवरी सन्, ७० को जमीन सम्बन्धी कुल ११ (ग्यारह) बैनामे हुए जो निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किए गए :

१—श्री रामकुमार, इस्लामनगर,
२—श्री बहादुर खां इमाम अली खां, महोरी,
३—श्री लछमन सिंह उर्फ सिपट्टर सिंह, मितरौली,
४—श्री डल्लू, नौगवां,
५—श्री अली बख्श, नौगवां
६—श्री सूरजपाल सिंह, बीरमपुर,
७—श्रीमती शीलावती, राजपुररोशन नगर,
८—श्री नब्बी व शाहजहां, कुन्दावली मुसिया नगला,
९—श्री नरेन्द्र कुमार, वजीरगंज,
१०—श्री मोती सिंह, जखोरा जाहदेपुर
११—श्री दीपसिंह, गोठा ।

जसपुरा ब्लाक, जिला बांदा में सिंचाई

४—श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा के अन्तर्गत ब्लाक जसपुरा में स्थित ग्राम बसधरी, लसड़ा, गुरगवां सिघन कलां और अदरी आदि गांव के लिए कोई लिफ्ट योजना है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

भाग—१

जी नहीं, केवल ग्राम लसड़ा में एक डीजल पम्प से थोड़े से क्षेत्र में गूल द्वारा सिंचाई हो रही है ।

भाग—२

प्रश्न नहीं उठता ।

सदस्य, विधान सभा, श्री प्यारे लाल के अनशन से सम्बन्धित मांगों के बारे में मुख्य मन्त्री के वक्तव्य की मांग

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एक माननीय सदस्य जो मुख्य मंत्री के जिले के रहने वाले हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने मुख्य मंत्री जी को गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में लिखित शिकायत भी दी थी ? चूंकि कल से माननीय सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में आप मुख्य मंत्री जी से एक वक्तव्य दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्यारेलाल जी कल मेरे पास आये थे । वे भूख हड़ताल पर बैठे रहे सदन में उन्होंने मुझ से कहा कि उन्होंने मेरे पास भी सूचना भेजी । उस समय वह मेरे पास नहीं थी । मैंने उनसे कहा कि मैं देखूंगा कि अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो उसके लिये विचार करूंगा । उन्होंने मुझे वह सूचना दी । मैंने कहा कि अगर यह १५ रोज पहले की थी तो यह मुख्य मंत्री जी को गयी होगी । तब भी मैं देखूंगा कि अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो मैं पूछूंगा लेकिन आप को इसे प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है । उस पर विचार करके ही मैं जवाब दूंगा ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

माननीय मंजूर अहमद साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने (माननीय प्यारे लाल जी न) एक महीने पूर्व कुछ शिकायतें दी थीं । अगर सही है तो ठीक है। उन्होंने २७ तारीख को कुछ शिकायतें मेरे दफ्तर में दी थीं और पहली मई को उन्हें यह जवाब चला गया कि आपने जो लिखा है वह हमने सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, के पास भेज दिया है लेकिन मालूम नहीं कि उनको क्या शिकायतें होंगी । नोटिस में शायद था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह कर दिया जाय, म्युनिसिपैलिटी को यह कर दिया जाय और न जाने क्या-क्या वर्ना वे हड़ताल करेंगे । इस तरह से हड़ताल करना और इस तरह से बड़ी बड़ी बातों पर नोटिस देना, मुनासिब नहीं है और न इस तरह से कोई गवर्नमेंट चल सकती है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपसे प्रार्थना है कि आप मुख्य मंत्री जी से उनकी मांगों को पूरा कराने की व्यवस्था करें ?

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मुझ बहुत दुख है कि इस सदन में इस प्रकार की घटना हुयी और मैं इसलिये भी अपनी वेदना प्रकट करना चाहता हूं कि इस सदन की एक माननीय सदस्य घोषणा करके भूख हड़ताल पर हो । आज जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिये यह अत्यन्त चिन्तनीय बात है । कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री को एक सूचना दी जाय और वे कहें कि उन्हें ज्ञान नहीं है कि वह सूचना क्या है । यह तो श्रीमन्, और भी उपेक्षा की बात है कि कोई माननीय सदस्य मुख्य मंत्री को सूचना दे और वे कहें कि उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं है । मैं इस बात के पक्ष में तो स्वयं भी नहीं हूं कि समस्याओं का हल हड़ताल द्वारा किया जा सकता है लेकिन अगर सदन में कोई ऐसी चीज हुयी हो कि कल से यहां पर माननीय सदस्य भूख हड़ताल कर रहे हों तो सरकार को कम से कम उनकी जायज बातों पर तो ध्यान देना चाहिये और अगर उन्होंने केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह किया तो यह और भी जरूरी था कि उन पर ध्यान दिया जाता और माननीय मुख्य मंत्री उनसे बात करते और उनसे पूछते तो सही कि आखिर कारण क्या है और उसके सम्बन्ध में उनकी कोई जायज बातें थीं तो उन मांगों को ठीक किया जाता ।

कुछ मांगें जायज भी हैं तो उन जायज मांगों को न देखा जाय तो बहुत अनुचित है । मैं निवेदन करूंगा कि यहां सदस्यों के अधिकारों के रक्षक आप हैं और उस नाते मैं श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर उन मांगों को स्वयं आप देख लें । देखने के बाद माननीय मुख्य मंत्री से कहें कि जायज मांगों को ठीक तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिये । कोई जायज मांग है तो कौन-सा मार्ग हमारे पास है । जब हम लोग उधर बैठे हैं तब हम लोगों ने यह किया है कि जब कभी कोई अवसर आया इस तरह का कि माननीय सदस्य सुझाव के रूप में देते रहे हैं तो हम उसे देखते रहे हैं । श्रीमन्, २७ तारीख को पत्र दिया जाय और उस पर आज तक विचार न किया जाय और माननीय सदस्य मजबूर हो जायं कि वह भूख हड़ताल करें । कोई भूख हड़ताल करता है तो भी सरकार गौर करने की चेष्टा न करे यह अत्यन्त अनुचित है । इस मामले को श्रीमन्, आज जरूर निपटा दें । अगर आज नहीं निपटाया जायेगा तो हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों को विचार करना पड़ेगा कि क्या किया जाय। जो उचित है उसे जरूर स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया है.....

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक दिन में कम से कम १०० सवाल होते हैं परन्तु उनमें १५ या २० सवाल हो पाते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय क्योंकि सवाल सभी नहीं आ पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम में परिवर्तन करा दें।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं आपके सामने यह प्रस्ताव कर रहा हूं। आप सदन के अध्यक्ष हैं। इस पर विचार करायें।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे अधिकारों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री नेकहा कि विधान सभा के सदस्य छोटी-छोटी बातों पर भूख हड़ताल कर देंगे तो मुख्य मंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकते। जहां तक माननीय सदस्य की भूख हड़ताल का सम्बन्ध है वह प्रजातान्त्रिक मांग के लिय भूख हड़ताल है। दस वर्षों से गाजियाबाद नगरपालिका का चुनाव नहीं हुआ। अगर वहां का सदस्य भूख हड़ताल करता है तो माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि यह छोटी बात है। हम विधान सभा में सदस्य चुन कर आते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री के लिये यह छोटी बात है। इलाहाबाद नगरपालिका का भी छः-सात वर्षों से चुनाव नहीं कराया गया है।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अनशन करने से समस्याओं का हल नहीं होता। मैं मानता हूं कि अनशन से ही सब समस्याओं का हल नहीं होता परन्तु प्रजातान्त्रिक तरीकों में यह भी एक तरीका है। क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञान है कि पिछले तीन-चार महीनों से गाजियाबाद के अन्दर लगातार इन्हीं मांगों के लिये अनशन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहे हैं, सभायें चल रही हैं, बातचीत हो रही है। श्रीमन्, ये मांगें आज नई नहीं उठी हैं। ये पिछल कई महीनों से लगातार गाजियाबाद के अन्दर उठाई जा रही हैं। वहां की जनसंघ की पार्टी का मुझे ज्ञान है बाकियों का उनको ज्ञान होगा। म यह कहना चाहता हूं कि अगर मांगे सही हैं तो आप उन पर विचार कर लीजिये। आप इसको भूख हड़ताल से अलग हटा दीजिये। भूख हड़ताल की बात को न भी जोड़ें तो मांगों का अध्ययन कर लीजिये। अगर मांगे सही हैं, अगर वे मांगें वहां के नागरिकों ने पहले से उठा रक्खी हैं और सरकार उन पर गौर नहीं करती है तो फिर इस किस्म के कांड होते हैं—जैसे परचे फेंके जाते हैं, नार लगाये जाते हैं। हम लोग उसकी प्रशंसा नहीं करत। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

कि इस संबंध में उचित जांच करा लें क्योंकि कई महीनों से यह मांगे उठ रही हैं और जांच कराकर कुछ उचित निर्णय शीघ्र दे दें ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र में अनशन, प्रदर्शन और भाषण, इन तीनों का बड़ा महत्व होता है । अगर अपोजीशन की बातों को माननीय मुख्य मंत्री जी हिकारत की नजर से देखेंगे तो फिर हमसे कैसे वे इज्जत पान की आशा रखेंगे ।

*श्री चरण सिंह—

माननीय मित्र बांकेलाल जी का यह खयाल गलत है कि मैं माननीय सदस्यों की मांगों को या उनक कथन को हिकारत की नजर से देखता हूं । सवाल उसूल का है । माननीय लक्ष्मी-रमण आचार्य जी ने कहा कि मैं भी उन लोगों में से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का काम भूख हड़ताल से नहीं चल सकता, लेकिन अगर कोई माननीय मित्र यहां सदन में भूख हड़ताल का नोटिस दे दें तो जरूर उस पर विचार होना चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर माननीय मित्र यह कहते कि जिन लोगों के कहने क लिये, अपनी बात को रखने के लिये कोई फोरम नहीं है, अगर वे लोग भूख हड़ताल का नोटिस दें तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिय, तब तो उनकी बात कुछ समझ में आती, वह ठीक हो सकती थी, लेकिन माननीय सदस्यों के लिये तो फोरम है, वे यहां कार्य स्थगन का प्रस्ताव ला सकते हैं, वे नियम ५२ आदि का प्रस्ताव ला सकते हैं, माननीय सदस्य प्राइवेट बिल ला सकते हैं और तरह से यहां अपनी बात कह सकते हैं, तो व अगर भूख हड़ताल का नोटिस दें तो यह मैं उचित नहीं समझता । मैं जैसा कि अर्ज कर चुका हूं कि किसी प्रेशर से कोई काम करन क लिय तैयार नहीं हूं । हां, जिन लोगों को अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं है, अगर वे लोग भूख हड़ताल करें तो सरकार को जरूर विचार करना चाहिये । आपने तो बिलकुल उलटी बात कह दी कि माननीय सदस्य अगर उसका नोटिस दें तो विचार करना चाहिय ।

(व्यवधान)

आप अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाता हू ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, जिस ताव में माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं यह सदन का अपमान है, आप उनसे कहे कि वे इस तरह से ताव न दिखाया करें । (शोर)

श्री बांकेलाल—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारी सुनें, हम उनकी बातों को सुनें । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि व शान्ति क साथ माननीय मुख्य मंत्री की बातों को सुनें, फिर उसका जवाब दें । और उधर क लोग भी सुनने की कोशिश करें हम लोगों की बात को ।

श्री अध्यक्ष—

बांके लाल जी की बात से मैं सहमत हूं और पूरा सदन सहमत होगा और आज उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान की बात की है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम लोग शान्ति बनाए रखें । ताव-ताव की कोई बात नहीं है । उनकी बात तो यह है कि उन्होंन कहा कि अगर उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता है तो वह बैठे जात हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरण सिंह—

बांकेलाल जी ने, आज सबको बोध हुआ, बहुत अच्छी बात कही है। जनतन्त्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, जो मतभेद रखते हों उनकी जिम्मेदारी है कि वह उसे शान्ति से सुनें। ऐसा नहीं कि कदम-कदम पर विघ्न-बाधा डालें। तो मैं कह रहा था कि चूंकि मेम्बर ने भूख-हड़ताल की नोटिस दी है, इसलिये उसे जरूर सुनना चाहिये, यह बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिये, मैं उससे सहमत नहीं हूं। भूख हड़ताल किसी का अधिकार हो या न हो, लेकिन यह मानी हुई बात है कि जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार से नही है। उनके लिए अन्य मौके अपनी बात कहने के लिये हैं। इसके अलावा भूख-हड़ताल का नोटिस देकर एक आदमी प्रेशर डालना चाहता है। वह सेन्टीमेंट की बात करना चाहता है। बजाय मस्तिष्क के वह शरीर से काम लेना चाहता है। इसमें कोई रेशनल जजमेंट नहीं हो सकता है, ऐसी हालत में मेरिट पर कभी डिसीजन नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी चलेगी रीजन से, डिबेट से, डिस्कशन से। एक बात यह कही जाती है कि यदि गवनमेंट न सुने तो क्या रास्ता है? जो साहब इसे लाए हैं उनके लिए यह चाहिए था कि वह यहां बहस करें, बाहर पब्लिक मीटिंग करें, डेपुटेशन लेकर मिलें—जिसमें इधर के लोग हों या उधर क लोग हों या दोनों तरफ के लोग हों, फिर गवर्नमेंट को गिरान की कोशिश करें मेजारिटी से। इस पर भी यदि वह अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होता है तो उसे चाहिए कि वह पब्लिक को एडूकेट करें और उससे कहे कि देखो सरकार डेमोक्रेसी के विरुद्ध कार्य कर रही है, जिससे वह हमारी पार्टी को निकाल बाहर करे।

एक सदस्य—

मतलब यह कि आप ५ साल तक तानाशाही करते रहें।

श्री चरण सिंह—

जी हां, बेशक उसे ५ साल तक तानाशाही करने का अधिकार है। बेशक यदि वह मेजारिटी के बल पर तानाशाही करती है तो ठीक है। तानाशाही कोई करना नहीं चाहता है, यह तो केवल विचारों के मतभेद की बात है। फिर भी यदि आप उसे तानाशाही समझते हैं, तो मैं विवश हूं। कल ही की बात आपके सामने है, स्पीकर किसी को इंगित करते हैं, मैं खड़ा होता हूं, तो 'तत्काल' उसमें शब्द है, मैं यह मोशन मूव करूं कि माननीय सदस्य को निलम्बित किया जाए, उसे मैं करता हूं, तो भला उसमें कौन-सी गलत बात हो गई, कौन सी तानाशाही हो गई? रूल में है कि तीन दिन के लिये किया जाय। तीन दिन होते हुए भी मैंने एक दिन के लिये किया, फिर भी यहां नारे लगे कि तानाशाही नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार होगी मेजारिटी के बल पर होगी और पांच साल तक आपको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी और पांच साल की बात यदि ज्यादा है तो आप कांस्टीट्यूशन में तब्दीली करके ३ साल या २ साल का समय रख दीजिए जितना आप चाहते हों कि ३ साल में या दो साल में जनरल एलेक्शन हुआ करे। लेकिन जब तक संविधान में लिखा है ५ साल तक एक सरकार रहेगी। वह कोई तानाशाही नहीं करना चाहती है, केवल विचारों का मतभेद है। उसको तानाशाही कहने से तो काम नहीं चल सकता। आप बगैर वोट के जरिए गवर्नमेंट को चलाने के, यह कहें कि हड़ताल के बल पर गवर्नमेंट चलायेंगे तो इसके कोई माने नहीं हैं। इससे डेमोक्रेसी नहीं रहती, और बैलेट की कोई सैंक्टिटी नहीं रहती। हड़ताल का प्रश्न किसी के लिए भी लाजमी नहीं है।

मेरे एक माननीय सदस्य यह दावा करते हैं कि डेमोक्रेसी में भी भूख-हड़ताल सत्याग्रह की गुंजाइश है। इसमें दो राय हो सकती हैं। अब इस मामले की बाबत सत्याग्रह चल रहा है यह मेरे नोटिस में नहीं है। जो बड़ा भारी एजीटेशन चल रहा है वह भी मेरे नोटिस में नहीं है। मेरे सहयोगी स्वशासन मंत्री से उनमें से किसी ने मुलाकात की है या नहीं वह भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। मैं प्यारेलाल जी को बहुत अच्छी

[श्री चरण सिंह]

तरह से जानता हूं। वह अच्छे जनसेवक हैं। २७ तारीख का उनका लिखा हुआ पत्र मेरे यहां आया। मैंने उसको पहली तारीख को सेक्रेटरी के पास भेज दिया। अब यह कहना कि माननीय सदस्य के पत्र को मुख्य मंत्री पढ़ना नहीं चाहते सही नहीं है। मेरे दफ्तर में बहुत से पत्र आते हैं और बहुत बार यह बात होती है कि मुझे कुछ की रसीद का भी मालूम नहीं हो पाता या बहुत से पत्र इतने लम्बे होते हैं कि मैं उनको पढ़ भी नहीं सकता हूं। यदि वह दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखते हैं तो मैं उनको अपने सहयोगी के पास भेज देता हूं। यदि कोई ऐसा पत्र होता है जो मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है तो मैं सेक्रेटरी को बुलाकर बात कर लेता हूं या उसके पास भेज देता हूं।

अब रही छोटी और बड़ी बात। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो लेकिन किसी के लिये भी इस बात की गुंजायश नहीं है कि भूख-हड़ताल की जाय। यदि कोई भूख हड़ताल की बात करता है तो उसका असर क्या होता है? मेरे ऊपर यह भूख हड़ताल का रि-एक्शन होता है कि वह अपनी बात मनवाने के लिये दबाव डालना चाहता है।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा–फतेहाबाद)—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने यह कहा कि भूख-हड़ताल और सत्याग्रह में उनका विश्वास नहीं है लेकिन गुप्ता सरकार के जमाने में १९६९ में क्या उनके दल ने यहां पर सत्याग्रह करने का एलान नहीं किया था?

श्री चरण सिंह—

कुछ हद तक हुकुमसिंह जी की यह बात सही है लेकिन मास सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी। उनसे यह कहा गया था कि अगर गवर्नमेंन्ट से सब कोशिश करने के बाद कोई बात तय नहीं होती है तो स्टेट एक्जिक्यूटिव बाडी की इजाजत से इंडिवीजुअल सत्याग्रह होगा, भूख हड़ताल नहीं।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

मैं सफाई के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि चरणसिंह जी संविद सरकार के मुख्य मंत्री थे उस समय भी वह सत्याग्रह, हड़ताल या प्रदर्शन के खिलाफ थे लेकिन जब वह विरोध में बैठते थे और गुप्ता सरकार थी तो उन्होंने भूख-हड़ताल का समर्थन किया था।

श्री चरण सिंह–

मैं भूख-हड़ताल और मास डिसओबीडियेन्स के खिलाफ था और अब भी हूं। कानून तोड़ने के लिये हवा पैदा की जाय इसके मैं खिलाफ था और हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक माननीय सदस्य की मांगों का सवाल है वह बहुत बड़ी-बड़ी मांगें हैं। वह पूरी लिस्ट है। वह कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खत्म हो। नगरपालिका का एकदम चुनाव किया जाय। मुआविजा इस रेट पर दिया जाय। किसानों के लिये इतनी जमीन इस रेट पर दी जाय। १०,१२ उनकी मांगें शायद हैं। बहुत बड़ी मांगें हैं। वे कहते हैं कि अगर नहीं मानते हैं तो भूख-हड़ताल कर रहे हैं। इसमें मेरिट का कोई सवाल नहीं है, कोई लीगल प्वाइंट्स का सवाल नहीं है लेकिन वह भूख-हड़ताल कर रहे हैं। उनकी सब मांगें मान लेनी चाहिये वरना यह सरकार जन विरोधी है। यह कौन-सा तरीका हुआ? हम लोग प्यारे लाल जी को अच्छी तरह से जानते हैं। वह मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर था १९६५-६६ में तो तब भी मैं यह चाहता था कि गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होना चाहिये, यह रोक क्यों लगी हुई है? मुझको अफसरों ने यह बतलाया कि जब तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम चल रहा है तो उसमें बहुत से ऐसे फंक्शन्स हैं जो इम्प्रूवमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड के कामन हैं। इसलिये म्युनिसिपैलिटीजऐक्ट ही रहना चाहिये। इसीलिये ताकि वहां के लोगों को सहूलियत हो जाय, जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम कर रहे हैं, हमने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में शायद कुछ परिवर्तन भी किये थे। उसकी

बाबत दो रायें हो सकती हैं। लेकिन यह जो तरीका है कि यह हो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, जैसा मैं बता चुका हूं इसको मैं मुनासिब नहीं समझता।

श्री कृष्णानन्द राय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। यहां पर एक बहुत ही साधारण प्रश्न उपस्थित हुआ। इस सदन के एक आदरणीय सदस्य भूख-हड़ताल कर रहे हैं कुछ मांगों को लेकर। उसका सीधा-सा उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से हो सकता था कि मांगों को स्वीकार करने में यह-यह कठिनाई है, लीगल या फैक्चुअल, उनसे बात करके विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने इस पहलू पर विचार नहीं किया। दुनिया भर की इर्रलेवेंट बातें कह दीं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मेजारिटी है, पांच साल तक वेट करने का सवाल है। आजकल पांच मिनट में सरकार बदल जाती है। चौधरी साहब के दस आदमी इधर आ जांय, तो वह सड़क पर घूमने लगेंगे। उन्होंने एक आध बातें ऐसी कहीं, श्रीमन्, कि कोई लम्बा पत्र किसी सदस्य का हो, दो लाइनें मैं पढ़ कर समझ जाऊं, या किसी मंत्री के पास भेंज दूं, कितने अपमानजनक शब्द हैं। हम लोगों के पत्रों को पूरा पढ़ें नहीं। लम्बा पत्र हो तो संबंधित मंत्री के पास या सेक्रेटरी के पास भेज दें या चपरासी के पास भेज दें। इस प्रकार की बातें मुख्य मंत्री होकर करेंगे तो हम लोग कहां तक बर्दाश्त करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको कोई प्रतिवेदन, कोई मांग या कोई आन्दोलन, किसी चीज की सूचना, पिछले कुछ महीनों से नहीं है। मैं केवल स्पष्टीकरण के लिये पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने कार्यालय में जानने की कोशिश करेंगे, पिछले चार-पांच महीनों से जनसंघ की ओर से लगातार इन सब मांगों के ऊपर प्रतिवेदन आये हैं और सरकार उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख कर बैठी हुई है ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि एक गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। कुछ माननीय सदस्य जैसे विकल जी हैं, और लोग हैं, एक-एक, दो-दो मिनट में अपने विचार रखना चाहते हैं। परन्तु आप हम लोगों को मौका न देकर उसी के ऊपर माननीय नित्यानन्द स्वामी को दोबारा कह दिया। आप एक-एक, दो-दो, मिनट सब को सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, माननीय विकल जी कहें।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह स्वायत शासन मंत्री थे तो गाजियाबाद स्वयं गये थे, उनके सामने ये समस्यायें आ चुकी हैं और उस समय वे आश्वासन भी दे आये थे इन मोटी-मोटी मांगों के सम्बन्ध में जो इस प्रकार है:--किसानों की जो जमीन ली जा चुकी है जब तक उस पर काम न हो जाय नयी जमीन एक्वायर नहीं की जायेगी। १० वर्ष के अन्दर ली हुई जमीन का मुआवजा अवश्य दे दिया जाय। लम्बी-चौड़ी सड़कों को छोटा किया जाय। बड़े लोगों की जमीन अगर छोड़ दी गई है और छोटे लोगों की ही ले ली गयी है तो उसकी इक्वायरी की जाय। मकानों को न गिराया जाय। ये मोटे-मोटे आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय स्वयं देकर आये थे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जब वह स्वायत शासन मंत्री थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गाजियाबाद की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की बात भी कही थी। ये सब बातें उस समय के समाचार पत्रों में भी छपी हैं, जो वे आश्वासन के रूप में वहां जनता को देकर आये थे। तब से बराबर प्यारे लाल जी वहां की इन मांगों को सरकार के समाने रख रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचा जा रहा है कि कितनी फिजूलखर्ची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम पर की जा रही है और उसके लिये कोई जांच नहीं बिठाई जाती। माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले का मामला है और उनको मुख्य मंत्री की हैसियत से एक मांग-पत्र भी दिया गया। कल इस सदन में घोषणा भी कर दी गयी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मोटी मांगें हैं जिनके सम्बन्ध में वे आश्वासन भी दे आये थे, उस पर एक माननीय सदस्य अनशन भी कर रहे हैं, तो कम से कम वह अपने दिये गये आश्वासनों को तो पूरा कर दें, भले ही प्यारे लाल जी की बात न मानें। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इनकार कर दें कि जो मोटी-मोटी बातें मैंने कहीं हैं उनके संबंध में वे आश्वासन नहीं दे आये थे तो मैं प्यारे लाल जी से अनशन तुड़वा दूंगा। यह कोई दबाव नहीं है। आपने स्वयं भी दबाव के तरीके इस्तेमाल किये हैं। आपने अविश्वास का प्रस्ताव गुप्ता मिनिस्ट्री के खिलाफ रखा और स्वयं इस्तीफा उनसे लिया अपने आप मुख्य मंत्री बनने के लिये। दबाव तो आप भी डालते रहे हैं। आपने आन्दोलनों का नेतृत्व भी किया है। मुजफ्फरनगर तथा मेरठ में जब आप नेता विरोधी दल थे तो आपने उनका नेतृत्व किया और उस समय आप ये सब प्रेक्टिसेज किया करते थे। लेकिन इस समय जब आप मुख्य मंत्री हैं और यहां एक माननीय सदस्य भूख-हड़ताल कर रहें हैं, समस्या गम्भीर है तब आप कहते हैं कि दबाव नहीं मानेंगे तो यह गलत है। यह दबाव नहीं है, आपके सामने प्रार्थना है। जब आप नहीं सुन रहे हैं तो सरकार के सामने एक मजबूरी का रास्ता है और आप उस मजबूरी के रास्ते को शान्ति से, सुलह से सुलझाइये और अपने दिये हुये आश्वासनों को पूरा कीजिये, तब हम उनका अनशन खत्म करवा देंगे।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य यहां पर दिया अगर उसमें वह कुछ समस्याओं का जिक्र करते तो बात दूसरी होती लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे बुनियादी प्रश्न उन्होंने उटाये हैं जिन पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह सही है कि आपका बहुमत है। ५ वर्ष तक आप अपनी सरकार तथा नीतियां चलायेंगे लेकिन प्रदेश के अन्दर अगर कोई जन आन्दोलन होता है उसकी ओर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह खतरनाक बात हो जायगी।

भूख-हड़ताल के बारे में कहा गया कि यह दबाव है तो क्या महात्मा गांधी ने इसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था? उनके द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग करने का क्या इरादा था? वह अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, किसी पर दबाव नहीं डालना चाहते थे लेकिन उन्होंने भी इस अस्त्र का प्रयोग किया सरकार तथा जनता को आकर्षित करने के लिये। आज हमारे माननीय सदस्य भूख-हड़ताल कर रहे हैं। मान्यवर, यह सही बात है कि आज किसी के दबाव में आने का प्रश्न नहीं है। हड़ताल इसीलिये की जाती है कि सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित हो। जैसा कि अभी माननीय विकल जी ने कहा कि यह सरकार के लिये कोई नई समस्या नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री उसी जिले के रहने वाले हैं। वे तमाम समस्याओं से अवगत हैं। सरकार या माननीय मुख्य मंत्री इतने दिनों से उनकी समस्याओं से अवगत होते हुये भी सोये रहे तो यह गौर करने की बात है। यह सरकार आन्दोलन का नया रास्ता खुद दिखाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे भूख-हड़ताल करने वाले माननीय सदस्य को बुलायें और उनसे अपील करें उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दें और कहें कि वे अपनी भूख-हड़ताल समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मुझे आपसे केवल दो मिनट निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष---

हर पार्टी के एक या दो व्यक्ति ही बोल सकते हैं । मैं वैसे ही हर एक पार्टी के लोगों को बोलने का मौका दे रहा हूं । आपकी पार्टी वालों में अभी माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी बोले, राय साहब बोले ।

*श्री रियासत हुसैन---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम लोगों को, इस पूरे सदन को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बतलाया । मुझे यह कहना है कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जब कोई आदमी इस सदन का मेम्बर न हो, वह दरख्वास्त भेजे, अनशन करे या कुछ करे, उसके लिये तो यह रास्ता हो सकता है । लेकिन खेद इस बात का है कि जो इस सदन के मेम्बर हैं माननीय प्यारे लाल जी, उन्होंने २७ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में एक पत्र भेजा । उनकी नजर में उस पत्र की क्या हैसियत हुई कि उन्होंने उस पत्र को अपने सेक्रेटरी के पास भेज दिया । अध्यक्ष महोदय, आज ६ तारीख है और उन्होंने कल से अपनी भूख-हड़ताल शुरू कर दी है । माननीय मुख्य मंत्री की इस माननीय सदस्य के प्रति इतनी हैसियत नहीं हुई कि वे इस माननीय सदस्य को बुला कर उनसे पूछते कि क्या मामला है और उसे कैसे निपटाया जा सकता है ? इसलिये मुझे तो माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई आशा नहीं है किन्तु मैं आप से माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस आनरेबुल हाउस के एक मेम्बर जो अनशन पर हैं, जिसका कि असर सारे सदन पर पड़ रहा है, सारे प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, सवाल को आप लें । इस प्रश्न के महत्व को देखते हुये मैं आप से गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रस्ताव पर स्वयं दो घंटे के डिस्कशन का समय इसको दें और इस सदन की कार्यवाही को तब तक स्थगित रखें । इस डिस्कशन में उस सारी बातों पर बहस हो जायेगी कि माननीय सदस्य श्री प्यारेलाल जी की क्या-क्या मांगें हैं और कौन-कौन-सी जायज हैं, उचित हैं या अनुचित हैं । अतः आप इस बात का आश्वासन दें कि आज ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करके उसके ऊपर विचार किया जाय ताकि वे अपना अनशन समाप्त कर दें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, प्यारे लाल जी जिस तरह से अनशन के निष्कर्ष पर पहुंचे उससे एक तरफ तो प्रशासन की निष्क्रियता और गतिहीनता का परिचय मिलता है और दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी की अवसरवादिता का भी । अभी विकल जी ने जो तथ्य सदन के सामने रखे और जिनको प्यारेलाल जी ने अपने पर्चे में स्वयं लिखा है, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सन् ६६ से पहले मुख्य मंत्री जी को उन घटनाओं की जानकारी थी और जब सन् ६७ में माननीय प्यारेलाल जी चुन कर यहां आये तो उन्होंने सदस्य की हैसियत से प्रश्नों के रूप में, नियम ५१, ५२ के रूप में और भाषणों के रूप में इस प्रश्न को विधान सभा में उठाया । लेकिन इस विधान सभा की यह दुर्गति हो गयी है कि यहां पर प्रश्न इसलिये उठाये जाते हैं कि उस काम में तत्परता आये, लेकिन वह तत्परता सदस्यों को मिल नहीं पाती है । इसके साथ ही साथ मुकामी अधिकारियों के सामने भी इस मामले को लाया गया, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि काफी अर्से से यह मामला उठाया जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन एवेन्यूज के बारे में कहा कि वे ओपिन हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जा चुका है लेकिन फिर भी समस्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

ज्यों की त्यों बनी हुई है और मजबूर होकर माननीय प्यारेलाल जी को अनशन करना पड़ रहा है। शासन इतना गतिहीन क्यों है और जनता की जो समस्यायें हैं उनकी ओर फौरी तवज्जह क्यों नहीं दी जाती है, मैं आपसे, माननीय मुख्य मंत्री जी से और मंत्रिपरिषद् से यह निवेदन करूंगा कि उनको इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने दर्शन का भी एक सवाल उठाया। जनतंत्र के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि जनतन्त्र में इस प्रकार के आन्दोलनों की आवश्यकता है या नहीं है। मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी राय रखने वाला कोई यथास्थितिवादी ही हो सकता है। एक बात समझने की और है कि कानूनों के निर्माण और जनशक्ति में क्या रिश्ता है। इस प्रदेश और देश की जनता ने गांधी जी की अगुआई में बरसहा-बरस जमींदारी को मिटाने का आन्दोलन किया। जब आन्दोलन पक गया और उसकी ताकत हो गयी तो इसी विधान सभा में जमींदारी उन्मूलन का कानून बना दिया गया। यह हुआ जन शक्ति और कानून का रिश्ता। यह किसी भी जनतन्त्र के हामी को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। कहा यह गया कि ५ साल में सरकार को बदल दिया जाय। मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि वैसा बदलाव कभी सम्भव हो ही नहीं सकता। क्योंकि अन्याय को सहते-सहते लोग ऐसे आदी हो जाते हैं कि उनकी इच्छा ही मर जाती है। उन्होंने इस इच्छा को ही मार डाला है तभी तो सरकार यथास्थिति २२ साल तक बनी रही।

दूसरी बात यह है कि जनतन्त्र का मतलब है कायदे-कानून का राज्य, बहस-मुबाहिसे का राज्य, बात का राज्य। लेकिन उसमें गोली बन्दूक नहीं रह सकती। डेमोक्रेसी में जुलूसों, आन्दोलनों का पूरा स्थान है। जब आन्दोलनों की स्टेज पार हो जाती है तो सिविल नाफरमानी शुरू होती है। यही हथियार जनता के पास रह जाता है। यह बात किसी से छिपी हुई होती नहीं है। सरकार को यह मालूम होता है कि इस प्रकार से कानून को तोड़ा जा रहा है और सत्याग्रही को भी यह मालूम होता है कि वह कानून तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी। अतः वह भागेगा नहीं। अब अगर उसके सत्याग्रह का उद्देश्य गलत होता है तो उससे नुकसान और किसी को नहीं होता सिर्फ सिविल नाफरमानी करने वाले को ही होता है। चुनांचे सरकार के ऊपर उससे कोई आंच नहीं आती। लेकिन अगर उसका उद्देश्य सही है, उसका साधन सही है, फिर सरकार चाहे बदले या न बदले, उससे पहले भी उसके अनुसार बदलाव हो जाता है।

सन् ५७ से पहले, इसी लखनऊ में अंग्रेजी शासकों की मूर्तियां रखी हुई थीं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस समय मंत्रिपरिषद् में थे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि अंग्रेजों की मूर्तियों को हटाओ। क्योंकि इससे यह इम्प्रेशन पड़ता है कि हम अंग्रेजों के वारिस हैं। उससे हमारा मस्तिष्क खराब होता है। इसलिये इन मूर्तियों को हटा देना चाहिये। उस वक्त कहा गया कि इनके लिये जगह नहीं है और यह बड़ी कलात्मक मूर्तियां हैं। तब हमारे स्वर्गीय नेता ने कहा कि इनमें कला नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर जगह की बात है तो वाजिद अली शाह का तहखाना है नहीं तो गोमती में बहा दीजिये। इसके लिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री हमको धन्यवाद दें कि जार्ज पंचम की मूर्ति को हटा कर महात्मा गांधी की मूर्ति लगी और विक्टोरिया की मूर्ति की जगह बेगम हजरत महल की मूर्ति लगी। यह बदलाव किसी हिंसा के बगैर हमने कराया आपकी सरकार के रहते-रहते। सिविल नाफरमानी जनतंत्र से जुड़ा हुआ हथियार है। माननीय मुख्य मंत्री जी खफा हो जाते हैं। मैं उनको बताऊं कि १९४७ में जब बाकायदा हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के बकाया को दिलाने के लिये आमरण अनशन रखा था जिसके नाम की आप बार-बार दुहाई देते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया ? आखिर गांधी जी का नाम खाली प्रेम और अहिंसा नहीं है। गांधी जी का एक रूप है क्रान्तिकारी और उनके उस रूप को यह सरकार बराबर छिपाती रहती है। और अगर इस तरह से आप छिपाते रहे और समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो नक्सलपंथियों को आप रोज गाली देते हैं, वही एक रास्ता बच जाता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उस रास्ते पर चला जाय ? वह जानबूझ कर हमें उस रास्ते पर ढकेल रहे हैं।

दूसरी बात माननीय हुकुमसिंह जी ने उठायी। मुख्य मंत्री जी को जहां से हम बोल रहे हैं इस पक्ष से भी बोलने का मौका मिला था अभी थोड़े ही दिन पहले। तो जहां तक इनके मैनिफेस्टो का सवाल है उसमें भी इन्होंने इन चीजों की निन्दा की है और उससे अपने यथा-स्थितिवादी विचारों को व्यक्त किया। लेकिन जब मुख्य मंत्री जी के ही शब्दों में गुप्ता जी का राज्य असह्य हो गया तो मुख्य मंत्री जी ने एलान किया कि तब आन्दोलन के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं जाता। तो जो सच्चा आदमी है वह अपनी सच्ची बातों को याद रखता है लेकिन झूठा आदमी, आगे पीछे क्या कहा इसमें कोई सम्बन्ध नहीं रखता। तो आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। इसको भी सोच लिया करें कि आखिर आपकी जबान को भी दूसरे लोग पकड़ सकते हैं, आपकी लिखी हुई चीजों को भी पकड़ सकते हैं। इन सारी चीजों से मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह मामला किसी न किसी तरीके से मान लिया जाय। ५१ से नहीं हो सका, ५२ से नहीं हो सका लेकिन किसी न किसी तरह से मुख्य मंत्री जी की सरकार के ध्यान में आ गया। प्यारेलाल जी अच्छे कार्यकर्ता हैं यह उन्होंने प्रशंसा की। मेरठ जिले के रहने वाले हैं यह भी आपने सराहा। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मस्तिष्क से काम चलता है, हृदय से नहीं। लेकिन जहां तक देश को बनाने का सवाल है दोनों के समन्वय से काम चलेगा। यह हृदयहीन व्यक्ति ही कह सकता है कि हृदय की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप प्यारेलाल जी को जानते हैं तो आपके मंत्रिपरिषद् का कोई आदमी जा कर उनकी खबर तो लेता कि क्या हालत है उनकी। तो इस गरमी और भूख में उनकी जान बचाने की कृपा करें यह मेरा विनम्र निवेदन है आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

सब से पहले, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस विषय पर। जिस माननीय सदन के सदस्यगण को यह अधिकार प्राप्त हो कि सदन की सेवा करें, सदन की सेवा जनहित में सर्वोपरि है और माननीय प्यारेलाल शर्मा ने सदन की सेवा करते हुये इस सदन में कल आपके सम्मुख घोषणा की थी कि वे अगले दिन ११ बजे से अपना अनशन प्रारम्भ कर रहें हैं। श्रीमन्, इसका साफ मतलब यह हुआ कि जब वह इस सदन में नहीं रहे और अनशन के अपने निर्णय पर चले गये और इस सदन से बाहर बैठ गये और सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार ने अपरोक्ष रूप से उनको सदन की सेवाओं से वंचित करने का निर्णय लिया। मुझे सारा उपदेश मुख्य मंत्री जी का सुनने को मिला। मैं उनका लाख-लाख शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैंने उनका एक स्वरूप देखा सन् ६७ में जब वह मुख्य मंत्री बने। अफसोस इस बात का है कि कभी सत्ता की राजनीति के अलावा कोई दूसरी राजनीति मुझ को नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पर बोलें। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं कह रहा था कि सन् ६७ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि यह भाषण का अधिकार है, यह नियम ५१ का, ५२ का अधिकार है, ध्यान आकर्षण के प्रश्न का अधिकार है, सारा अधिकार है और इसी सदन के उन माननीय सदस्यों को यह बात याद होगी-जैसवाल जी को भी कि इसी सदन के सदस्य श्री राजबली जी यादव जो फैजाबाद से निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने यहां सदन में अपनी पीठ दिखाई, सिर दिखाया, पट्टी दिखाई और कहा कि फैजाबाद के एस०पी० की साजिश से उनके ऊपर यह चोट पड़ी है। उस समय भी मुख्य मंत्री जी ने जो माननीय सदस्यों को रूप दिया और उनका सम्मान किया वह भी याद है। तो आप सरकार की दया पर माननीय सदस्यों को न छोड़ें। जो उपदेश होता है उनका वह मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

अच्छी तरह से समझ रहा हूं । जैसा कि जायसवाल जी ने कहा, प्रधान जी ने कहा, जगह-जगह जिलों-जिलों में जब बी०के०डी० इन कुर्सियों पर बैठी हुई थी तब प्रदर्शन आयोजित हो रहे थे । इस प्रदेश के मुख्यालय पर अक्तूबर की कोई तारीख थी, मुझे निश्चित याद नहीं पड़ रहा है, उस समय भी एक प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनी थी । पता नहीं किन परिस्थितियों में वह हट गयी, लेकिन जनमत को जागृत करने का एक मात्र उपाय यही है और जो लोग समझते हैं कि ५ साल तक मुख्य मंत्री की पुलिस हमको जूते मारती रहे और हम ५ साल तक इन्तजार करते रहें, ५ साल तक गोलियां चलती रहें और हम ५ साल तक इन्तजार करते रहें, यह कायरता की निशानी होगी और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस कायर मनोवृत्ति की द्योतक न हिन्दुस्तान की जनता हो सकती है और न विधान सभा के सदस्य । क्योंकि हमारे सामने प्रह्लाद का रास्ता खुला है, सुखराज का रास्ता खुला है, गांधी जी का रास्ता खुला है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को आप उनकी मेहरबानी पर न छोड़ें, आप उनसे बात करें और उनके अनशन को तुड़वाने की व्यवस्था करें और यह सदन उनकी सेवा से लाभान्वित हो सके, इसकी व्यवस्था करें, मेरा आपसे यही निवेदन है ।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री बांकेलाल---

मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये... (व्यवधान)

एक सदस्य---

मैं निवेदन करूंगा मख्य मंत्री जी से कि अपनी मंत्रि परिषद् में लोगों को बैठने का तरीका सिखा दें । समाज कल्याण मंत्राणी कैसे बैठी हुई हैं, आप देखिये, इसकी व्यवस्था करिये ।

श्री बांकेलाल---

मुख्य मंत्री जी को प्रजातांत्रिक युग में बड़ी हस्ती मिली है । अगर थोड़ी-सी आपकी नजर हो जायगी तो प्यारेलाल का जीवन बच सकेगा । जितने सदस्य हैं वह सब एक परिवार के हैं । इसमें अगर कोई सदस्य अलग हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है । तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप प्यारेलाल जी की जान की रक्षा किसी न किसी प्रकार करें और उनकी मांगों पर विचार करें । उनका जो वक्तव्य हुआ उसको सुनने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह कुछ कर सकते हैं और बड़ी उम्मीद में रखता हूं मुख्य मंत्री जी से । अगर वह अब भी नहीं सुनते हैं तो फिर यही कहना पड़ेगा---

गुल वह चढ़ायेंगे लहद पर जिन से यह उम्मीद थी,
वह भी पत्थर रख गये सीने पै मर जाने के बाद ।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे बोलने के लिए समय चाहा और आपने हमें समय दिया । इससे परेशानी होती है जब बोलने को आप किसी को कहें । कोई और बोले ।

श्री अध्यक्ष---

आप बोलें ।

श्री अनीसुर्रहमान---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल यह है कि कोई माननीय सदस्य ५१,५२ और सारी दफात का प्रयोग करने के बाद जब इस तरह परेशान हो जाय कि वह भूख हड़ताल पर बैठे तो

उसके लिए माननीय सदस्यों ने आप से यह आज्ञा चाही है कि वह लू और धूप में वहां भूख हड़ताल न करके इस सदन में बैठें । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के सिलसिले में मैं आपका ध्यान राजस्थान के विधान सभा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां भूख हड़ताल पर नहीं, और एक ही नहीं बल्कि कई सदस्यों ने बैठ कर खाना खाया था और अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दे दी कि आप खाओ-पियो, बैठो और अपना विरोध प्रकट करो । श्रीमन्, मैं १,२ बात कह कर बैठ जाऊंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, प्यारेलाल जी जिला मेरठ से चुन कर आये हैं । उनके जिले में जहां जाति-पांति की आंधी चली मुख्य मंत्री के जिले में। जहां पिछड़ी जाति को वोट नहीं डालने दिये गये । वहां से चुन कर आये हैं । श्रीमन्, प्यारेलाल जी मुख्य मंत्री के जिलें के मामूली एम०एल०ए० नहीं जांति-पांति की आंधी और थैलियों को काट कर आये हैं । हमारी पार्टी के सिद्धांतों को लेकर आये हैं। श्रीमन्, उस नगर से चुन कर आये हैं जहां सेठ की थैलियों का खुल कर प्रयोग हुआ था । श्रीमन्, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि ऐसा प्रतिनिधि धूप में पड़ा रहे और भूख-हड़ताल करे? माननीय मुख्य मंत्री जनतंत्र की दोहाई देते हैं । तो जनतंत्र इस तरह से नहीं चलता है कि सुबह कुछ कह दीजिये और शाम को कुछ कह दीजिये । श्रीमन्, इससे काम नहीं चलेगा । आपने कह दिया कि भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा । ठीक है साधारण तौर पर वह न करे, लेकिन जब एक एम०एल०ए० परेशान हो जाय और मजबूर हो जाय भूख हड़ताल करने के लिए, उसको अपने जिले की पूरी जानकारी है, तो फिर यह कहा जाय कि जनतंत्र इस तरह से नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा जनतंत्र ? मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को कह दिया कि किसी के दबाव में नहीं आयेंगे । यह कह कर आपने हमें रास्ता दिखा दिया कि आप प्रधान मंत्री को दबायेंगे और हम आपको दबायेंगे । हम दबायें या न दबायें, लेकिन अन्तर आत्मा की पार्टी के लोग जो बैठे हैं, वह जरूर आपको दबायेंगे, अपनी अन्तरात्मा की पुकार से दबायेंगे । मैं तो कहूंगा कि आप अपनी अन्तरात्मा से पूछें कि कैसे चुन कर आये हैं । राजनीति डर और दबाव के कारण गन्दी हो रही है । श्रीमन, मैं यह जानना चाहूंगा कि यहां जो सदस्य बैठे हैं उनके अधिकार क्या हैं ? अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए उनको अधिकार मिले हैं । उनकी सुरक्षा के लिए आपको व्यवस्था करनी है या धूप और लू में झुके पड़े रहें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैंने इस विवाद को प्रारम्भ किया था। मुझे मुख्य मंत्री जी के बोलने से पूर्व दो मिनट दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन चीजों की चर्चा की यदि उनको स्वीकार कर लिया जाय तो कोई भी बड़े से बड़ा कार्य जो जनहित का हो उसको पांच वर्ष तक इन्तजार करना चाहिये । आपको याद होगा जो इंडियन पार्लियामेंटरी एसोसिएशन की एक मीटिंग नैनीताल में हुई उसमें गांधी जी का एक वाक्य लिखा हुआ मौजूद था कि जनतंत्र केवल वही होता है जिसमें कि माइनारिटी की, अल्पमत की बात सुनी जा सके । नीतियों की बात तो अलग है। बी०के० डी० की नीतियां हम कांग्रेस वालों की नीतियां अपनी-अपनी हो सकती हैं और उन नीतियों में पांच वर्ष बाद परिवर्तन होता है लेकिन किसी जगह चुनाव पांच वर्ष तक इसलिये न कराया जाय कि आज मैं वहां अल्पमत में हूं और आप बहुमत में हैं तो श्रीमन्, यह चीज कभी समाप्त होने वाली नहीं है । जहां तक यह भूखहड़ताल की बात है यदि यह बिलकुल गलत शस्त्र है तो क्या उन दिनों को हम भूल जायं जो पूना में हिन्दुओं के पिछड़े हुए भाइयों को हिन्दुओं से अलग न किया जाय इसके लिए गांधी जी ने भूख-हड़ताल की थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने को गांधीवादी कहते हैं। इस नाते मैं पुनः उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें न करें। हमारे एक माननीय सदस्य का प्रश्न है, उसने भूख हड़ताल का साधन लिया है क्योंकि उसकी दृष्टि में और साधन अफसल हो गये.। मुझे केवल शिकायत यह है कि वह माननीय सदस्य कल से भूखे हैं और आपने कल से आज तक यह नहीं देखा कि उस गरीब की मांग क्या है ? इसका मुझे दुख है। इसका मुझे दुख नहीं कि आपने

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

पत्र नहीं पढ़ा । पत्र तो हम न मालूम कितनी बार नहीं पढ़ते लेकिन जो इस सदन का माननीय सदस्य है और कल से भूखा बैठा है उसकी क्या मांग है इसकी जानकारी होनी चाहिये । मुख्य मंत्री जी अपने में और अन्य माननीय सदस्यों में बहुत ऊंचाई और दूरी न समझें । मुझे बड़ा दुख है कि वह केवल अपने और इन माननीय सदस्यों में ही दूरी नहीं समझते बल्कि अपने में और अपने मंत्रियों में दूरी समझते हैं जिसके कारण सदन को आज इस दुर्व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इनको और सुने लेता हूं । अब आगे कोई बोलेंगे नहीं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, १५ सेकेंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा । माननीय सदस्य अलीगढ़ ने कहा कि प्यारेलाल जी जो मेरठ से जीतकर आये हैं वह गैर मामूली हैं । तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहूंगा कि सदस्यों में भी क्या कोई ग्रेड है ?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह अच्छे आदमी हैं । इसलिये उन्होंने कहा है ।

*श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, कई बार मेरे मित्र जो सामने बैठे हुए हैं श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी यह शिकायत कर चुके हैं कि मैं अपने आप को ऊंचा समझता हूं माननीय सदस्यों से ही नहीं बल्कि अपने साथियों से । मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दूं और क्या सबूत है उनके पास सिवाय इसके कि उनकी कोई दलील जो मुझे गैरमाकूल लगती है उस पर मैं कभी खामोश रहता हूं या मुस्करा देता हूं और शायद मेरा मुस्कुराना उनको खराब लगता हो तो यह बात दूसरी है । अध्यक्ष महोदय, असल बात यह है, मुझे माफ करेंगे, यह उनकी बात उनकी इनफिरियारिटी काम्प्लेक्स की द्योतक है और मैं तो उन्हें अपने बराबर ही समझता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे कोई इनफीरियारिटी नहीं है चौधरी साहब । इनफीरियारिटी काम्प्लेक्स आप में है जो सदन में इस तरह की बात करते हैं ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जिस सिलसिले में हमारे मित्र श्री गोविन्द सिंह जी नेगी बोले हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, का मैं जवाब दे रहा हूं ।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि श्री गोबिन्द सिंह जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियेंस किया । मैं कहता हूं कि वह नाजायज था, एक बगावत थी और बगावत करने का हक है हर कौम को, हर व्यक्ति को, जैसी कि सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे मुल्क में । वह सरकार हमारी मरजी के खिलाफ, हमारी मरजी से यहां पर नहीं कायम थी । वह फारेन गवर्नमेंट थी और उसने हमारे मुल्क को तलवार और ताकत के बूते पर जीता था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय मुख्य मंत्री का कहना कि मर्जी और बहुमत के खिलाफ तो बी०के०डी० जिसके वह नेता हैं, बहुमत में नहीं है।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो बहस कर ा संभव नहीं हो सकेगा जिस प्रकार से माननीय सदस्य बीच-बीच में बोलते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा कि सत्याग्रह महात्मा जी ने करवाया इसलिये कि फारेन डोमिनेशन था, वह फारेन के लोग तलवार के बूते पर यहां पर, हम पर शासन करने लगे थे और वे लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, हमारे वोट पर नहीं थे, हमारी मर्जी से नहीं थे और ऐसी सूरत में हमको बगावत करने का हक था। उस समय उनको निकाल फेंकने के लिए तलवार लेकर भी या और जो भी तरीके हो सकते थे हम कर सकते थे। उन्होंने मिलिट्री वीपन्स लेकर, तलवार लेकर यहां पर गवर्नमेंट बना ली थी और उनको बिना ताकत का इस्तेमाल किये हुए निकालना मुश्किल था। हमारे पास उनके समान वीपन्स नहीं थे, मिलिट्री नहीं थी इस कारण महात्मा जी ने यह विचार किया कि अंग्रेजों को ताकत के बल पर नहीं निकाला जा सकता है इसलिये उन्होंने अहिंसात्मक आन्दोलन और सत्याग्रह को अपनाया 'It was all the reward itself and a civil disobedience is the substitute of armed revolt.' क्या आप यह समझते हैं कि यह जो गवर्नमेंट है, आपकी राय में सही गवर्नमेंट नहीं है ? जनता ने ही अपनी मर्जी से चुनकर इसको भेजा है। स्टेट हो अथवा दिल्ली, जो अपोजीशन है उनकी राय अलग है और रूलिंग पार्टी की राय अलग है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि इस रूलिंग पार्टी की हुकूमत मिलिट्री पावर है। लोगों की कन्सेंट से ही यह गवर्नमेंट आफिस में है। यहां पर गवर्नमेंट बदल सकती है लेकिन उसके बदलने का तरीका है वोट, बैलेट अथवा एलेक्शन के जरिये से ही गवर्नमेंट बदल सकती है। इसलिये आप मास सत्याग्रह या वायलेंट सत्याग्रह करें तो यह नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विकल जी ने कहा कि यह डिमांड्स मेरे सामने पहली मर्तबा आई थीं। ये सारी डिमांड्स कुछ पहले और कुछ बाद में आयीं। मैं दो-तीन बार गया, गांव वालों से मिला, शहरवालों से बातें कीं। मुझे याद नहीं है कि कितनी डिमांड्स थीं परन्तु उनमें से बहुत-सी डिमांड्स हल करवा दी गई थीं। यह तय हुआ था कि आगे से कोई इस प्रकार से एक्वायर नहीं की जायेंगी। वह जो अपनी अपनी एक्वायर कर रहे थे, गवर्नमेंट आफ इंडिया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जरिये जमीन एक्वायर करना चाहती थी। हमने उनसे कहा कि एक्वायर करें, वह नहीं माने। तो वह एक्वायर हुई। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसके बाद कोई जमीन हस्तगत नहीं हुई है, एक्वीजीशन सन् ६६ के बाद नहीं हुआ। तो आपका यह कहना कि जमीन वहां पूरी एक्वायर हुई है, ठीक नहीं है। सब्जैक्ट टु करैक्शन में कह रहा हूं, लेकिन मेरी जो सूचना है वह सही है। अब रही मुआविजे की बात। मुआबिजा कैबिनेट में तय हुआ और गजों के हिसाब से दिया गया है। जो जमीन सड़क के पास है उसका ज्यादा और जो हटी हुई है उसका कम, और किसान उससे सन्तुष्ट हैं। आपका यह कहना कि मैंने यह कहा था कि बड़े किसानों की जमीन ली जाय और छोटों की न ली जाय मेरा दृष्टिकोण बेशक यह है लेकिन जब जमीन एक्वायर की जायेगी तो एक सिलसिले में की जायेगी, यह नहीं हो सकता कि छोटे किसानों की जमीन अगर बीच में आ जायं तो उसे छोड़ दिया जाय।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

प्यारेलाल जी की बात पर कहें।

श्री चरण सिंह---

उसी पर तो कह रहा था । तो ऐसी कोई उस वक्त डिमांड नहीं थी । फिर, माननीय प्यारे लाल जी ने कभी आकर मुझसे विचार-विनियमन नहीं किया । २७ तारीख को डेढ़ लाइन की एक चिट्ठी मिली जो बाद में मुझे मालूम हुआ और १ मई को जो जवाब गया वह मुझे दिखलाया गया । आफिस ने सही बात को, संबंधित मंत्री के पास भेज दिया । वह उनसे जाकर बात कर लेते । श्रीमन्, हमारे मित्र जायसवाल साहब खड़े हुए । उनके बात करने के तरीके से हम लोग परिचित हो चुके हैं । उनका शिष्टाचार उन्हें मुबारक । एक ढंग से कहते हैं कि मैं झूठा आदमी हूं । यह हक है उनको । इस सदन में सबको कहने का हक है, दूसरे की नियत पर हमला करने का हक है । आपने कहा कि जो सही आदमी होता है.... (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

एक अंग्रेजी की कहावत याद दिलाना चाहता हूं जिसका अर्थ है....

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह---

आप कहते है कि मैनीफैस्टो में यह है और गलतबयानी है । (व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिये आप कहते हैं कि यह बात थी, वह बात नहीं थी लिहाजा आप झूठे हुए । आपके शिष्टाचार के मुताबिक भी मैं झूठा नहीं साबित होता । मेरा मैनीफैस्टो देखिये । उसमें लिखा है और महात्मा गांधी जी के शब्दों का कोटेशन है---उसमें लिखा है कि मास सिविल डिसओबीडियेंस जो है वह सब्स्टीट्यूट है आर्म्ड रिवोल्ट का । इसलिये बी० के० डी० पब्लिक ग्रीवान्सेज को हल करने के लिए घिराव या मास सिविल डिसओबीडियेंस नहीं करेगी लेकिन उस में गुंजायश है । महात्मा जी दो-तीन सत्याग्रह के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मास सिविल डिसओबीडियेंस से टेंशन, हेटरेड और वायलेंस का एटमासफीयर पैदा होता है । इसलिये सन् ४१ से ही चुन-चुन कर आदमियों को भेजा । तो हमारे मैनीफैस्टो में इंडिवीजुअल सिविल डिसओबीडियेंस के लिए गुंजाइश थी । जैसी कि जायसवाल जी ने मिसाल दी (व्यवधान) महात्मा जी ने पाकिस्तान को रुपया दिलाने के लिए भूख-हड़ताल की कि इतना रुपया उन्हें दो । बिल्कुल ठीक किया । महात्मा जी के साथ हम अपने को इक्वेट नहीं कर सकते (व्यवधान) मैं उन्हीं चीजों का जवाब दे रहा हूं । आप मेरी बात मेहरबानी करके सुनें । महात्मा जी ने भूख-हड़ताल की, ठीक किया । हममें से कोई आदमी अपने आप को महात्मा जी के लेबिल पर नहीं रख सकता । उन्होंने भूख-हड़ताल की तो उनका कोई स्वार्थ नहीं था । लोग तो यहां भूख-हड़ताल करते हैं वे या तो व्यक्तिगत या पार्टी के इन्टरेस्ट को सामने रख कर करते हैं इसलिये उनसे तो हम इक्वेट नहीं कर सकते । उन्होंने कहा कि हम में से हर कोई सरकार पर दबाव देकर कर सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के सामने तो पूरी मानवता का दृष्टिकोण रहता था । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, इस तरह से क्या किसी की समझ में नहीं आता जो आप बता रहे हैं । आप टोकिये मत आप को किसी ने नहीं टोका ।

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, केवल एक ही बात और कहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे सदन के एक माननीय सदस्य कल से उपवास कर रहे हैं, गर्मी के दिन हैं, क्या फेरूमान की तरह वह भी तड़प-तड़प कर मर जायं तभी आप समझेंगे कि कुछ हुआ। मैं देख रहा हूं कि यहां दो घंटे से तमाम महात्मा गांधी और समाजवाद की फिलासफी बताई जा रही है लेकिन आप मुझे यह बतायें कि श्री प्यारे लाल के बारे में क्या निर्णय लिया जा रहा है? श्रीमन्, आप से ही कहूंगा क्योंकि आपका हृदय मुलायम है और आप गांधी जी के आदर्शों को और सिद्धान्तों को मानने वाले हैं, इन क्रूर चीफ मिनिस्टर के सामने तो कोई चीज नहीं, किसी चीज का उन पर कोई असर नहीं होता। एक आदमी इस गर्मी में अनशन करता है जो हमारी तरह ही यहां का सदस्य है, अगर कभी बेटा भी बाप के सामने जिद्द करता है तो बाप उसको उठाता है लेकिन.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठें, मैं बतलाना चाहता हूं कि श्री बांकेलाल जी ने यह कहा था कि आप हमारी बात सुन लें चाहें वह बुरी लगे या अच्छी लगे और फिर मुख्य मंत्री जी की भी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह---

मुझे तो यह जानकर खुशी हुई कि आप अब बांकेलाल जी को अथारिटी मानने लगे और मैं तो उन्हें शुरू से ही अथारिटी मानता रहा हूं। (हंसी) अब मैं केवल एक बात कह कर बैठ जाऊंगा। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि आप की पुलिस गोली चलायें और हमें ५-५ साल तक इंतजार करना पड़े। जो संविधान में है और जो कायदा कानून है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी, उसी पर डेमोक्रेसी चलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से आप लोग बीच में न बोलें।

श्री चरण सिंह---

इस तरह से जो बीच-बीच में वह कहते हैं मैं उसको सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप अब किसी से पूछिये नहीं, अपनी बात कहिये।

श्री चरण सिंह---

मैं अर्ज करूंगा कि मेरे मित्रों ने यह मांग की कि चूंकि भूख-हड़ताल हुई है इसलिये उनकी बात सुन ली जाय और उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाय, जो कुछ वह चाहते हैं, जो कुछ उनकी मांगें हैं वे पूरी हों क्योंकि भूख-हड़ताल उन्होंने की है। आप मान लें कि माननीय शांति प्रपन्न जी, जो शायद कभी ऐसी गल्ती नहीं करेंगे, लेकिन फर्ज करिये कि इतना समझदार आदमी भी कल को यह कहने लगे कि ऋषिकेश को निकाल कर सहारनपुर में शामिल कर दिया जाय वर्ना मैं भूख-हड़ताल करता हूं और मेरे मित्र नित्यानन्द जी यह कहने लगें कि हमारे यहां फलां सड़क बनाई जाय वर्ना मैं भी भूख-हड़ताल करता हूं और मेरे मित्र हर जायज चीज और हर उस चीज के लिये जो जायज न हो, भूख-हड़ताल करने लग जायं तो उन मांगों को पूरा करना और उनको भूख हड़ताल के कारण सुनना कहां तक मुमकिन होगा और उचित होगा? यह मैं आपकी ही बुद्धि पर छोड़े देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब बहुत हो गया अब मैं कहूंगा । (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपकी अनुमति से मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसके सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें । चाहे कुछ भी हो मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं । यहां पर बहुत से कारण उपस्थित किय गय, महात्मा गांधी जी की बात भी कही गई । मैं भी उनका भक्त हूं। मैं यह बात मानता हूं कि दिमाग से काम करना चाहिये और विनोबा जी ने भी कहा है कि जैसा समय आता है, उस समय जैसी आवश्यकता हो, वही करना चाहिये। सरकार के लिये अनशन के नाम से या अन्य किसी नाम से दबना नहीं चाहिये । इस प्रकार से कोई काम नहीं होना चाहिये लेकिन यह जरूरी बात होती है, दिल में भी उठती है कि एक मनुष्य होने के नाते अगर एक आदमी अनशन कर रहा है और भूखों मर रहा है तो उसके प्रति हमारी कुछ सहानुभूति होनी चाहिये । यह चीज दोनों अलग-अलग हैं । एक तो दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिये और दूसरे मनुष्यता के नाते सहानुभूति होनी चाहिये । वे मेरे पास आये थे और मैंने उनसे कहा था कि घर पर अनशन कीजिये, यहां सड़क पर न कीजिये। यहां पर आप सदन में आयें, यहां पर भी थोड़ी देर तक अनशन चले लेकिन शाम को अपने घर पर चले जायं। मेरे पास उनका कोई पर्चा नही था। मैंने कहा कि मुझको दे दिया जाय और मैं देखूं कि उसमें क्या है। मैंने इस सम्बन्ध में आरम्भ में ही कहा है कि इसमें बहस नहीं होनी चाहिये लेकिन इतनी लम्बी बहस चल पड़ी । जो प्रश्न आपने मेरे ऊपर छोड़ा है, बहुत-सी बातें छोड़ी हैं उसको मैं देखूंगा। मैं यहां के भी लोगों से बात करूंगा और वहां के भी लोगों से । सबकी भावनाओं को मैं देखूंगा और प्रयत्न करूंगा कि अगर कोई हल निकल सके तो अवश्य प्रयास करूंगा । अब इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिये। जो हल होगा वह ऐसा होगा जो सबका सम्मान रखते हुये होगा ।

इसके ऊपर एक और प्रश्न दफा ५१ में आया है । मैंने उसको कल के लिये स्वीकृत किया है। उसमें अजन्ता सिनेमा के बारे में भी है। मैं यह भी कर सकता हूं कि अगर आप उस पर किसी वक्त बहस चाहें, तो मैं उसके लिये भी समय मुकर्रर कर दूंगा लेकिन जानकारी हासिल करके कोई रास्ता अगर नहीं निकलता है तो चर्चा होगी और अगर रास्ता निकल आता है तो झगड़े की बात नहीं रहेगी ।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में जो आज सदन में पूछे गये हैं, उनके बारे में एक जानकारी करना चाहता हूं। आज मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच खोलने के बारे में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सरकार का कोई निर्णय नहीं है। लेकिन पहली सरकार में जो न्याय मंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि मेरठ में सरकार हाईकोर्ट की ब्रांच खोल रही है। तो यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री अध्यक्ष---

यदि माननीय सदस्य मेरे पास लिख कर भेज देंगे तो मैं पूछ कर बता दूंगा। यहां पर इस प्रकार के सवाल-जवाब नहीं हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९-७०) का पंचम प्रतिवेदन जो तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६२-६३) के उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक आस्थानों के निर्माण से सम्बन्धित सातवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, सदन में प्रस्तुत करता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास दो विशेषाधिकर के प्रश्न आये हैं। मैं इन पर कल निर्णय दूंगा। मैं इनको अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाया हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

आप भी इसका अध्यन नहीं कर सके हैं। यदि आप इसको पढ़ कर सुना दें तो सदन को मालूम हो जाय कि प्रश्न क्या हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं केवल पढ़कर ही सुनाऊंगा। पर कल ही चर्चा होगी। अगर पढ़ कर सुनाऊंगा तो शुरुआत हो जायेगी बहस की।

श्री कृष्णानन्द राय---

कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं फैसला कल दूंगा।

---

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

पहला विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय कृष्णानन्द राय तथा अन्य सदस्यों की ओर से है—"चौ० चरणसिंह ने जिस दिन से मुख्य मंत्री का भार ग्रहण किया है इस सदन में स्वयं तथा राज्यपाल के सम्बोधन के माध्यम से यह घोषणा की थी कि वे प्रदेश के चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने ३ सदस्यों की एक समिति बना दी है जो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की पूरी योजना १ महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी। बावजूद इस घोषणा के चौ० चरण सिंह ने न तो आज तक राष्ट्रीयकरण किया और न उसकी ३ सदस्यों की समिति ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया। गत सप्ताह में विधान सभा में मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में घोषणा की थी कि २–३ दिन के अन्दर चीनी मिलों के सम्बन्ध में योजना प्रस्तुत कर देगी। उसी के साथ मुख्य मंत्री सदन में राष्ट्रीयकरण करने की जो उनकी पूर्व घोषणा थी उसे एक दम अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि समिति को चीनी मिलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने में कठिनाई हो रही है। यह जितना आसान लोग समझते हैं उतना आसान यह मामला नहीं है। चीनी मिलों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की सदन में घोषणा जानबूझ कर ऐसी हो रही है जिससे सदन में एक भ्रम का वातावरण फैल गया है। वह चीनी मिलों के सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा न करके अपने पूर्व घोषणा से विचलित होकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। सदन को जान-बूझ कर अन्धकार में रखना और गलत नीतियों की घोषणा सदन में करना, सदन के विशेषाधिकार की स्पष्ट अवहेलना है।" दूसरा प्रश्न श्री जायसवाल ने दिया है। वह इस प्रकार है :—

"दिनांक २९–४–७० के अपने उपवेशन में विधान सभा ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के उत्सादन का संल्कप पारित किया था।

भारतीय क्रान्ति दल, उ० प्र० के मंत्री एवं नव-निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद्, उ० प्र० श्री राजबहादुर जी द्विवेदी ने ऐसी हरकतों से जैसे, पैर पकड़-पकड़ के, विवश करके विधान सभा के कतिपय सदस्यों से एक प्रस्ताव, जिसका आशय है कि विधान सभा अपने उपर्युक्त संकल्प पर पुनर्विचार कर, उसे निरस्त करें पर उस संकल्प के पारित होने के बाद से आज तक की अवधि में हस्ताक्षर प्राप्त किये हैं।

यह विश्वास करने के लिये उचित कारण विद्यमान हैं कि उनके प्रश्नगत प्रवास व अभियान में श्री राजबहादुर जी द्विवेदी को मुख्य मंत्री का भी प्रसाद, आशीर्वाद, अनुमोदन व समर्थन प्राप्त है।

श्री राजबहादुर जी द्विवेदी व मुख्य मंत्री जी के इस अनुचित दबाव के कारण सभा की कार्यवाही में बाहरी हस्तक्षेप व दबाव के बिना स्वतन्त्र रूप से सदस्यों के भाग लेने के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

प्रस्तुत मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक है।
अतः प्रश्न उठाने की आज्ञा दी जाय।"

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं कल फैसला दूंगा और अब आगे की कार्यवाही लेंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिपिकों द्वारा धीरे काम करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

वर्ष १९७० की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में लगभग ८ लाख ८ हजार (८,०८,०००) परीक्षार्थी पंजीकृत हुये हैं। यह परीक्षा १७ अप्रैल, १९७० को समाप्त हुई। परीक्षाफल साधारणतः परीक्षा समाप्ति के दो–ढाई महीने के

उपरान्त घोषित किया जाता है । इस वर्ष यह कार्य न केवल सामान्य रूप से चल रहा है, वरन् गत वर्षों की तुलना में इसकी प्रगति अधिक संतोषजनक है ।

२—उत्तर पुस्तकों के बंडल दो-तीन बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान्य रूप से रेल द्वारा जाते हैं । इस प्रकार रेलवे स्टेशनों पर एक लाख बंडल दो माह तक आते-जाते रहते हैं । इससे यह भ्रम हो सकता है कि परीक्षा के बंडल कई दिनों से स्टेशनों पर पड़े हैं । कुछ बंडल तो सामान्यरूप से मई के प्रथम सप्ताह तक विभिन्न स्टेशनों पर पड़े रह जाते हैं । यह ऐसे बंडल होते हैं जिन्हें परीक्षा केन्द्र से गलत स्थान पर भेज दिया गया हो, या रेलवे की गलती से वह निश्चित स्थान पर न पहुंच सके हों, या परीक्षकों के अचानक बदलने के कारण इनका निस्तारण देर से होता है । इस प्रकार के बंडलों के स्टेशनों पर बने रहने की संख्या गत वर्ष इसी समय जो थी उससे बहुत ही कम है । इसके अतिरिक्त लगभग २/३ बंडल अन्तिम रूप से परिषद् के कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं और बाकी बंडलों की परिषद् की कार्यालय में शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

३—इस समय जो कार्य की प्रगति है उसे देखते हुये ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि परीक्षा-फल घोषित होने में कोई विलम्ब हो ।

४—जहां तक परिषद् के लिपिकों का तथाकथित नियमानुसार कार्य और धीमें कार्य करने का सम्बन्ध है, परिषद् के कुछ लिपिक १ अप्रैल, १९७० से ऐसा ही कर रहे हैं परन्तु इससे परीक्षाफल घोषित करने के कार्य में किसी प्रकार की बाधा अभी तक नहीं उत्पन्न हुई है ।

५—परिषद् के कर्णिक संघ के कुछ प्रतिनिधि शिक्षा राज्य मंत्री से इलाहाबाद में २७ अप्रैल, १९७० को मिले थे । इन मांगों पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है ।

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुये ।)

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि ८०-९० लाख कापियां इधर से उधर जाती हैं और अभी भी कई लाख कापियां परिषद् के कार्यालय के बाहर पड़ी हैं, इसकी जांच करायेंगे और यह बतायेंगे कि ऐसी सूरत में किस प्रकार परीक्षाफल जो २२ या २३ जून तक निकल जाता है, इस बार भी समय से निकल जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने जो कहा वह तथ्यों के आधार पर नहीं है । इस समय वाराणसी स्टेशन पर लगभग ४९ बन्डल पड़े हुये हैं जबकि इसी महीने में पिछले वर्ष ५३० थे । दूसरे स्टेशनों पर भी गत वर्ष की तुलना में बहुत कम हैं । लखनऊ में पिछले वर्ष इसी माह में ३२८ बंडल थे जब कि इस माह में ३२ ही हैं । कानपुर में भी केवल ४५ हैं । (व्यवधान) जो अंतिम दिन पेपर होता है उसकी रिपोर्ट कार्यालय में २५ मई तक आ जाती है । इस समय लगभग ८ हजार पुस्तकें नहीं पहुंच पायी हैं । कार्यालय में लगभग १ हजार कापियां प्रतिदिन के हिसाब से पहुंचती हैं । सम्भावना देरी की नहीं है, आशा है देरी नहीं होगी ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीया मंत्री जी....

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

श्री रामगोपाल संड—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनके नये वेतन-क्रम तथा नये पदों के सृजन आदि में कितना समय और लगेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह ऐसा प्रश्न है जिस पर शासन विचार करेगा । समय बताना तो बहुत मुश्किल है, और उनकी जो दूसरी मांगें थीं, उन पर भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहें हैं । कर्मचारियों के दुःख-सुख का ध्यान शासन को है । हमें विश्वास है कि कर्मचारी भी पूरी तरह से काम करेंगे और शासन समय-समय पर उनकी मांगों पर विचार करता रहेगा ।

मेडिकल कालेज हास्टेल, मेरठ में देहरादून के एक लेक्चरार, श्री खेमराज कुकरेजा की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

पुलिस चौकी, मेडिकल कालेज, मेरठ, में दिनांक २८-३-७० को सवा तीन बजे दिन श्री रूपचन्द्र विद्यार्थी, एम फील न्यू बाइज हास्टल मैडिकल कालेज, मेरठ ने एक तहरीरी रिपोर्ट दी कि आज करीब डेढ़ बजे दिन टेस्ट में जाते समय जब वे श्री के० आर० कुकरेजा को बुलाने उनके कमरे पर गये तो कमरा अन्दर से बन्द था । आवाज देने और दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो दरवाजे को धक्का दिया गया जिससे सीमेन्ट टूट गया और किवाड़ खुल गये। अन्दर जाकर देखा कि श्री कुकरेजा चारपाई पर चादर ओढ़े मरे पड़े थे । तत्काल प्रोफेसर मूर्ती को खबर की दी गई । वे कुछ आदमियों के साथ मृतक को देखने आये ।

इस सूचना पर पुलिस चौकी के एक सब-इन्सपेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने एक रीडर तथा कुछ विद्यार्थियों के समक्ष पंचायतनामा तयार किया । पंचों की राय में श्री कुकरेजा की मृत्यु अधिक सोडियम गार्डनियल के खाने से हुई । उनकी छाती व पेट पर फफोले थे तथा मुंह से काला व नीला पानी आ रहा था । मुंह, चारपाई या फर्श पर खून नहीं था। उनकी चारपाई तथा मेज से अन्वेषणकर्ता को सफेद से रंग की गोलियां जो सम्भवतः सोने की गोलियां थीं व ५ केप्सूल मिले जिन्हें सील बन्द किया गया । श्री कुकरेजा का शव पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया । पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका । विस्तरा तथा मृतक के कमरे से प्राप्त कैप्सूल कैमिकल परीक्षक के पास भेजे जा रहें हैं । अब तक की जांच से इस मृत्यु के विषय में किसी अपराध का होना प्रतीत नहीं होता है। इस विषय को लेकर स्थानीय जनता व विद्यार्थियों में कोई असन्तोष प्रतीत नहीं हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका और मृतक के परिवार वालों ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन्हें सूचना देने के पहले ही शव पोस्टमार्टम के लिये चला गया तथा उनके प्रार्थना-पत्र में यह भी दिया है कि खून वहां पर पाया गया, इस प्रकार इन बातों में हम विरोधाभास पाते हैं । तो क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेंगे ताकि मृतक के परिवार को संतोष हो सके और सही जांच हो सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जांच अभी समाप्त नहीं हुई है, जांच हो रही है । जो आपने बात बतलाई है, उसको भी जांच में हम ध्यान में रखेंगे ।

(श्री नित्यानन्द स्वामी के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

वक्तव्य पर सूचना मात्र ही मांगी जा सकती है । अब आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते, बैठ जाइये । इस में स्पष्टीकरण मात्र ही दिया जा सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूछ लूं । मैंने उच्चाधिकारियों से जांच की बात कही है । वहां जांच तो दरोगा जी कर रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि परिस्थिति को देखते हुए वह उच्चाधिकारी से जांच कराने क्या जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने वक्तव्य दिया और स्पष्टीकरण भी दिया । अब आपके लिये प्रश्न पूछने की नियमों में रोक है । अब आप बैठ जाइये । मैं उन्हें कह नहीं सकता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इससे तो मेरे प्रश्न का कुछ अर्थ ही नहीं रह गया यदि इसका उत्तर नहीं मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस समय यह मांग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो आपके पास उपचार शेष है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस समय आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिये मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता हूं । यह नियम का प्रश्न है । आपने वक्तव्य मांगा था वह आ गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर आपको फिर पूछने का अधिकार रह जाता है । अगर इस प्रकार की परिपाटी चलेगी तो आगे कठिन हो जायगा । इसलिये मैं विवश हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं तो इस वक्तव्य के अन्तर्गत ही बात कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं विवश हूं । जो उन्होंने वक्तव्य दे दिया है वह पर्याप्त है । यदि आप यह समझते हैं कि यह कार्यवाही नियमतः पूरी नहीं हुई है तो आपके कर्त्तव्य के अधीन आपके सामने उपचार मौजूद है । इस प्रश्न को सदन में फिर उठा सकते हैं । वह अधिकार आपको है ।

देहरादून अस्पताल में हरिजन युवती, मीना मालती द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

समाज कल्याण उपमंत्री (श्री गुलाबसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मीना माल्ती टमटा के बारे में विभाग को सूचना सर्वप्रथम जिलाधीश, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक १५ नवम्बर, १९६९ द्वारा प्राप्त हुई थी। इस पत्र में जिलाधिकारी ने निदेशक पशु पालन को यह सूचित किया था कि श्री देवेंद्र सिंह रावत, पशु चिकित्सक नौगांव और एक स्त्री मीना मालती टमटा, जो पियौरागढ़ में, जहां श्री रावत इससे पूर्व पद पर स्थापित थे, दाई थी, एक झगड़ा उत्पन्न हो गया है जिसका सारांश यह है कि मीना मालती ने, जो खुद को श्री रावत की विवाहिता बताती हैं, नौगांव आकर यह मांग आरम्भ कर दी है कि श्री रावत उनको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लें। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला दीवानी का है और इसमें प्रशासन किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकता। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने संस्तुति की थी कि इस मामले में प्रथम कार्यवाही के रूप में श्री रावत को नौगांव, जिला उत्तरकाशी से तुरन्त स्थानान्तरित कर दिया जाय। जिलाधिकारी ने तत्पश्चात् २५ नवम्बर को एक पत्र सरकार को भेजा जिसमें उन्होंने सरकार को श्री रावत और मीना मालती के बारे में जो सूचना उनको प्राप्त हुई थी दी थी और बताया था कि उन्होंने इस संबंध में निदेशक से संस्तुति की है कि वह श्री रावत का तबादला कर दें और तदुपरान्त अन्य कार्यवाही, जो आवश्यक हो, करें। सरकार ने इस पत्र के प्राप्त होने पर निदेशक को आवश्यक हिदायतें जारी कर दीं।

२—जिलाधिकारी की संस्तुति को मानते हुये श्री रावत का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर सहिया (कालसी), जिला देहरादून को कर दिया गया। निदेशक ने २ दिसम्बर, १९६९ को उप निदेशक, पशु पालन विभाग, मेरठ को आनुशासनिक कार्यवाही की दृष्टि से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के आदेश दे दिये। श्री रावत ने देहरादून में अपने पद पर १७ जनवरी, १९७० को कार्यभार ग्रहण किया। दो महीने बाद जबकि मामले में संबंधित तथ्यों को जानने तथा एकत्रित करने की कार्यवाही अभी जारी थी। जिलाधीश, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक १९ मार्च, १९७० द्वारा यह सूचित किया कि मीना मालती देहरादून पहुंच गई हैं और उन्होंने नगर में शांति भंग हो जाने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि श्री रावत को पर्वतीय क्षेत्र से किसी सुदूर स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जाय और १४ अप्रैल, १९७० को एक पत्र द्वारा पुनः इस प्रस्ताव पर जोर दिया। इसके उत्तर में जिलाधिकारी को यह सूचित कर दिया गया कि विभाग श्री रावत के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र तैयार करा रहा है और उसके तैयार होते ही उनके विरुद्ध यह कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। इस जगह यह बात स्पष्ट कर देनी है कि आरोप-पत्र तैयार करने के संबंध में श्री रावत को उनका बयान लेने के लिए बुलाया गया था परन्तु श्री रावत ने मीना मालती द्वारा लगाये गये सब आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यदि मीना मालती को उनसे कोई शिकायत है तो वह न्यायालय की शरण ले सकती हैं और वह उनके आरोपों का उत्तर खुली अदालत में देंगे।

३—मीना मालती की मांग यह है कि उनको श्री रावत के प्रति वैवाहिक अधिकार (कन्जुगल राइट्स) दिला दिये जायं और केवल कुछ दिन पूर्व अर्थात् ३० अप्रैल, १९७० को इस संबंध में उनका एक पत्र पशु पालन विभाग को प्राप्त हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, शासन इस मामले में वास्तविकता की छानबीन कर रहा था और निदेशक ने उस सामग्री के आधार पर उनको प्राप्त हुई। श्री रावत को अब निलम्बित कर दिया है तथा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर रहे हैं। परन्तु इस जगह यह बता देना अनुचित न होगा कि जहां यह कार्यवाही की जा रही है, वहां शासन इस मामले पर समुचित विचार करने

पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कार्यवाही से प्रश्नगत मामले का वास्तविक समाधान नहीं होता क्योंकि मीना मालती को वैवाहिक अधिकार दिला देने की मांग विभाग के क्षेत्र से बाहर है ।

उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जो अभी सूचना मिली है जिला अधिकारी, देहरादून से वह यह है । मीना मालती अब डी०ए०एडी० अस्पताल में अनशन नहीं कर रही हैं । चिकित्सीय सलाह के विपरीत स्वेच्छा से २ मई को, १.१० बजे अपराह्न में अस्पताल से पति के पास जाने की लिखित सूचना दे कर चली गयीं । दिन में १२.५० बजे भोजन किया, अस्पताल छोड़ते समय उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति संतोषजनक थी । दूसरी बार ४ मार्च को अस्पताल में भरती हुई । भोजन करने से इनकार करती थी, रबर की नली से बराबर खाना खिलाया जाता था और उसने इसका कोई विरोध नहीं किया । मीना मालती दाई का काम करती थी और रावत पिथौरागढ़ में १९६७-६८ में कैनाली चैना ब्लाक में सहायक पशु सर्जन था । उसका कहना है कि वहां उसकी शादी हुई थी और वे पति-पत्नी की तरह रहते थे । अब रावत ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली । रावत ने इनकार किया कि उसने शादी की और कहा कि उसने पहली बार १ जून, १९६९ को शादी की थी । उसका नाम मालती टामटा था और वह पहले से शादीशुदा थी । पुलिस की जांच से पता चलता है कि शादी न होते हुए भी उनका पति-पत्नी जैसा संबंध था किन्तु शादी प्रमाणित नहीं हुई । मीना मालती ने जिस पुरोहित का नाम बतलाया उसने इनकार किया कि उसने शादी करायी । उसने यह स्वीकार किया कि शादी को और किसी ने नहीं देखा । उन दोनों के मिलने का प्रबन्ध किया गया किन्तु वे नहीं मिले, दोनों ही कड़ा रुख अपनाये रहे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न पर नियम ५१ में मेरा भी था । मुझे बताया गया था कि माननीय डूंगरसिंह और माननीय गोविन्द सिंह जी के साथ जोड़ दिया गया है लेकिन देखने से लगता है कि मेरा नाम नहीं जुड़ा ? मेरा मतलब नाम से नहीं है, मेरा मतलब यह है कि फिर आप अवसर नहीं देंगे, सूचना मुझको भी प्राप्त करनी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका नाम इस में जोड़ दिया जाय, माननीय डूंगरसिंह बिष्ट और माननीय गोविन्द सिंह नेगी के साथ ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, वक्तव्य में अन्तर्विरोध है कि एक ओर सरकार कहती है कि शादी का सवाल दीवानी अदालत तय करेगी । दूसरी ओर यह कहती है कि हमने अनुशासन की कार्यवाही शुरू कर दी और निलम्बित कर दिया । अगर शादी का सवाल सरकार तय नहीं कर सकती कि शादी हुई या नहीं हुई तो अनुशासन की कार्यवाही किस आधार पर कर रही है ?

श्री गुलाब सिंह---

माननीय सदस्य ने जो बात कही, शादी का जहां तक मामला है वह सिविल नेचर का है लेकिन इनके संबंध में ऐसे पाये गये, जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसके अनुसार, जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिये वह उचित नहीं है। इस आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जो अनुचित संबंध उनका उनसे था न कि शादी के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या यह सही है कि जो लड़की मीना मालती है, हरिजन लड़की है और डाक्टर रावत का जो नया विवाह हुआ है वह सिविल सर्जन की लड़की है, सिविल सर्जन के प्रभाव के कारण,

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

डाक्टर रावत के ऊपर जो सरकारी कर्मचारी है आज तक कार्यवाही नहीं की गयी, जो दो दो विवाह किये ?

श्री गुलाब सिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है। और ऐसी बात नहीं ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लि०, रानीपुर, हरिद्वार के श्रमिकों की ओर से दी गई हड़ताल की नोटिस के संबंध में वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, हरद्वार को भारत हैवी इलेट्रिकल कर्मचारी संघ एच० एम० एस० एवं हैवी इलेक्ट्रिकल्स ट्रेड यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०) द्वारा १२ सूत्री मांग-पत्र दिनांक २२-४-७० को दिया जा चुका है । इस मांग-पत्र के समर्थन में दिनांक २८-४-७० के सायंकाल से २४-२४ घंटे की रिले भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी गई है । यूनियनों की मांगों का सारांश निम्न प्रकार है:---

(१) प्रोजेक्ट एलाउन्स में कटौती न की जाय ।

(२) प्रोमोशन पालिसी सीनियारिटी तथा मेरिट कम सीनियारिटी के आधार पर घोषित की जाय ।

(३) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों की तरह मेडिकल सुविधा दी जाय ।

(४) श्रमिकों के लिए मकान की व्यवस्था की जाय ।

(५) त्रिचि के श्रमिकों को दिये गये ३०० व ४०० रु० में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाय ।

(६) लाइन मैन का ग्रेड ठीक किया जाय ।

(७) यह मांग एक निर्धारित रेट पर क्वार्टर रेंट काटने, प्रोजेक्ट एलाउन्स देने तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा सुविधा देने के बारे में है ।

(८) २०० दैनिक भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाय ।

(९) ग्रीवांस कमेटियां बनाई जायं ।

(१०) ट्रेनिंग का भी नया वेतन-क्रम बनाया जाय व एरियर का भुगतान किया जाय ।

(११) इन्सपेक्शन विभाग के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर डेजिगनेशन बदला जाय, तथा

(१२) गैस प्रोड्यूसर प्लांट के कर्मचारियों को पौष्टिक पदार्थ देने का प्रबन्ध किया जाय ।

इन मांगों में से मुख्य मांग प्रोजेक्ट भत्ता दिये जाने की है जो दिनांक १-४-७० से काटा जा रहा है । इस विवाद को संराधन समिति में लिया गया था किन्तु वहां कोई समझौता नहीं हो सका था, इस दिशा में भारत सरकार को आवश्यक विचार हेतु लिखा गया है । भारत सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर विषयगत अगली कार्यवाही की जायगी ।

अब तक की मिली सूचना के अनुसार दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो सका है। प्रतिष्ठान की श्रम समिति के प्रति श्रम अधिकारीगण सजग हैं और प्रयास किया जा रहा है कि समस्या का कोई यथोचित हल निकल आये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखकर कि अब तक समझौते का कोई रास्ता नहीं निकला है और श्रमायुक्त ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रोजेक्ट एलाउन्स नहीं कटना चाहिये तो क्या सरकार इसको कम्पलसरी एडजुडिकेशन के लिए देगी ताकि हड़ताल टल जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह भारत इलेक्ट्रिकल कम्पनी भारत सरकार से संबंधित है और हमारा उसमें केवल इतना ही प्रतिनिधित्व है कि चूंकि यह कंसिलियेशन का केस है तो उसकी फाइंडिंग हमारे पास भेजी गयी है। हम ने इस बात की कोशिश की कि इसे इंडस्ट्रियल ट्रायबुनल के पास भेज दें लिहाजा हमने भारत सरकार के पास उसे भेज दिया है और उनसे एडवाइस मिलने पर हम कोई कार्यवाही कर सकेंगे।

*उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)†

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जितने भी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं वह इसके उद्देश्य और कारण में वे रखे हैं। न्यायालय के एक फैसले के कारण आवश्यक हो गया था इन अधिनियमों को संशोधित करना। माननीय वक्ता ने यह आपत्ति की थी कि इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद लगभग ५ अथवा ६ हजार मजदूरों से क्वार्टर्स खाली करा लिये जायेंगे और वे बेघरबार कर दिये जायेंगे। हम सभी लोग जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम कानूनों तथा नियमों में आस्था रखें और उनका पालन करें। जो मजदूर अवैधानिक रीति से सरकारी क्वार्टर्स पर कब्जा किये हुए हैं, कानून उनको अधिकार नहीं देता तो क्या वे इस बात को पसंद करेंगे कि वह कानून का उल्लंघन करते रहें।

कानून का अपमान करे तो ऐसी स्थिति में मैं भरोसा रखता हूं कि हमारे वे वक्ता जिन्होंने इस विधेयक में यह कमी बताई वे इस बात के महत्व को समझते हुये इसका आदर करें और कानून के अनुसार अपना जीवन ढालने की चेष्टा करें। ठीक है, गरीब हैं, मेहनतकश हैं, मजदूर हैं उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये लेकिन उस समय जब वे किसी कानून को तोड़ रहे हों तो उस वक्त वे सहानुभूति के पात्र नहीं रह जाते।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय शर्मा जी से, जिन्होंने संशोधन पेश किया है, यह निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इस विधेयक को अधिनियम का रूप देने में अपना सहयोग प्रदान करें और ऐसे तत्वों को रोकने में शासन को सहयोग दें, शासन को शक्ति दें जो विधानों की अवहेलना करते हैं, कानूनों को तोड़ते हैं। सार्वजनिक भूमि हो, सार्वजनिक गृह हो, सार्वजनिक आस्थान हो उन पर यदि किसी ने कब्जा किया हो तो उनको हटाने में शासन समर्थ हो सके और जल्दी से जल्दी उनको खाली कराया जा सके।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

---

*१ मई, १९७० की कार्यवाही में छपा है।
†५ मई, १९७० की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य को भलीभांति मालूम है कि वे एक और दो बजे के बीच खाने-पीने के लिये जाते हैं और उन्होंने स्वयं ही यह तय कर रखा है कि इस बीच कोरम का प्रश्न न उठे। अतः इस वक्त कोरम का सवाल ही नहीं उठाना चाहिये। अलिखित समझौते का यदि कोई माननीय सदस्य पालन नहीं करता है तो मुझे नियम का पालन करना ही पड़ेगा।

श्री कृष्णकान्त---

क्या अवैधानिकता ही पुरानापन है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसलिये कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए शायद खड़ा न होता किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा करने से हम लोग सभी अपनी जिम्मेदारी से हट जायेंगे, यदि इस विधेयक का कठोर शब्दों के साथ विरोध न किया गया। इस विधेयक को यह कह कर बहुत अच्छा और सुन्दर कहा गया कि जिनके पास सरकारी भूमि या सम्पत्ति गैरकानूनी कब्जे में है उसे वहां से हट जाना चाहिये। या वे लोग सरकारी सम्पत्ति पर कानूनी ढंग से काबिज हो जाते हैं और उस पर अधिकार न रहने पर भी बने रहते हैं। श्रीमन्, हमने भारतवर्ष के अन्दर कोई विधान तो स्वीकार किया है। जिस पक्ष का माननीय महीलाल जी प्रतिनिधित्व करते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस देश का एक संविधान है उसमें कुछ मौलिक अधिकार हैं और उन मौलिक अधिकारों के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि अगर उसके विरुद्ध कोई अनुशासन की कार्यवाही होगी या बेदखल करने की कार्यवाही होगी या किसी भी प्रकार की कार्यवाही होगी तो उसकी सुनवाई का पूरा-पूरा अवसर मिलेगा। उसके अन्दर दो प्रकार की व्यवस्था है। एक सिविल कोर्ट के द्वारा लोगों को बेदखल करने की तथा दूसरी सरसरी तौर पर बेदखल करने की। तो हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि दो प्रकार की प्रक्रियायें नहीं चाहिये। इससे आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है अतः उसने यह व्यवस्था दी कि एक ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु बजाय इसके, यह सरकार जो जनतन्त्र की हामी होने का दावा करती है, जब कि मैं समझता हूं कि वह इसके बिलकुल भी काबिल नहीं है, उसने बजाय इसके कि वह सरसरी प्रथा को समाप्त करती और उसके स्थान पर जो वधानिक प्रक्रिया सिविल कोर्ट की है, उसको लाती लेकिन उसके बजाय उसने यह रास्ता अपनाया है जो तानाशाही का रास्ता है, जिसमें किसी को भी उसके स्थान से बिना सही सुनवाई के अलग कर दिया जायगा। भला उसके रहते किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार से न्याय हो सकेगा ? हमारा दल इस बात का हामी नहीं कि जो गलत लोग हैं, जो गलत तौर पर किसी जगह पर बैठे हैं, उनको हटाया न जाय, जिसने गलत मकान पर कब्जा कर लिया है या खोखा बना लिया है, उसको वहां से बेदखल न किया जाय। लेकिन इतना तो आप मानेंगे ही कि अगर कोई व्यक्ति कहीं मारपीट कर देता है तो उसकी भी सुनवाई होती है, अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसकी भी सुनवाई होती है। सब को ही सुनवाई का अवसर मिलता है। लेकिन यहां आपने काम्पीटेन्ट आफीसर रखा है लेकिन उसकी कोई डेफीनिशन नहीं रखी। मान लीजिये आपने तहसीलदार को ही नियुक्त कर दिया तो उसका स्टेटस ही क्या होगा ? यहां पर आपको यह लिखना चाहिये था जिलाधीश या ए० डी० एम० को रखा जायगा। साथ ही सिविल कोर्ट के अधिकार को नहीं छीना जाना चाहिये।

आगे दिया हुआ है कि नोटिस चस्पां कर दिया जायगा। कौन नहीं जानता कि यह कैसे चस्पां कर दिया जाता है ? कहीं भी चस्पां नहीं किया जाता और दो आदमियों के दस्तखत करा लिये अथवा अंगूठा लगवा लिये जिनको ढूंढने पर भी कभी देखना कठिन है ट्रान्सफर आफ

प्रापर्टी ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि जब किसी व्यक्ति को किसी प्रापर्टी से बेदखल कराया जाय तो उसको १०६ धारा के अनुसार १ माह का नोटिस दिया जायगा बल्कि वह नोटिस उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया जायगा। उसके बारे में जो रेलेवेन्ट पंक्तियां हैं वे इस प्रकार से हैं—

"Every notice under this section must be in writing by or on behalf of the person giving it and be sent by post to the party who is intended to be bound by it or by tendered or delivered personally to such party."

इसके बारे में एक नहीं हाईकोर्ट की सैकड़ों रूलिंग्स हैं। ऐसा भी हुआ कि डाकिया गया और वह व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन उसने किन्हीं दो आदमियों के हस्ताक्षर करा लिये। ऐसे केसेज में हाईकोर्ट ने सदा ही इस बात का आग्रह किया है कि नोटिस पर्सनली सर्व होना चाहिये, व्यक्तिगत रूप से नोटिस मिलना चाहिये। कोर्ट ने सदा इस बात पर दबाव डाला कि सर्विस पर्सनली हुई है या नहीं।

जहां तक नोटिस म्याद का सवाल है वह ३० दिन के बजाय १५ दिन की कर दी गयी है। समझ में नहीं आता कि ३० दिन में क्या आसमान गिर जाता। ३० दिन में अगर किसी को न्यायिक अधिकार उसमें रहने का होता हो तो वह किसी वकील के पास तो जा सकता था, दूसरे व्यक्तियों से सलाह मशविरा तो कर सकता था। लेकिन उसको भी १५ दिन आपने कर दिया। इसमें माननीय मंत्री जी को क्या एतराज था, मेरी समझ में नहीं आया। अगर किसी ने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है तो हम यह नहीं कहते कि उसको यहां से हटाया न जाय लेकिन उसको जो सुनवाई का अवसर है वह तो ठीक रूप से दिया ही जाना चाहिये।

एक ओर सरकार ने इसमें व्यवस्था भी की है कि श्रम कालोनी में अगर किसी ने २ महीने का किराया नहीं दिया है, २ महीने का डिफाल्ट कर दिया है तो भी उसको बेदखल कर दिया जायगा। रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में भी ३ महीने के डिफाल्ट की परमीशन दी गयी है। उसके बाद भी उसको सूचना पत्र दिया जाता है और अगर वह टाइम के अन्दर रुपया जमा कर देता है तो वह डिफाल्ट नहीं माना जाता। इसके अन्दर केवल दो महीने की व्यवस्था की गयी है और वह भी श्रमिकों के मकानों के लिये। श्रीमन्, आप जानते हैं कि मजदूरों की तनख्वाह क्या है। अपने प्रदेश में मजदूर बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर वह किसी कारण से, कोई बीमार हो गया या शादी आ गयी, किराया नहीं दे पाया तो कम से कम इस अवधि को बढ़ा कर चार महीने तो कर दीजिये। एक और व्यवस्था की गयी जो और भी खराब है। इसके अन्दर यह कहा गया है कि श्रमायुक्त इस सब कार्यवाही के बाद, अगर पैसा जमा कर दिया है या उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिये मकान नहीं दिया गया तो उसके बाद उसने संतुष्ट कर दिया श्रमायुक्त को, तो फिर वह उसके साथ नये सिरे से फैसला करेगा। नये सिरे से फैसला करने की क्या आवश्यकता है? जिस आधार पर उसको मकान मिला है, मंत्री महोदय सहमत होंगे मेरी इस बात से, वही आधार कायम रहें, ऐग्रीमेंट बार-बार नहीं होता। नये सिरे से शर्तें करने की क्या आवश्यकता?

इस विधेयक के अन्दर एक नहीं अनेकों व्यवस्थायें ऐसी की गयी हैं। कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोर्ट के अन्दर नहीं जा सकता। एक सरसरी अदालत होगी और फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील होगी और फिर कहा जाता है कि कोर्ट के अन्दर नहीं जा सकता। कोर्ट के अन्दर जाने का जनता का मौलिक अधिकार है। ऐसे कानून बनते हैं लेकिन उनको हम काला कानून कहते हैं। मान लीजिये एक आदमी गलत बैठा है लेकिन वह किसी कारण से अपना अधिकार बताता है कि मैं किराया जमा करता हूं तो आप कहियेगा कि वह सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। वह अपनी बात कह कर देश के न्यायालय में न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। यह गलत बात होगी। एक और व्यवस्था की गयी है कि जो धारा १० के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

इस बात का रेफरेन्स होता था कि आया उसके ऊपर कार्यवाही सही है या नहीं, उसको हटा दिया गया है। इस सारे विधेयक के अन्दर वे सब धारायें हटा दी गयी हैं या संशोधित कर दी गयी हैं जिससे व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर मिल सकता था। यह जो यह नयी सरकार है इसकी जो तानाशाही मनोवृत्ति है, इसका परिचायक है। मुझे तो खेद इस बात का है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, अब मैं उन्हें महात्मा गांधी के चेले कहने से तो रहा, इन्दिरा गांधी के जो चेले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रजातन्त्र में आपका कुछ भी विश्वास रह गया है तो कम से कम एक व्यक्ति को आप इतना अधिकार तो दें कि वह ऊंची से ऊंची अदालत में अपनी सुनवाई करा सके। आप उसके हाथ पैर काट देना चाहते हैं। आप उसको सही नोटिस भी नहीं देना चाहते हैं और सरसरी तौर पर सुनवाई करके बेदखल करना चाहते हैं। मैं इस सारे विधेयक का जो मेरे अन्दर शक्ति है उस शक्ति के साथ विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से उनके अन्दर अगर प्रजातन्त्र की जो थोड़ी-बहुत आस्था बची है उस आस्था को मैं अपील करता हूं। इसके अन्दर कहां तक संशोधन किये जांय ? हजार संशोधन हो जायेंगे। हर पंक्ति में संशोधन हैं। मैं कल लिखने बैठा, लिख नहीं पाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि जैसे आपका रेंट कन्ट्रोल बिल आने वाला है। मैं जानता हूं कि आप उसको प्रवर समिति में देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं ? यही भावना तो है कि बड़ा इम्पार्टेंट बिल है, उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार हो जाय। इस विधेयक से भी प्रान्त के हजारों लोगों का अहित हो जायगा अगर आपने इसको इसी तरह से पास कर दिया। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, नम्रता से निवेदन है कि कृपया इसको प्रवर समिति को सौंप दें और एक महीने का समय दे दें तो रिपोर्ट आ सकेगी ताकि ठंडे दिमाग से हम विचार कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्री शर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जो हमारे राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है तथा उस पर श्री राजेन्द्र कुमार जी द्वारा जो संशोधन उपस्थित किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष जी, इस बारे में काफी विचार कल से व्यक्त हुये हैं। दो मुख्य बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इसलिये कि नैनीताल जिले के दो-तिहाई हिस्सों में बिलकुल सरकारी आस्थान नहीं है,इसलिये वहीं के लिये विशेष रूप से इस विधेयक का असर होगा,वैसे इसका असर और जगह भी होता है, जैसा नित्यानंद जी ने कहा, मैं वैसे माननीय राजस्व मंत्री जी को इसके लिये बधाई दूंगा कि जहां तक समरी ट्रायल की बात है, सारी की सारी प्रक्रिया की बात है उसको किसी दर्जे तक अच्छी समझता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि समरी ट्रायल के बाद जो एक समर्थ अधिकारी मंत्री जी ने लिखा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने नहीं कहा कि वह कौन होगा ? आजकल जैसे पटवारियों का इन्दराज चलता है, अगर वही रहा तो फिर इसमें भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार उसको डिटो कर देते हैं और भूमिधरी राइट हासिल हो जाते हैं। तो राजस्व मंत्री जी समर्थ अधिकारी की परिभाषाओं में अगर हम लोगों की भावना को माने तो जिला अधिकारी के और या अतिरिक्त जिला अधिकारी के पद से कम वाला समर्थ अधिकारी नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें सामने आती हैं। जहां तक सरकारी भू-गृहादि की बातें हैं वहां दूसरी बात भी आती है, मकान के लिये जमीन की प्राप्ति के लिये और मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस बहाने से इविक्शन कराते हैं, लिखा है—"मूल अधिनियम की धारा ६ के वर्तमान प्रतिबंधात्मक खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्—यदि सम्बद्ध भू-गृहादि, छोटी दूकान (स्टाल), खुला हुआ छोटा खेमा (छतरी या कियास्कि) या इसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण हो।....." तो यह तो उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इसके पास होने के बाद किन पर इसका असर आने वाला है। मेरा खयाल

है कि जिनके बारे में, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, जो समाजवाद की बातें करते हैं वे देखेंगे कि छोटे दूकानदारों, खोंमचे वाले और गरीबों को हम जिन्दगी देना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। ऐसे लोग उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से और पुश्तों से उन जगहों पर हैं चाहे वे बड़े शहर की अन्तर्गत वाली जगह हों या छोटे शहर की। नैनीताल जिले के खटीमा, टनकपुर आदि जगहों पर करीब-करीब पुश्तों से छोटे-छोटे खोंमचे वाले फड़ बना कर रह रहे हैं। अगर यह बिल पास हो गया और इविक्शन की कार्यवाही शुरू हुई तो मैं समझता हूं हजारों आदमी बेघर-बार और बेरोजगार होंगे, ऐसा वातावरण बन जायगा। इसलिये अगर इन छोटे-छोटे दूकानदारों को, खोमचे वालों को उजाड़ देंगे, उनके घरों को तथा फड़ों को तोड़ेंगे तो उनका बड़ा नुक्सान होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस समरी प्रक्रिया में जो समर्थ अधिकारी हैं उनको राजस्व मंत्री जी उचित आदेश देने की कृपा करेंगे कि इस तरह की जो दूकानें हैं या आवास की जगहें हैं, उनको कम से कम कीमत पर देकर रेगुलाइज करने की कृपा करें ताकि गरीब लोगों का संरक्षण हो सके।

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक भूमि को अपने अधीन करने और उसको उपयोग म लाने के सम्बन्ध में एक शीर्षक लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सार्वजनिक हित के लिये भूमि ले सकते हैं और उसका कैसे उपयोग होगा उसके बारे में लिखा है कि वह वन रोपण गरीब मजदूरों को बांटने और सहकारी खेती के कामों में आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि को भूमिहीनों में बांटने और सहकारी खेती करने की बात तो कुछ समझ में आती है। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तराई में हजारों-हजारों एकड़ भूमि बड़े-बड़े फार्मर्स ने दबा रखी है और राजस्व मंत्री में दम नहीं है कि उसको खाली करा सकें। अगर यह अधिनियम पास भी हो जाता है और लागू भी हो जाय तो भी राजस्व मंत्री जी उसे खाली नहीं करा सकेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपकी मारफत राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आप बड़े बधाई के पात्र होंगे यदि इस प्रकार की भूमि भूमिहीनों को देने का प्रबन्ध करेंगे। दो ढाई लाख एकड़ इस तरह की भूमि है। पहले भी आप जब गुप्ता जी की सरकार थी मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि जो भूमि बड़े-बड़े फार्मर्स के पास है, जो अनाधिकृतरूप से उनके कब्जे में पड़ी है उसको निकाल कर वे क्या भूमिहीनों में बांटने की कोशिश करेंगे ?

श्रीमन्, मैं आपकी मारफत से राजस्व मंत्री जी का ध्यान नैनीताल तराई एरिया में जो डैम बने हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनसे उत्तर प्रदेश के २०, २५ जिलों को खतरा पैदा हो गया है। उसमें जो भूमि प्राप्त की गई है उसके एक तिहाई या दो तिहाई हिस्से में सागर का पानी बड़ी मुश्किल से भरा जा सका है। और किसी डैम में एक तिहाई से ज्यादा भूमि बिना पानी के रह गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी सुना होगा कि इस तरह की भूमि शारदा सागर और नानक सागर में तमाम भूमि पट्टे पर छोटे-छोटे गरीब लोगों को दी गई। आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा बड़े-बड़े लोगों को भूमि देने के लिए छोटे-छोटे काश्तकारों को निकालने के लिये वहां नापाक कार्यवाही की गई है और शारदा सागर में गोली कांड हुआ और शारदा सागर में भूमिहीन मजदूर मारे गये। तो सरकार इस तरह से जो भूमि अधिग्रहण करती है यह बिलकुल नाजायज है। नियोजन की जो बात है उसका कोई तरीका होना चाहिये। उतनी भूमि लीजिए जितनी कि आपको जरूरी है। राजस्व मंत्री जी अगर मेरे साथ एक दिन का भी दौरा नैनीताल जिले की तराई में करेंगे तो शारदा सागर, नानक सागर, बंगुल सागर या ढौरा डाम वगैरह जो तमाम डैम बने है उनमें कितनी जमीन बंजर पड़ी है और किस तरह से सिंचाई विभाग वाले उस जमीन का बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं यह उनको देखने को मिलेगा। वह इस प्रकर काफी धन इकट्ठा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह निश्चित रूप से ध्यान दें और समुचित आश्वासन हम लोगों को दें।

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

जहां पुनर्वास वाले लोगों और खेतिहर मजदूरों को जमीन देने की बात है वहां कुमायूं और उत्तराखंड के लोगों को जमीन जरूर दी जाय क्योंकि उनके बसने के लिये और ऊपर कोई जमीन नहीं है और लाखों लोग भूमिहीन और हरिजन और खेतिहर मजदूर बिना जमीन के पड़े हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। मैं नित्यानन्द स्वामी जी की उस बात को स्वीकार करता हूं कि धारा १० को माननीय राजस्व मंत्री जी ने बिलकुल समाप्त कर दिया है। यह तो एक संरक्षण की धारा है। श्रीमन्, अगर हम सिविल कोर्ट में कहीं परेशान होते हैं तो फिर हम जज के यहां जाते हैं और फिर हाई कोर्ट में जाते हैं और हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम कहीं न्याय पाने में असमर्थ हो जायं तो हमें उच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार मिलना चाहिए ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय यह है कि जो छोटे-छोटे फड़ वाले हैं जैसे नैनीताल जिले के शक्ति फार्म में बंगाली कालोनी है जिसमें बंगाल के विस्थापित लोग बसे हैं। पिछली बार जब राजस्व मंत्री जी ही राजस्व मंत्री थे तो मैंने उनसे कहा था कि शक्ति फार्म का जो बाजार है उसके सभी फड़ वालों को रीजनेबुल कीमत पर उन लोगों को ही दे दिया जाय लेकिन उनको नहीं दिया गया और बड़ी-बड़ी कीमत पर दूसरे लोगों ने जाकर उसको बड़ी-बड़ी कीमत लगाकर हासिल कर लिया। जिस प्रकार उनको पहले नहीं मिली वैसे ही आगे भी नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरसरी प्रक्रिया है इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें कहीं-कहीं तानाशाही हो जायगी ।

नैनीताल जिले में किच्छा में चूड़ामणि को गलत अधिकारियों के संरक्षण से ही भूमि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य मंत्री जी के द्वारा जिलाधीश, नैनीताल को फोन करवाया। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस ढंग की बात है जो बहुत ही अनुपयुक्त है। एक आदमी किच्छा में ४ साल से सिनेमा चला रहा था। उसने ३, ४ साल में जो भी मुख्य मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे और गवर्नर रिजीम में भी इस बात की बहुत कोशिश की कि वह भूमि लीज पर उसको मिल जाय लेकिन उस गरीब को १ इन्च भी भूमि नहीं मिल पाई तथा साथ ही उसको सिनेमा का लाइसेन्स भी नहीं मिल पाया। पता नहीं चूणामणि सिंह ने क्या-क्या हथकंडा इस्तेमाल किया? कितना पैसा खर्च किया और कहां पर उसको खर्च किया और वह जमीन मोल ले ली। तहसीलदार और नायब तहसीलदार और पटवारी की कृपा से चूड़ामणि सिंह सीरदार बन गये और साथ ही भूमिधर भी बन गये। जमीन को भी मोल ले लिया तुरन्त वहां पर परमानेन्ट सिनेमा का लाइसेन्स भी ले लिया। और सिनेमा घर का कन्सट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। अगर धारा १० को हटा देंगे तो वे जिनकी भूमि चूड़ामणि सिंह ने हथिया ली जो १०, १५ सालों से उसी जमीन पर बैठे थे और वहां पर अपना छोटा-सा आवास भी बना चुके थे और अपने बाल-बच्चों के साथ रहते थे, उनके पास और कोई दूसरी भी जगह नहीं है, आज लाचार हो गये हैं। इस लाचारी की अवस्था में वे गरीब नैनीताल की अदालत में गये और वहां पर उन्होंने कहा कि हमारी बात को मुख्य मंत्री या राजस्व मंत्री कोई भी सुनने वाला नहीं है और चूडामणि की बात को सभी सुनते हैं। एक महीने के अन्दर ही चूड़ामणि की जमीन इन्दराज हो गई और उसका सभी काम समय पर सफल हो गया। उसने यह सब हांथोंहाथ करवा लिया। इसको भी आप देखें। जिला नैनीताल के सितारगंज में, खटीमा में लीज वाली जमीन के नीलाम करने का तरीका क्या है? जो लोग गरीब हैं, लीज वाली भूमि के छोटे-छोटे भागों पर अपने फड़ बनाकर बैठे थे। उनकी जमीनों का जब-जब नीलाम किया गया तो पैसे वालों ने दो-दो बीघे जमीन को २५–२५, ३५–३५ तथा ४०–४० हजार रुपयों में नीलाम पर प्राप्त कर लिया। यह जो कस्बों में, शहरों में छोटे-छोटे दुकानदार हैं उन छोटे लोगों का संरक्षण किस प्रकार से हो सकेगा? इस प्रजातंत्र के अन्तर्गत हम सभी लोग समाजवाद और समाजवादी समाज की बातें करते हैं। उसके लिये यह बहुत ही जरूरी है कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करें। इस संबंध में मैं राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, कहना

चाहता हूं कि जो उन्होंने इस अधिनियम के अनुसरण में नियम बनाने का अधिकार लिया है तो नियम को बनाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि गरीबों और छोटे व्यक्तियों को पूरा संरक्षण प्राप्त हो सके । इस संबंध में जो ३,४ रिटों का हवाला राजस्व मंत्री जी ने दिया था उनको भी इस अधिनियम के साथ नकल लगा दी जाती तो हम लोगों को यह बात मालूम हो जाती कि किस संदर्भ में उनको ऐसा अधिनियम प्रस्तुत करना पड़ा । इसको निश्चित रूप से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये और इस पर प्रवर समिति में विचार करने के लिए कम से कम एक महीना समय होना चाहिये तथा उस पर विचार-विमर्श होना चाहिये तब फिर सुन्दर रूप से और सही तरीके से इसको विधान सभा के सामने लाना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी बात इसलिये कह रहा हूं कि राजस्व मंत्री जी को ५ ऐक्ट्स बदलने पड़े हैं तथा ३,४ रिट्स के संदर्भ में यह एक नया ऐक्ट विधान सभा में प्रस्तुत करना पड़ा है। उस नये ऐक्ट में कुछ बातें अच्छी होते हुए भी बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिन पर विस्तार से विचार किया जाना आवश्यकीय है। इसलिये प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो संशोधन है वह बिल्कुल ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

घंटी बजायी जाय । सरकारी पक्ष को सतर्क रहना चाहिये ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

*राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजेंद्रकुमार शर्मा जी का और उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया, खास तौर से माननीय त्रिवेणी सहाय जी और गणेश दत्त बाजपेयी जी का जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया और इसकी खूबियों पर भी प्रकाश डाला ।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि शायद पहले मैं समझा नहीं सका इसलिये माननीय डूंगर सिंह जी और इन्द्रमणी जी की गलतफहमी को दूर नहीं कर सका । श्रीमन्, यह विधेयक सार्वजनिक भूमि के लिए है और सार्वजनिक भूमि वह है जो सरकार की है, सरकार जिसकी स्वामी है। जो जेड० ए० एल० आर० ऐक्ट में, अरबन एरिया के ऐक्ट में, या उसी तरह के कुमायूं वगैरह के जो और ऐक्ट हैं, उनमें जो काश्तकार हैं, उनके लिए इसकी मंशा नहीं है । इसकी मंशा तो उनके लिए है जो सरकारी आवास बनाये गये हैं या ऐसी नजूल लैन्ड है जो सरकार के या लोकल अथारटी के अन्डर में है और जिसका एनक्रोचमेंट होता है । तो जो बहुत-सी बातें माननीय डूंगर सिंह जी ने और एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहीं वह अपनी जगह पर ठीक हो सकती है।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

नैनीताल का सरकारी आस्थान है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वह बात अलग है। उसकी कोशिश की जायेगी। आपने एक और बात कही थी कि ज्यादातर अनधिकृत कब्जे जो हैं उनको हटाने की इसमें बात है। तो उस जमीन पर भी नहीं लगेगा जिस पर किसी ने अनधिकार कब्जा किया हो और बहुत पहले से उसकी बिल्डिंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

बनी हुई हो। उस बिल्डिंग को गिराने या हटाने में लागू नहीं होगा। केवल अनधिकार कब्जे जो बाद में बढ़ा लिये गये हों जैसे मान लीजिये किसी ने बिल्डिंग बहुत पहले बनायी थी और वह किसी तरह से मान्य हो गयी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एनक्रोचमेंट कर लिया। तो उन पर तो यह लागू होगा लेकिन जहां इमारत बनी है वहां उस का प्रभाव नहीं होगा। मैं अर्ज करूंगा कि मुझे इस को प्रवर समिति में भेजने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस में तो केवल एक ही सवाल है कि जिस पर यहां बहस हो चुकी है और एक चीज पर एक तरह से राय बनी हुई है, आपकी और राय है और यहां और राय है यह बात अलग है। सारे सूबे में एक ही चीज है जिसके लिये यह लाना पड़ा। जो प्रक्रिया बेदखली की है उस में समर्थ अधिकारी और सिविल कोर्ट का प्राविधान है और यह समरी ट्रायल से हो सकता था लेकिन हाईकोर्ट ने तय किया कि इस में डिसक्रिमिनेशन हो जाता है। तो कौन-सी प्रक्रिया इस्तेमाल करें यह सवाल हो जाता है। इसलिये अलग-अलग प्रक्रियायें नहीं होनी चाहिये। केवल इतना ही सा सवाल है और बाकी तो छोटे-छोटे सवाल हैं जिन में हम जाना नहीं चाहते और उन में ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। सवाल यही है कि सिविल कोर्ट में जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये। मेरे खयाल में तो सिविल कोर्ट में नहीं जाना चाहिये क्योंकि हम जो योजना बनाते हैं वह आवास आदि की योजना एक खास मकसद के लिए ही बनाते हैं जैसे मजदूरों का सवाल है। अगर हम उनके लिए मकान बनाते हैं तो उनमें मजदूर ही रहने चाहिये और वह रहें तो नियमानुसार रहें और वह उन का उपयोग ठीक से करें और किराया आदि वक्त से दें।

आज कल आवासों की बहुत बड़ी समस्या है, लखनऊ, कानपुर आदि बड़े-बड़े नगरों में और दूसरे छोटे शहरों में भी आवास की भारी समस्या है। यहां तक होता है कि जो इन आवासों में पहली बार अधिकारी होकर ही जाते हैं फिर उनका अधिकार भी नहीं रहता तब भी वह छोड़ना नहीं चाहते। कानपुर में ही बहुत से मजदूरों के क्वार्टर्स बने। वहां के एक बड़े अच्छे श्रम कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझे बताया कि मजदूरों के जो क्वार्टर बनाये गये थे उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और उन गलत काबिज लोगों को निकालना मुश्किल हो गया है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि श्रमिकों के लिये ही इस प्रदेश में ३१ दिसम्बर सन् १९६९ तक सरकार द्वारा बनाये गये कुल २७,९७३ क्वार्टर्स हैं और इस के अलावा जो अन्य एजेंसीज ने बनाये हैं उन की संख्या भी २६,८४७ है। इस तरह से कुल मिलाकर ५४–५५ हजार के करीब मकानात उन के लिए शहरों में और कस्बों में बने हुये हैं। इन का उद्देश्य यही था कि मजदूरों को सुविधा दी जाय लेकिन अफसोस है कि इन क्वार्टर्स में अभी तक आधे से भी कम मजदूर नहीं रहते और उन पर किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं एक मोटी-सी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इन मकानों के बनाने का मकसद क्या था, यह क्यों बनाये गये थे? वह गरीब मजदूरों को सुविधा देने के लिए बनाये गये थे और यही योजना थी कि वह आराम से उन में रह सकेंगे। लेकिन अगर कोई जबरदस्त आदमी कानून का सहारा लेकर टाइम गेन करता जाता है क्योंकि सिविल का कानून ऐसा है कि अगर कोई हाईकोर्ट तक लड़ता रहे तो वह जिन्दगी भर मुकदमों के दौरान उन में रहता रह सकता है। कानून का सहारा लेते-लेते वह कभी छूट नहीं सकता। इसलिए समरी ट्रायल का प्रोसीजर है। सरसरी तौर पर पहले भी रखा गया था। जहां तक ऐसे केसेज का संबंध है दोनों तरह की प्रक्रिया हो। हमने इसमें सिविल प्रोसीजर को रखा था न्याय की मांग को देखते हुए। इसमें यह भी था कि सिविल सूट होना चाहिये, लेकिन सूट को हाई कोर्ट ने अवैध करार कर दिया तो एक ही रास्ता निकला और वह यह कि सरसरी तौर पर बेदखली का तरीका अपनायें। सार्वजनिक क्षेत्र में यह उनके हित में है जिनके लिये ये आवास बनाये गये हैं। जो लोग अनधिकृत कब्जा किये हुये हैं, उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिये। जिन लोगों के लिए हमने ये योजनायें बनायीं थीं, उनको फायदा नहीं पहुंच पाया है। किस प्रकार से हम अनधिकृत लोगों को जिन्होंने इन आवासों पर कब्जा कर रखा है, निकालें जिसमें कानून का भी पालन हो और जिनके लिए हमने बनवाये

हैं, उनको मिल सकें, यही सरसरी तौर का तरीका अपनाना अच्छा होगा । इसलिये जितनी बहस इस संबंध में यहां पर हो चुकी है, वह काफी है और उससे ज्यादा कोई विचार प्रवर समिति में न हो सकेगा । इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने से भी कोई लाभ नहीं होगा ।

दूसरे, माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने और दूसरे लोगों ने भी जो विचार यहां पर इस संबंध में व्यक्त किये हैं, उनमें भी काफी वजन है । माननीय नित्यानन्द जी स्वामी ने कहा है कि १५ दिन की जो मियाद दी गयी है वह अवधि बहुत कम है। इस पर हम विचार करेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो १५ दिन की मियाद और बढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें हैं, जो मामूली तौर पर लोगों को मिलनी चाहिये, और एक भी आदमी के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे और उनकी ओर पूरा ध्यान रखेंगे ।

माननीय राजेंद्र कुमार जी ने यह भी कहा कि सक्षम अधिकारी एक स्तर का होना चाहिये । सिद्धांन्ततः बात तो ठीक है लेकिन व्यावहारिक वह ठीक नहीं है । कारण यह है कि जहां पर श्रमायुक्त है वहां पर लेबर कमिश्नर ही सक्षम अधिकारी होगा । यह माना कि वह कमिश्नर रैंक का अधिकारी है। अभी कुछ देर हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये जिलाधीश से ऊंचे अधिकारी हैं और कहीं-कहीं पर नीचे के अधिकारियों को सक्षम अधिकारी माना गया है। तो इसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह जैसी परिस्थिति होगी, वैसा ही किया जायगा । परिस्थिति के अनुसार कहीं-कहीं पर प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी बनाना पड़ता है। इसलिये यह रखा गया है कि वह गजेटेड अधिकारी हों । वे किसी भी रैंक के हों, परिस्थिति के अनुसार ही यह होगा ।

श्रीमन्, एक और बात इलाहाबाद के माननीय सदस्य ने कही । उन्होंने एक अजीब दलील दी कि गरीबों को रहने के लिए कोई मकान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किराया भी नहीं दे सकते हैं । उनका मकसद यह था कि वे चाहे किराया दें या न दें, उनको मकानों से नहीं निकालना चाहिये । आखिर जो मकान बनाये गये हैं, उनके कन्सट्रक्शन के दाम और उनके रख-रखाव, मैन्टिनैन्स की कास्ट भी निकालनी पड़ेगी । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस तरह से हमदरदी की बात कहना तो ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन कोई भी सरकार इस तरह का कार्य नहीं कर सकती है जब तक वह टोटेलिटेरियन सरकार ही न हो, जिसके हाथ में सारे साधन ही न हों ।

कई सदस्य—

श्रीमन्, इनकी आवाज बिल्कुल सुनायी नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

माइक फेल हो जाने के कारण दस मिनट तक के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय २ बजकर ४८ मनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और २ बज कर ५८ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

रायल होटल विधायक निवास में पानी का प्रबन्ध न होने की शिकायत

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कल इस सदन में रायल होटल में पानी न होने की शिकायत हम लोगों ने की थी । पी० डब्लू० डी० की अकर्मण्यता के कारण आज भी पानी का इन्तजाम नहीं हुआ है । आप जानते हैं कि ओवरसियर्स और इंजीनियर्स में आपस में झगड़ा और तनाव है। काम कुछ नहीं हो रहा है। कृपया पानी और बिजली का तुरन्त प्रबन्ध कराने की व्यवस्था करें । इससे माननीय सदस्यों को बड़ी तकलीफ है । इस समय बिलकुल पानी नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री धर्मसिंह)—

यह चीज कल ही मेरी जानकारी में आयी थी कि पानी की हालत खराब है और कल ही मैंने अधिकारियों को हिदायतें दे दी थीं कि नगर महापालिका से बात करके जो खराबी हो उसे तुरन्त ठीक कराया जाय । मैं अभी जाकर देखता हूं कि क्या व्यवस्था की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

***श्री चतुर्भुज शर्मा—**

उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रकुमार जी ने जो ट्रेस पासर्स और जुर्माने के बारे में कहा है मैं उसका जवाब दे रहा था । यह जो जुर्माना रखा गया है यह उन लोगों के लिए है कि जिनको एक बार इजेक्ट कर दिया, निष्कासित कर दिया, लेकिन फिर भी कब्जा जमाये बैठे हैं । यह एक प्रकार का जुर्म होगा और जुर्म के लिए सजा होना चाहिये । और इतनी ही सजा दी जायेगी यह बात नहीं है । इसमें यह है कि एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अभी इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह जुर्माना बहुत कम है । और भी कुछ माननीय सदस्यों की यह राय थी कि इसमें जुर्माना अधिक होना चाहिये । इसलिये जो प्राविधान किया गया है वह उचित ही है । इसकी मंशा इतनी ही है कि जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है उनसे जल्दी उसको खाली कराया जा सके, इसमें देरी न लगे । मैं आपसे निवेदन करूं कि अलीगढ़ के एक वकील हैं, उन्होंने अपना मकान खाली कराने के लिए सन् ३६ में दावा दायर किया था और आज तक वह मुकदमा चल रहा है। सन् ३६ से आजतक मुकदमा अलीगढ़ से ही नहीं उठा, हाईकोर्ट में जाने की बात तो बहुत दूर रही। तो इस तरह से इससे सिविल कोर्ट में जाने के लिए टाइम बढ़ाने के लिए लोग तरकीबें निकाल लेते हैं, जिसे इससे रोकने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय मित्रों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किये। यह विधेयक जरूरी है क्योंकि हमें फौरी सहायता पहुंचानी है। इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदन इस विधेयक पर विचार करने के लिए राजी हो जायेगा, क्योंकि इसे प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

अभी-अभी माननीय मन्त्री जी ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं वे अपूर्ण हैं, इस विधेयक की त्रुटियां अभी भी बनी हुई हैं, जिसे मैंने विशद विवेचन के समय मन्त्री जी और सदन के सामने रखा था । दूसरे सदस्यों ने भी अपने विचार मेरे विचारों के साथ सम्बद्ध किये हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं । मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उसमें फिर वही कमियां मौजूद हैं जो इससे पूर्व थीं और जिससे उसे संविधान के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत उसे हाई कोर्ट द्वारा निष्प्रभावित घोषित किया गया था । हाईकोर्ट ने उसे अल्ट्रावायरस घोषित करने का निर्णय लिया था । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रस्ताव, प्रवर समिति में ले जाने को वह स्वीकार करें । इससे विधेयक का लाभ होगा और जनता का भला होगा। इसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर दे दें और उसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३९, १९५२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) का अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में—

(१) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) 'समर्थ अधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए या ऐसे सरकारी भू-गृहादि अथवा ऐसे वर्ग के सरकारी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन समर्थ-अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया हो;" ;

(२) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(खख) 'डिस्ट्रिक्ट जज' का तात्पर्य उस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज से है, जिसमें सरकारी भू-गृहादि स्थित हो, और इसके अन्तर्गत ऐसा अपर डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपील निस्तारण के लिए डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा संक्रमित की जाय ;";

(३) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया ज अर्थात्:—

"(ग) 'सरकारी भू-गृहादि' का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जो राज्य सरकार का हो, या उस के द्वारा अथवा उसकी तरफ से पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहीत किया गया हो, और इस के अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के प्रबन्ध में सौंपा गया हो, चाहे वह इस प्रकार सौंपे जाने के पूर्व बनाया गया हो अथवा स्थानीय प्राधिकारी को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् सरकारी भूमि पर सरकारी निधियों से बनाया गया हो;" ;

(४) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(च) किसी सरकारी भू-गृहादि के सम्बन्ध में 'किराया' का तात्पर्य भू-गृहादि के अधिकृत-अधिवास के लिए निश्चित अंतरालों पर देय प्रतिफल है, और इस के अन्तर्गत—

(१) भू-गृहादि में अधिवास करने के सम्बन्ध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिए कोई परिव्यय,

(२) भू-गृहादि के सम्बन्ध में देय कोई कर (चाहे उस का कुछ भी नाम हो) भी सम्मिलित है, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार द्वारा देय हो;"

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ की प्रथम पंक्ति में शब्द "अधिनियम" से पूर्व शब्द "का" निकाल दिया जाय। यह अनावश्यक है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह मुझे मंजूर है और मेरी एक प्रार्थना है कि जो भी शाब्दिक संशोधन हैं उन्हें एक साथ रख दिया जाय ताकि एक साथ में उन्हें मंजूर कर लूं और उन्हें दुरुस्त कर सकूं।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २(२) द्वारा मूल अधिनियम में रखे गये खंड (ख–ख) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अंतरण" रख दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह भी मुझे स्वीकार है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

महीलाल जी कृपया यह बता दें कि वह क्यों इनको निकाल रहे हैं। यह काम तो सरकार को करना चाहिये या प्रवर समिति को ?

श्री उपायध्क्ष—

ये शाब्दिक हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें "संक्रमित" के स्थान पर "अंतरण" रखा गया है वह सही अर्थ देता है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल जिला वाराणसी)—

श्रीमन् जितने संशोधन माननीय सदस्यों ने दिये हैं वह पहले सदन में प्रस्तुत हो जाने चाहिये। क्रमशः एक संशोधन लेने के बाद दूसरा संशोधन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जब एक सदस्य के कई संशोधन होते हैं तो वह सब को एक साथ ही रख देता है। ये बिलकुल शाब्दिक हैं। उनको मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन खंडों के बारे में अपने भाषण के बीच माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप कोई व्यवस्था देने के पहले जरा यह खयाल कर लें कि किसी विधेयक पर सिद्धान्तः जो चर्चा होती है वह किसी विधेयक पर खंडों के सिलसिले में नहीं हो पाती। बहुत डिटेल में जाकर यह संशोधन होते हैं। इसलिए इस की परिधि में आप उसको न रखें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस पर संशोधन आयेंगे और उन पर भाषण होंगे और लोग अपने विचार रखेंगे और हो सकता है कि माननीय सदन इस बात से सहमत हो जाय कि जो संशोधन रखा गया है वह उपयुक्त है। यह सदन उस को पास कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि राजेन्द्रकुमार जो ने एक एक खंड पर अपनी बात कही। मैंने उनको रोका ताकि वे अपने संशोधन पर सीमित रहें। इसलिए इस खंड के बारे में माननीय सदस्य के विचार व्यक्त हो चुके हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रस्तावक महोदय ने ही अपने विचार प्रकट किये हैं न कि माननीय सदस्यों ने....

श्री उपाध्यक्ष—

यदि इस समय भी कोई माननीय सदस्य अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो मैं उसको समय दे दूंगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह जो संशोधन आये हैं श्री महीलाल जी के हैं और हमारे हैं, दो एक और भी हैं। श्री महीलाल जी, अपने समस्त संशोधनों को प्रस्तुत कर दें, जो शाब्दिक संशोधन हैं, उन पर भाषणों की आवश्यकता महीलाल जी द्वारा होगी नहीं। उस के अतिरिक्त जो उन के संशोधन हैं जो विचार वह प्रकट करना चाहें कर दें। और माननीय सदस्यों के संशोधन भी सदन में प्रस्तुत कर किये जायें और वे जो विचार प्रकट करना चाहें कर दें। उस के बाद मन्त्री महोदय जिन संशोधनों को स्वीकार करें उन पर राय ले ली जाय और जिनको स्वीकार करने में उनको कठिनाई है उन पर भी राय ले ली जाय। ऐसा कर लिया जाय यदि नियमानुसार सम्भव हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर अपने संशोधन पर कोई बोलना नहीं चाहता तो मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं कि अवश्यमेव बोलें। महीलाल जी ने संशोधन पेश किया। अगर उन को भाषण देना अभीष्ट होता तो कहते। और भी जो माननीय सदस्य अपने किसी संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हों तो खंडों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की अनुमति मैं दे सकता हूं लेकिन मालूम होता है कि किसी की इच्छा नहीं है। इसलिए मैं वोट लेता हूं, खंडों पर।

श्री महीलाल—

कल्पनाथ सिंह जी ने जो आपत्ति की है, मुझे खेद है कि यहां रहते हुए वह नहीं सुन पाये। मने निवेदन किया था कि खंड २ की प्रथम पंक्ति में शब्द "अधिनियम" से पूर्व शब्द "का" निकाल दिया जाय। मैंने निवेदन किया था कि यह अनावश्यक है। दूसरा संशोधन मने यह प्रस्तुत किया था...

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। यह आपने रख दिया। लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि आप भाषण दें तो आप माननीय सदस्यों के कहने से भाषण देंगे या अपने बोलने के लोभ का संवरण करेंगे ?

श्री महीलाल—

मैं अपने विवेक से काम करूंगा। उधार थोड़े ही लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की प्रथम पंक्ति में शब्द "अधिनियम" से पूर्व शब्द "का" निकाल दिया जाय।

(मत लेने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह–

मान्यवर, "हां" कहने वाला कोई नहीं है। "न" कहने वाले इधर इतने हैं। अब आप फैसला कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

अगर आप सचमुच में न कहना चाहते हैं, तो जो अन्तिम रूप होता है वह हमारे सामने आना चाहिये। नहीं तो मैं मानता हूं कि आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा है, विरोध का भी स्थान है, संसदीय जीवन में हास्य का भी स्थान है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड २ (२) द्वारा मूल अधिनियम में रखे गये खंड (ख-ख) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अंतरण" रख दिया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :––"किन्तु प्रतिबन्ध है कि उक्त "समर्थ अधिकारी एस० डी० ओ० के स्तर से कम का नहीं होगा।" मैं ऐसा समझता हूं कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी लेबर कालोनीज हैं जिनमें पहले लेबर बसने के लिए तैयार नहीं था और साल डेढ़ साल तक वे लेबर कालोनीज खाली रहीं। दूसरे लोग उनमें बसाये गये और उनसे दसियों वर्ष से किराया लिया जा रहा है। आज लेबर विभाग अथवा श्रम विभाग की ओर से उन से वह कालोनीज खाली कराने की बात की जाती है लेकिन न्यायालय के अन्दर जो अधिकार उनको प्राप्त हैं उन को लेकर वे न्यायालय में जायेंगे। इसके अलावा बहुत सी कालोनीज में आधे से ज्यादा लोग ऐसे बसे हुये हैं जो आज श्रमिक नहीं हैं। उनको निकालने के लिए भी प्राविधान इस ऐक्ट में है। ३०, ४० वर्ष तक किसी श्रमिक ने किसी फैक्टरी में काम किया और वह उसी क्वार्टर में रह रहा है लेकिन वह श्रमिक आज नहीं है, इस लिए उसे निकाल दिया जायगा। यह काम समर्थ अधिकारी के सुपुर्द सरकार करने जा रही है जो कि बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस लिए राजस्व मन्त्री ने तहसीलदार के स्तर अथवा उससे कम स्तर के समर्थ अधिकारी की बात कही। इसे हमें कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये। समर्थ अधिकारी का स्तर एस० डी० ओ० से कम नहीं होना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दलीलें दी हैं वे उन के संशोधन के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि यह कोई बात नहीं है कि एस० डी० ओ० के स्तर तक का अधिकारी न्याय करेगा और कोई अन्य गजेटेड आफिसर जो उससे नीचे के स्तर का होगा वह न्याय नहीं करेगा जब कि मुकदमें करता रहता है और उनमें न्याय होता है। वह और यह परिस्थितियों के अनुसार किया जायगा और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड २ (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त "समर्थ अधिकारी एस० डी० ओ० के स्तर से कम का नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित रख दी जाय, अर्थात्:—

"(३) उपधारा (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति किसी सरकारी भू-गृहादि पर उस अधिकार के जिसके अधीन या जिस हैसियत से, उसे भू-गृहादि पर अधिवास करने की अनुज्ञा दी गयी थी, यथास्थिति, यथोचित रूप से समाप्त किये जाने का या समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिवास जारी रखें, और कोई पट्टेदार या अनुदान-गृहीता पट्टा या अनुदान की, उस की शर्तों के अनुसार, समाप्ति के पश्चात् अधिवास जारी रखें, तो वह 'अनधिकृत-अधिवास' में समझा जायगा, और कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में कोई धनराशि अदा की है, अधिकृत अधिवास में नहीं समझा जायगा।"

श्री महीलाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ में सातवीं पंक्ति में शब्द "रख" के स्थान पर शब्द "रखें" रख दिया जाय। मान्यवर, यह इस लिए किया गया कि इससे पहले भी बहुवचन की क्रिया आयी है और नीचे भी बहुवचन की क्रिया है तो यहां पर भी बहुवचन "रखें" आना चाहिये। इसलिए मने यह संशोधन रखा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में सातवीं पंक्ति में शब्द "रख" के स्थान पर शब्द "रखें" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

धारा ७ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना।

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"७(१)—यदि समर्थ अधिकारी की यह राय हो कि—

(क) किसी सरकारी भू-गृहादि का अधिवास करने के लिए पट्टेदार या प्रदिष्टी के रूप में अधिकृत व्यक्ति ने, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात्—

(१) राज्य सरकार या उस के द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी की लिखित अनज्ञा के बिना, उस सम्पूर्ण भू-गृहादि

या उस के किसी भाग को शिकमी किराये पर दे दिया है; या

(२) अभिव्यक्त या अन्तर्निहित शर्तों में से किसी का, जिस के अधीन उसे ऐसे भू-गृहादि पर अधिवास करने का अधिकार प्राप्त है, अन्यथा उल्लंघन कर के कोई कार्य किया है; या

(ख) किसी व्यक्ति का किसी सरकारी भू-गृहादि पर अनधिकृत अधिवास है, तो समर्थ अधिकारी नोटिस द्वारा जो नियत रीति से तामील किया जायगा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों को जिन के अधिवास में सरकारी भू-गृहादि हो, या हो सकता हो, अथवा जो उसमें हित रखने का दावा करते हों, ऐसे दिनांक तक, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और जो नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो, यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि क्यों न उसे उससे बेदखल करने का आदेश दिया जाय।

स्पष्टीकरण—किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में सरकारी भू-गृहादि के सम्बन्ध में खण्ड (क) के उप-खण्ड (१) में राज्य सरकार को किये गये अभिदेश उस स्थानीय प्राधिकरण को किये गये अभिदेश समझे जायेंगे—

(२) यदि उप-धारा (१) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर जो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, समर्थ अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि नोटिस में उल्लिखित कोई भी परिस्थिति विद्यमान है या नोटिस जारी किये जाने के दिनांक को विद्यमान थी, तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, बेदखली का आदेश देते हुये यह निदेश दे सकता है कि सरकारी भू-गृहादि उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अधिवास हो, खाली कर दिया जायगा, और आदेश की एक प्रतिलिपि सरकारी भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकवायेगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति, बेदखली के आदेश का, उपधारा (२) के अधीन उसके प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, अनुपालन करने से इनकार करें या अनुपालन न करें तो समर्थ अधिकारी, अथवा समर्थ अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को सरकारी भू-गृहादि से बेदखल कर सकता है और उस पर दखल ले सकता है।"

श्री महीलाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

"खंड ४ द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित धारा ७ की उपधारा (१) (ख) की चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द 'ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और जो नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो' के स्थान पर शब्द 'नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर' रख दिये जायें, और उपधारा (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'चिपकवायेगा' के स्थान पर शब्द 'चस्पां करायेगा' रख दिये जायें।"

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् ,आप प्रक्रिया नियमावली के पृष्ठ ४१ पर नियम १४०---संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें देखें। उस के छठे खंड में लिखा है कि अध्यक्ष ऐसे संशोधनों की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेंगे जो उन की राय में तुच्छ या अर्थहीन हो। तो श्रीमन् महीलाल जी ने जो "चिपकवायेगा" और "चस्पां करायेगा" आदि जैसे शब्द संशोधन के लिए लाये हैं तो आप इसे अपने स्वविवेक से निरस्त कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य न जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसके दो अर्थ लग सकते हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस में लगभग ऊपर नीचे सभी संशोधन माननीय महीलाल जी के हैं। इस लिए यदि वे अपने सभी संशोधन एक ही साथ पढ़ दें तो इस से काफी सहूलियत होगी और सदन का समय भी बच जायेगा। इस संशोधन के नीचे का संशोधन तो लगभग इसी के जैसा है।

श्री उपाध्यक्ष---

हम एक-एक खंड कर के ही ले रहे हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खन्ड ४ द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित धारा ७ की उप धारा (१) (ख) की चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और जो नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो" के स्थान पर शब्द "नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर" रख दिये जायं और उपधारा (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "चिपकवायेगा" के स्थान पर शब्द "चस्पा करायेगा" "रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महीलाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित धारा ७(३) में शब्द "प्रकाशित होने" के स्थान पर शब्द "चस्पा किये जाने" रख दिये जायें।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ४ द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित धारा ७ (३) में शब्द "प्रकाशित होने" के स्थान पर शब्द "चस्पा किये जाने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

धारा ८ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

५---मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायें, अर्थात्:---

"८---कोई व्यक्ति जो धारा ७ की उप-धारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उक्त उपधारा के अधीन आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लिखित अपील कर सकता है, जो समर्थ अधिकारी से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश कर सकता है जिसे वह ठीक समझे ।

अपील

८-क---इस अधिनियम के अधीन जांच करने या अपील का निस्तारण के प्रयोजन के लिए, समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो, निम्न-लिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित है, अर्थात्:---

अधिनियम के अधीन जांच के संबंध में अधिकार

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने को पेक्षा करना ; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय ।"

श्री महीलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा ८ की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर" रख दिये जायं ।

इसमें तो १५ दिन के बजाय मियाद बढ़ा कर ३० दिन की जा रही है, इस लिए मुझे आशा है कि विरोधी दल के सदस्य भी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ५ में मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा ८ की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल मैं अपना ८–१० दिन का डेली एलाउन्स लेने के लिए दफ्तर में गया था तो बताया गया कि बैंक में गया है। अभी गया तो बताया गया कि रुपया नहीं मिला। क्या भारत सरकार दिवालिया बन गयी है? रुपया नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर आप हमारे सचिवालय के बारे में कुछ कहते तो मैं उसमें कुछ करता, लेकिन आप तो भारत सरकार के बारे में कह रहे हैं।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

हमारे सचिवालय में जो लोग काम करते हैं और ट्रेजरी आफिसर वे क्या काम करते है? टेलीफोन अगर उनको किया जाता है तो उसको उठा कर रख देते हैं, कोई जवाब नहीं देते। क्या यह लोग फोकट में काम करते हैं, तनख्वाह नहीं लेते?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह हमारे यहां के अधिकारियों से सम्बन्धित मामला होगा, तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री महीलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हुं कि खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा ८–क के उपखंड (ख) में शब्द 'करन' के स्थान पर शब्द 'करने' रख दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा ८–क के उपखंड (ख) में शब्द 'करन' के स्थान पर शब्द 'करने' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है सम्मानित सदन की यह परम्परा रही है, जिस आसन पर आप विराजमान हैं उसकी यह परम्परा रही है कि मात्रा आदि के जो संशोधन है वे आपके द्वारा ही ठीक कर दिये जाते हैं। आपके पास अनुभवी सचिव भी बैठे हैं। इन छोटी-छोटी चीजों के लिये सदन का समय नष्ट न किया जाय और मंत्री जी को भी उनके बुढ़ापे में केवल 'स्वीकार है' इसको कहने के लिये बार-बार उठाया बैठाया न जाय। मान्यवर, आप विचार करें, सदन का इस प्रकार से उपहास न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी मंत्री के बुढ़ापे या उसकी अशक्तता से संबंधित नहीं हूं। मंत्री जी को नियमानुसार उत्तर देना ही चाहिये। मैं तो यहां इसीलिये बैठा हुआ हूं कि नियमों का ठीक प्रकार से पालन हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, क्या सारे संशोधन श्री महीलाल जी के नाम से ही आ जायेंगे? अगर माननीय मंत्री जी हमारे संशोधन भी स्वीकार कर लें तो हम भी रख दें। आप पूछिये मंत्री जी से कि की क्या सारे संशोधन महीलाल जी के स्वीकार करेंगे? अगर उनके २४ स्वीकार करें तो कम से कम एक हमारा भी करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन स्वीकार करता है। बात यह है कि महीलाल जागरूक हैं, उन्होंने अधिक संशोधन रख दिये तो उन्हीं के लिये जायंगे। आपने अपना कोई क्यों नहीं रखा? वैसी ही जागरूकता क्यों नहीं दिखाई? आप भी दिखाते।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जायसवाल जी ने रखा है, श्रीमन, तो उनमें से कोई एक ही स्वीकार कर लें, इसमें आप मदद कर दीजिये।

खंड ६

धारा ६ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ६ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) यदि सम्बद्ध भू-गृहादि छोटी दुकान (स्टाल), खुला हुआ छोटा खेमा (छतरी या कियास्कि) या इसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण हो; या

(२) ऐसे प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जिनका आज्ञा में उल्लेख किया जायगा, सिवाय इस शर्त पर कि अपीलार्थी भू-गृहादि का उपयोग या अधिवास करने के लिए किराया या क्षतिपूर्ति की सभी बकाया धनराशि तथा ऐसे किराया या क्षतिपूर्ति का, जिसके स्थगन-आज्ञा के दौरान देय हो जाने की सम्भावना हो, भुगतान करने के लिए, पर्याप्त प्रतिभूति दे, कोई भी ऐसी स्थगन आज्ञा नहीं दी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय, यह निदेश दे सकता है कि बेदखल किए गए व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय।"

श्री महीलाल—

खंड ६ की पंक्ति ५ में शब्द 'कियास्कि" के स्थान पर "कियोस्क" रख दिया जाय, यह संशोधन मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति ५ में शब्द "कियास्कि" के स्थान पर "कियोस्क" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मेरा संशोधन है कि खंड ६ से निम्नलिखित निकाल दिया जाय—"कोई भी ऐसी स्थगन आज्ञा नहीं दी जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी मामला विचार के लिए प्रस्तुत होगा और समर्थ अधिकारी के यहां दोनों पक्ष हाजिर होकर अपने अपने तर्क देंगे तो समर्थ अधिकारी के यहां से यदि वह छोटे छोटे दूकानदार हैं, छतरी आदि—जो कोई भी हो, उनके यहां से यदि केस हार गये तो उपभोक्ता या निवास करने वाले, किरायेदार उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां करेगा। जब वह प्रस्तुत करेगा अपील उस समय वह मंजूर कर ली जायगी लेकिन उसको स्थगन आज्ञा, स्टे आर्डर नहीं दिया जायगा—यह बात इसमें साफ तौर से लिखी हुई है। आज तक देश के अन्दर जहां तक मेरी जानकारी है यह इस प्रकार का पहला कानून है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज किसी अपील को स्वीकार कर सकता है लेकिन नीचे की अदालत के फैसले को स्टे नहीं कर सकेगा। इस काले कानून में जो यह बेदखल करने की बात है इसका मैं घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि न्यायपालिका को जितना समर्थन प्रजातांत्रिक देशों में और विशेषकर भारतवर्ष में मिलता रहा है और जो संवैधानिक अधिकार हमको हैं उनको ध्यान में रखते हुए माननीय सदन इस संशोधन को सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन, माननीय सदस्य ने जो बात कही है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको अधिकार नहीं है। केवल एक शर्त लगायी गयी है कि वह इस शर्त पर "कि अपीलार्थी भू-गृहादि का उपयोग या अधिवास करने के लिए किराया या क्षतिपूर्ति की सभी बकाया धनराशि तथा ऐसे किराया या क्षतिपूर्ति का, जिसके स्थगन-आज्ञा के दौरान देय हो जाने की संभावना हो, भुगतान करने के लिए, पर्याप्त प्रतिभूति दे"। इस शर्त के पूरे होने पर स्थगन आज्ञा दे सकता है जिनमें बेदखली हो रही हो कि उसने किराया नहीं दिया हो उसकी सिक्योरिटी है, अगर दे देगा तब उनको इस शर्त पर आज्ञा दी जायगी। तो यह तो कंडीशनल है। इसका रहना निहायत जरूरी है, वरना इस पूरे क्लाज का कोई मतलब नहीं रहता। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री महोदय ने एक भ्रम उत्पन्न कर दिया है। मैं उसको साफ कर देना चाहता हूं या मंत्री महोदय स्वयं उसको साफ कर दें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्थगन–आज्ञा के दौरान देय हो जाने की सम्भावना हो, भुगतान करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति दे। इससे साफ है कि बाकी संभावित रकम की जमानत उसको देनी होगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें लिखा हुआ है कि वह जमानत देगा, मगर एक छतरीवाला इतना पैसा कहां से लायेगा। हमें डिस्ट्रिक्ट जज को इतना अख्तियार तो देना ही चाहिये।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, इसमें यह लिखा है कि प्रतिबन्ध यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय, यह निदेश दे सकता है कि बेदखल किए गए व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय। मान्यवर, अगर अपील के दौरान में ४, ५ महीने लग गये और वह घर से निकाल दिया गया तो उसको कब्जा कसे दिया जायेगा? जो एक बार बेदखल कर दिया गया वह कौन सी आशा लेकर अपील करने जायेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, इसकी मंशा तो यह है कि मान लीजिये कि किसी आदमी ने सेक्योरिटी नहीं जमा की है और किसी कारण वह बेदखल हो जाता है और अदालत में साबित हो जाता है कि वह बेजा बेदखल हुआ है तो उसको फिर से कब्जा दिला दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध है कि उसको कब्जा मिलना चाहिये। इसलिये यह दूसरा प्रतिबन्ध लगा है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ से निम्नलिखित निकाल दिया जाय :

"कोई भी ऐसी स्थगन आज्ञा नहीं दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७ व ८

धारा १० का निकाला जाना

७--मूल अधिनियम की धारा १० निकाल दी जाय।

धारा १३ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १६०८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, १६६३" रख दिए जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ व ८ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

धारा १४ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

६--मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"१४--इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायगा।"

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खण्ड ६ की दूसरी पंक्ति से 'दिया गया' तथा उसके आगे का सम्पूर्ण पैराग्राफ निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय :

"दिये गये निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी।"

श्रीमन्, मैं इस पर थोड़ा समय लेना चाहूंगा सदन का आपके माध्यम से। श्रीमन्, धारा ६ को देखें इसमें लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को इस अधिनियम के अधीन समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया कोई आदेश

अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के द्वारा यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि आगरा में कोई केस लड़ा जा रहा है और वह केस सन् १९३६ से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है। उन्होंने यह कठिनाई दिखाई कि दीवानी की अदालत में जो केसेज जाते हैं और उसके लिये जो भी नियम, कानून और व्यवस्थायें हैं उनमें बहुत समय लगता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि न्यायालय में अगर इतना समय लगता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, क्या वह कानून और नियम सरकार के बनाये नहीं हैं? क्या जिन नियमों से न्यायालय में कार्य संचालित होता है वह त्रुटिपूर्ण नहीं हैं और क्या वह सरकार के बनाये नहीं हैं? अपने कामों के लिए और विलम्ब होने के कारण जनतंत्र के अन्तर्गत प्राप्त न्यायपालिका के अधिकारों को हमसे यह सरकार छीनना चाहती है किन्तु जो उसकी जिम्मेदारी है उसको अगर वह पूरा करती और न्यायालय की व्यवस्था ठीक करती, अपने बनाये हुए कानूनों को जिनकी वजह से देरी होती है उनको ठीक करती तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलती। हर एक नागरिक को न्याय जल्दी और सस्ता मिलता लेकिन सरकार ने अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा न करके न्यायालयों के ऊपर कुठाराघात करन का शार्टकट मार्ग अपना लेने का रास्ता अख्तियार किया है। इस नाते मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह न्यायपालिका के जो हमारे अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखते हुए वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, न्यायपालिकाओं की ऐसा व्यवस्था करें, उनके अन्दर जो कानूनी व्यवस्थायें हैं जो इसी सदन के द्वारा बनाई गई हैं उनकी ऐसी रचना करें जिससे न केवल सरकारी मुकद्दमों में ही कम अवधि लगे बल्कि सरकारी मुकदमों से कई गुने जो इस प्रदेश के किसान और मजदूर जो न्यायालय में जाते हैं और उसको वर्षों-वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाता उसे न्याय जल्दी मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए राजस्व मंत्री जी से बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं जायसवाल जी की भावनाओं की कद्र करता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वह व्यावहारिकता को देखें। आपने समरी तौर पर ट्रायल मंजूर किया। उसकी एक अपील, कि कहीं कोई गलती न हो जाय के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहां प्राविधान किया गया। इस सारे ऐक्ट का मंशा ही खत्म हो जायगा अगर इस डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से अपील हाई कोर्ट में हुई। उन्होंने कहा कि दरी लगती है और सरकार देरी लगाती है। बड़ा अच्छा होता हम उस देरी को आज खत्म कर सकते लेकिन हम नहीं कर सकते। आज हम हाई कोर्ट के जज की तादाद दूनी कर दें तो भी इतना एरियर सिविल सूट्स का पड़ा हुआ है कि देरी तो लगेगी ही साथ ही यह सरकार के मान की बात नहीं है। हमारे जो फाइनेन्सेज हैं उनका भी लिमिटेशन है। ऐसी हालत में मुझे अफसोस है कि मैं श्री जायसवाल जी की भावनाओं की तो कद्र करता हूं कि न्यायपालिकाओं में उनका विश्वास है और हम लोगों का भी विश्वास ह लकिन जिन गरीब और श्रमिकों के लिए हम चाहते हैं कि मकान जल्दी दे सकें और जो अनधिकृत कब्जे हैं उनको हटा सकें। हम जल्द से जल्द फायदा पहुंचाना चाहते हैं श्रमिकों और गरीबों को इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं उनके इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ की दूसरी पंक्ति से "दिया गया" तथा उसक आगे का सम्पूर्ण पैराग्राफ निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय :

"दिये गये निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है खण्ड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

नई धारा १४ क, १४—ख, १४—ग और १४—घ का रखा जाना

१०—मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएं, अर्थात्—

अपराध, शास्ति तथा क्षिप्र बेदखली

"१४—क (१) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उस भू-गृहादि पर इस प्रकार अधिवास करने के लिए बिना किसी अधिकार से फिर से अधिवास कर लें तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे।

(२) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धि-दोष ठहराए, उस व्यक्ति को ऐसे सरकारी भू-गृहादि से जिसके संबंध में अपराध किया गया हो क्षिप्र बेदखल करने का भी आदेश दे सकता है और तदुपरान्त वह किसी ऐसी कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाय प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(३) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारा (२) के अधीन दिए गए आदेश को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे स्थगित रखने का निदेश दे सकता है और ऐसे आदेश में परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

१४—ख—(१) यदि समर्थ अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी सरकारी भू-गृहादि पर अनधिकृत अधिवास है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका सरकारी भू-गृहादि पर अधिवास हो, नाम तथा अन्य ब्योरों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति , जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिए बाध्य होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जान-बूझ कर चूक करे तो वह अर्थ-दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

१४—ग—(१) यदि किसी व्यक्ति की जिसके विरुद्ध बकाया किराए की वसूली के लिए या दायादों तथा विधिक प्रतिकर के अवधारण अथवा उसकी वसूली के लिए या उसे बेदखल प्रतिनिधियों के दायित्व करने के लिए कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की जानी हो अथवा की गई हो, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान की गई मृत्यु हो जाय तो कार्यवाही उस व्यक्ति के दायादों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकती है अथवा जारी रखी जा सकती है।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा बकाया किराए या क्षति-पूर्ति अथवा व्यय के मद्दे देय की धनराशि का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके दायादों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा किन्तु उनका दायित्व उस सीमा तक होगा जहां तक मृतक की परिसम्पत्तियां उनके पास हों।

अनधिकृत अधिवासियों द्वारा सरकारी भू-गृहादि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

१४-घ---(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के अधीन सरकारी भू-गृहादि से बेदखल कर दिया गया हो, तो समर्थ अधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तदर्थ नोटिस तामील अथवा प्रकाशित होने के पश्चात्, ऐसे भू-गृहादि पर रह गई किसी सम्पत्ति को हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा उसका निस्तारण ऐसी रीति से कर सकता है जो नियत की जाय।

(२) यदि किसी ऐसी सम्पत्ति का निस्तारण विक्रय द्वारा किया जाय तो विक्रय से प्राप्त धनराशि का उसमें से विक्रय-व्यय और बकाया किराए या क्षतिपूर्ति के मद्दे राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात्, भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जिन्हें समर्थ अधिकारी उसे पाने का हकदार समझे अथवा यदि समर्थ अधिकारी यह निश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि दी जाय अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय तो उसे किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय होने तक के लिए रक्खा जाएगा।"

श्री महीलाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १० जिसमें केवल शाब्दिक संशोधन है प्रस्तुत करता हूं, "खंड १० द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा १४-क (१) की दूसरी पंक्ति में व पार्श्व शीर्षक में शब्द "क्षिप्र" के स्थान पर शब्द "सरसरी तौर से" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड १० का दूसरा भाग भी मैं पढ़े देता हूं : खंड १० द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा १४ (ग) (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "दौरान" के बाद आने वाले शब्द "की गई" निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १० द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा १४-क (१) की दूसरी पंक्ति में व पार्श्व शीर्षक में शब्द "क्षिप्र" के स्थान पर शब्द "सरसरी तौर से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १० द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा १४ (ग) (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "दौरान" के बाद आने वाले शब्द "की गई" निकाल दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

नई धारा १५-क का रक्खा जाना

११--मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :--

"१५-क--निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात् :--

कतिपय अनुतोष के लिए, वाद आदि पर रोक

(क) किसी सरकारी भू-गृहादि के अध्यासन की बाबत बकाया किराए की वसूली करने ;

(ख) ऐसे भू-गृहादि से बेदखल करने ;

(ग) ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत क्षतिपूर्ति का निर्धारण या उसकी वसूली करने, के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जाएगी, यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलक्ष्य हो ।"

श्री महीलाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ११ में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ११ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा १५-क की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उपलक्ष्य' के स्थान पर शब्द 'उपलभ्य' रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा १५-क की अन्तिम पंक्ति में शब्द ' उपलक्ष्य' के स्थान पर शब्द 'उपलभ्य' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

नई धारा १६-क का रक्खा जाना

१२--मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात :--

"१६-क--डिस्ट्रिक्ट जज किसी ऐसी अपील को जो उसे इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की गई हो अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत किसी अपर डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज को संक्रमित कर सकता है और कोई भी ऐसी अपील वापस ले सकता है और या तो उसका निस्तारण कर सकता है या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत किसी अन्य अपर डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज को संक्रमित कर सकता है ।"

अपीलों को संक्रमित करने का डिस्ट्रिक्ट जज का अधिकार

श्री महीलाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खंड १२ में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं । खंड १२ द्वारा मूल अधिनियम में रखी गई धारा १६-क के पार्श्व शीर्षक में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अंतरण" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १२ द्वारा मूल अधिनियम में रखी गई धारा १६-क के पार्श्व शीर्षक में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अंतरण" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महीलाल--

खंड १२ का ही दूसरा भाग संशोधित रूप में यह है कि खंड १२ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा १६-क की तीसरी व छठी पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अंतरण" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १२ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा १६-क की तीसरी व छठीं पंक्ति में शब्द 'संक्रमित' के स्थान पर शब्द 'अंतरण' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

धारा १७ का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या संशोधन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९ की धारा २ का संशोधन

१४--उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में--

(१) खण्ड (कक) में, शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" के पश्चात् शब्द "या सिविल जज" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (घ) में, शब्द "उस क्षेत्र के लिए" के स्थान पर शब्द "ऐसे क्षेत्र के लिये या ऐसी सार्वजनिक भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि के वर्गों के संबंध में" रख दिए जायें ;

(३) खण्ड (ङ) में—

(क) शब्द "राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो" के पश्चात् शब्द " और इसके अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी के प्रबन्ध में सौंपी गई भूमि शामिल है और राज्य सरकार द्वारा संधारित कोई सड़क या ऐसी सड़क से संलग्न भूमि में भी शामिल है" रख दिये जाएं ।

(ख) उप खण्ड (१) में अंक तथा शब्द "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द तथा अंक "या उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ या कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०" रख दिये जायें ।

(ग) उप खण्ड (२) में शब्द " गांव समाज" के स्थान पर शब्द "गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय अधिकारी" रख दिये जायें और अंक तथा शब्द " १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द तथा अंक "या उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ या कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०" रख दिये जाएं ।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४(३) (क) की तीसरी पंक्ति का अन्तिम शब्द "में" निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४(३) (क) की तीसरी पंक्ति का अन्तिम शब्द " में" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५

धारा ३ और ४ का निरसन तथा परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाना

१५—मूल अधिनियम की धारा ३ और ४ एतद्द्वारा निरसित की जाती है और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित की जाती हैं कि—

(१) धारा ३ में, उप धारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१) यदि सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किन्हीं व्यक्तियों के अनधिकृत अध्यासन में कोई सार्वजनिक भूमि है और

उन्हें बेदखल किया जाना चाहिये तो सार्वजनिक प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसके तामील किए जाने के दिनांक से १० दिन से कम न होगी, ऐसे व्यक्तियों से यह कारण बताने के लिये कह सकता है कि सार्वजनिक भूमि से उनकी बेदखली का आदेश क्यों दिया जाय।"

(२) धारा ४ में—

(क) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "परन्तु वह धारा ७ के अधीन व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिदिष्ट आपत्ति न हो" निकाल दिए जावें;

(ख) उपधारा (३) में शब्द "ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं" के स्थान पर शब्द "ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं या करा सकते हैं" रख दिये जायें।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ (१) द्वारा मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा ३ (१) की पांचवीं पंक्ति में "१० दिन" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन" रख दिये जायं मान्यवर, १० की जगह १५ दिन किया जा रहा है, मुझे आशा है कि इसे सभी लोग स्वीकार करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ (१) द्वारा मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा ३ (१) की पांचवीं पंक्ति में "१० दिन" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६ व १७

१६—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जाय। — धारा ७ का निकाला जाना

१७—मूल अधिनियम की धारा १० में शब्द "इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को" के पश्चात शब्द "व अपील के निस्तारण के प्रयोजन के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को" बढ़ा दिए जायं, व खंड 'ख' के अन्त में विराम के स्थान पर "कामा" व उसके बाद शब्द "तथा" व निम्न-लिखित खण्ड रख दिए जाएं, अर्थात्:— — धारा १० का संशोधन

(ग) ऐसे अन्य अधिकार जो नियत किए जाएं।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ व १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

धारा १०–क का संशोधन

१८––मूल अधिनियम की धारा १०–क में, शब्द " अपर जिला न्यायाधीश" के पश्चात् शब्द "या व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज)" रख दिये जायें और अन्त में शब्द " और कोई ऐसी अपील वापस भी ले सकता है और या तो उसका निस्तारण कर सकता है या उसे अपने प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है ।" रख दिये जायें ।

श्री महीलाल––

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ की चौथी पंक्ति में शब्द " संक्रमित" के स्थान पर शब्द " अंतरण" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड १८ की चौथी पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अंतरण" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १९

नयी धारा १०–ख का रक्खा जाना

१९––मूल अधिनियम की धारा १०–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :––

"१०–ख––निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात् :––

कतिपय अनुतोषों के लिए वाद आदि पर रोक

(क) किसी सार्वजनिक भूमि के अध्यासन की बाबत बकाया लगान की वसूली करने ;

(ख) ऐसी भूमि से बेदखल करने ;

(ग) ऐसी भूमि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत हानि पूर्ति की वसूली करने ;

के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही, किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय में नहीं की जाएगी, यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हो।"

श्री महीलाल––

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में अन्तिम पंक्ति में शब्द " उपलक्ष्य" के स्थान पर शब्द " उपलभ्य" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष

प्रश्न यह है कि खंड १९ में अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उपलक्ष्य' के स्थान पर शब्द 'उपलभ्य' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

धारा १२ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा १२ के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"और इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

नई धारा १३ क, १३-ख और १३-ग का रखा जाना

२१—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं रख दी जाय, अर्थात् :—

अपराध, शास्ति तथा क्षिप्र बेदखली

"१३-क—(१) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया गया हो, उस भूमि पर इस प्रकार अध्यासन करने के लिये बिना किसी प्राधिकार के फिर से अध्यासन कर ले, तो उसे कारावास का दण्ड दिया जाएगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे।

(२) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराए, उस व्यक्ति को ऐसी सार्वजनिक भूमि से जिनके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, क्षिप्र बेदखल करने का भी आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त वह किसी ऐसी कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(३) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारा (२) के अधीन दिए गए आदेश को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित रखने का आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश में परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

१३-ख-(१)—यदि सार्वजनिक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका सार्वजनिक भूमि पर अध्यासन हो, नाम तथा अन्य और ब्योरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें, और प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हों देने के लिए वाध्य होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जानबूझ कर चूक करे तो वह अर्थ-दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

"१३-(ग) (१)---यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया किराए की वसूली लिए या हानिपूर्ति के निर्धारण अथवा उसकी वसूली के लिए या उसे बेदखल करने के लिये कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की जानी हो अथवा की गई हो, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान मृत्यु हो जाय तो कार्यवाही उस व्यक्ति के दायादों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकती है, अथवा जारी रक्खी जा सकती है ।

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

(२) किसी व्यक्ति द्वारा बकाया किराया या हानिपूर्ति अथवा अन्य व्यय के मध्य देय धनराशि का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, उसके दायादों या विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा किया जायगा, किन्तु उनका दायित्व उस सीमा तक होगा जहां तक मृतक की परिसम्पत्तियां उनके पास हों ।"

श्री महीलाल---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा १३-क(१)के पार्श्व शीर्षक में व उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द " क्षिप्र" के स्थान पर शब्द "सरसरी तौर से" रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २१ द्वारा बढ़ायी गई मूल अधिनियम की धारा १३-क(१) के पार्श्व शीर्षक में व उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द " क्षिप्र" के स्थान पर शब्द "सरसरी तौर से " रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री महीलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा १३-ग(२) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'मध्य' के स्थान पर शब्द 'मद्दे' रख दिया जाय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २१ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा १३-ग(२) की प्रथम पंक्ति में शब्द " मध्य" के स्थान पर शब्द "मद्दे" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२

२२--उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, १९५५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३, १९५५ की धारा २ का संशोधन

"(छ) किसी गृह के संबंध में 'किराया' का तात्पर्य गृह के अधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अंतरालों पर देय प्रतिफल से है और इसके अन्तर्गत--

(१) गृह का अध्यासन करने के संबंध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिये कोई परिव्यय ;

(२) गृह के संबंध में देय कोई कर, चाहे उसका कुछ भी नाम हो--

भी सम्मिलित हैं, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जैसी भी दशा हो, देय हो।"

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति से 'या स्थानीय प्राधिकारी' निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, यह औद्योगिक क्षेत्र के लिये जो मजदूरों की कालोनी बनी है उद्योग विभाग की ओर से उनके बारे में यह बात कही गई है कि "किसी गृह के सम्बन्ध में किराया" का तात्पर्य गृह के अधिकृत अध्यासन के लिये निश्चित अंतरालों पर देय प्रतिफल से है,और इसके अन्तर्गत--

गृह का अध्यासन करने के संबंध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिये कोई परिव्यय," .....

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

प्रदेश में बढ़ती हुई नक्सलवादियों की कार्यवाहियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य बैठें क्योंकि ४ बज चुके हैं और अब दूसरा कार्य-क्रम चलेगा।

मेरे सामने आज ३ काम रोको प्रस्ताव आये थे, उनमें से एक श्री नित्यानन्द स्वामी जी का है, उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी लोगों के बढ़ते हुये कार्यों के सम्बन्ध में। इस के बारे में मैंने ध्यान आकृष्ट करने के लिये सूचना को स्वीकार किया था और वह करन सिंह जी आदि ने दी थी। मैं इस पर गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर कल वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा है वर्ना मुझे कल ही काम रोको प्रस्ताव के स्वरूप में उसको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें शीघ्र ही उत्तर आने की जरूरत है, इसलिये मंत्री जी या तो कल ही वक्तव्य दे दें और उसके साथ ही श्री नित्यानन्द जी का भी उसी विषय में सम्मिलित हो जायगा लेकिन अगर कल वक्तव्य नहीं होता तो....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष जी, आपने अभी बताया कि इधर से २९ अप्रैल को माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम ५१ का दिया था और उस दिन आप ने उस को स्वीकार किया था और उसे गृह मंत्री जी के पास भेजा था कि वह उस पर वक्तव्य दें लेकिन आज एक सप्ताह हो गया, आपके आदेश के बावजूद.....

श्री अध्यक्ष---

आप जरा ठहरें और सुनें . . . . आप बोलने लगते हैं तो जो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, आप ही उसका भी उत्तर देने लगते हैं। यह विषय नक्सलवादियों के बारे में है . . . . .

श्री कृष्णानन्द राय---

नक्सलवादी के बारे में माननीय करन सिंह बैठे हैं उन्होंने २९ तारीख को दिया था ध्यान आकर्षण के लिये और आपने उस को स्वीकार कर के माननीय गृह मंत्री के पास भेज दिया था वक्तव्य के लिये, लेकिन मैं आप से बहुत अदब के साथ कहूंगा कि यह गृह मंत्री जी जरा सा भी शिष्टाचार आप के प्रति नहीं दिखलाते। इतनी बड़ी समस्या और सारे सूबे में एक आग लगी हुई है, आप आज का ही नेशनल हेराल्ड देख लें उसमें लिखा है कि हमारे प्रदेश में ही नक्सलबादियों का सम्मेलन तक हो चुका है और उन का बंगाल से अस्त्र-शस्त्र भी मंगाने का प्रोग्राम है, मंगाये गये हैं। आप मुख्य मंत्री जी से कह दें कि वे इस पर अपना वक्तव्य कल दे दें। इस समय वे मौजूद तक नहीं हैं। इतना महत्वपूर्ण और गम्भीर यह मामला है लेकिन हम देख रहे हैं कि वे मौजूद तक नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लें। वे स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, यह सारे देश और प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न है। आज मैंने आपको अखबार की एक कटिंग दी जिसके अन्दर छपा था कि नक्सलवादी जून के महीने में सारे प्रदेश के अन्दर हिन्सा के कार्य करेंगे। अगर वे इस प्रकार जगह-जगह करेंगे तो आप कम से कम इस पर एक दिन की बहस तो करा ही दें।

श्री अध्यक्ष---

मैं यह करूंगा कि इन तीनों को मंत्री जी के पास भेज दूंगा। एक को स्वीकार करके भेज दिया है, वक्तव्य न दिलाया गया तो कल के लिये यह कामरोको प्रस्ताव के स्वरूप में स्वीकार होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, (माननीय चतुर्भुज शर्मा की ओर इशारा करते हुए) यह सरकार तो सो रही है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, दफा ५१ की जो सूचना है जिस पर मंत्रि-परिषद् सूचना देगी, मेरी प्रार्थना है, कि इसको भी कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया जाय। यह बोर्डर का मामला है, नैपाल के पास का।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप देखें कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं और जो एक मंत्री हैं भी, वे भी सो रहे हैं। तकिये के नीचे सब समस्याओं को रख कर के सो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि . . . . . .

श्री अध्यक्ष---

एक पहले का है और जो आज आये हैं नक्सलपंथियों के बारे में, एक लखीमपुर-खीरी का है, एक नैनीताल के बारें में है और तीसरा एक माननीय नित्यानन्द जी का है। उन . . . . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा सारे उत्तर प्रदेश के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष—

उनको मैंने पहले दफा ५१ में ध्यान आकर्षण के लिये स्वीकार किया था किसी समय वक्तव्य देने के लिये । तो इनको मैं कल के लिए निश्चित करता हूं । तीनों के बारे में एक वक्तव्य में आना चाहिए कि कैसी परिस्थिति है । अगर नहीं आती है तो मैं फिर कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करूंगा । इसमें २ घंटे लग जायेंगे । अगर इसमें कल वक्तव्य देकर स्पष्टीकरण आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, जितनी सूचना कल उपलब्ध होगी, दे दी जायगी । अगर इसको आने वाले सोमवार को रख दें तो पूरी सूचना आ जायगी ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैंने आज भी नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी और कल भी निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में एक गांव में सरकार की लापरवाही से बिजली के तारों से आग लग गयी है और अब भी वहां पर आग लगने की स्थिति मौजूद है । अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तो समूचा गांव जल जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है । यह प्रश्न कल आ जायगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

माननीय शर्मा जी ने अभी कहा कि जितनी सूचना होगी कल दे दी जायगी । मुझे निवेदन करने की आज्ञा दें कि यह बहुत ही आवश्यक विषय है और इसमें हमारे मित्र से मुख्य मंत्री की बातें हुईं । उनको भी वे कल रखेंगे और इसमें मैं ऐसा चाहता था कि श्रीमान् जी आदेश दें । दो चीजें हैं जो कि सदन में काफी समय से आई हैं परन्तु दोनों पर ध्यान नहीं दिया गया । एक तो गन्नेवाली समस्या है जिसके सम्बन्ध में जायसवाल जी कह रहे थे । सारे प्रदेश में गन्ने में निरन्तर आग लगाई जा रही है, आग लगा लगा कर जला रहे हैं । बेंचने के लिए साधन नहीं हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है और दूसरे यह जो समस्या है नक्सलवादियों की, इसके बारे में भी तीन प्रस्ताव आ चुके हैं । सरकार को आदेश दिया जाय, सरकार के पास टेलीफोन है, सरकार के पास सब साधन हैं ...

श्री अध्यक्ष—

जितनी सूचना उनके पास होगी या आ सकती है, मेरा कहना है कि वह देनी चाहिये । अगर बहस करने की जरूरत मालूम हुयी तो जो फैक्ट्स ये देंगे उस पर बहस का समय यदि आवश्यकता हुई तो दिया जायगा । आप घंटा, दो घंटा उस पर बहस कर लीजियेगा । अगर ये सूचना ही नहीं देते हैं तो मुश्किल यह हो जाती है कि बहस कैसे हो ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गन्ने के बारे में कहा गया कि समस्या है । गन्ना जलाया जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है । यह बात सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं गन्ने के बारे में बाद में आ रहा हूं। नक्सलबाड़ियों के बारे में फैसला यह हुआ कि कल नक्सलवाड़ियों के बारे में ये वक्तव्य देंगे। जितनी उनके पास सूचना आ जाय वे सब जगह से मंगा लेंगे। यह तीनों जगह की बात है। अगर उसके बारे में बहस करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिये और समय फिक्स कर देंगे। उसमें घंटा दो घंटा बहस हो जायेगी। अगर कल वक्तव्य नहीं आता है तो कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लेंगे और दो घंटे की चर्चा होगी इस पर कल।

गन्ने की खपत न हो सकने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

गन्ने के बारे में जो बरबादी हुई थी उसके बारे में भी वक्तव्य शीघ्र किसी तारीख को दें, इसको कृपा करके आप फिक्स कर दें। नक्सलवाड़ियों के विषय को तो तत्काल लेना पड़ेगा। गन्ने के बारे में एक आध रोज का समय ले सकते हैं। उसको आप सोमवार को ले लें।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इसके विषय में सोमवार को वक्तव्य दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, ओला-वृष्टि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था उस पर भी.....

श्री अध्यक्ष—

ओला-वृष्टि के संबंध में वक्तव्य भी उसी में आ जायेगा सोमवार को।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, गन्ने के बारे में आप ध्यान दें और देखें कि गन्ना सूख रहा है। और माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी का जो सवाल है उसको अलग कर दें क्योंकि गन्ने का जवाब जो होगा वह गन्ना मंत्रालय देगा और ओले के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री वक्तव्य देंगे, दोनों में घपला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

तो गन्ने के बारे में कल वक्तव्य होने वाला है। रियासत हुसैन का यह सवाल है और उनके दो सवाल हैं। एक तो गन्ने के जलाने के बारे में कि गन्ना नष्ट हो रहा है और दूसरा महंगाई हो जाने की वजह से किसानों की हालत खराब हो रही है। गन्ने वाला कल आ रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने तो अभी सोमवार के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने गलती की थी। ओले के बारे में सोमवार को वक्तव्य होगा और गन्ने के बारे में कल ही वक्तव्य होगा।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारी नोटिस कृपया पढ़ कर सुना दें। हमारे प्रस्ताव में और दूसरों के प्रस्ताव में समानता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख चुका हूं, समानता है, वह इस समय यहां नहीं हैं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

गन्ने के बारे में हमने जो दिया था कि मिल वाले कीमत नहीं दे रहे हैं, ७ लाख पिछले साल का बकाया है, १३ लाख इस साल का है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में उसको स्वीकार किया है। गन्ने से संबंधित जितने प्रस्ताव हैं उन पर कल वक्तव्य होगा। कार्य मंत्रणा समिति ने ही उसका समय स्वीकार किया है। गन्ने के बारे में जो भी प्रश्न हैं कल उन पर वक्तव्य होगा। ओले के बारे में सोमवार को होगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

ओला वृष्टि के कारण लोग परेशान हैं।..... (व्यवधान) न तकावी दी गयी है और न सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, लोग परेशान हैं। उसके बारे में कार्य-स्थगन स्वीकार होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन के अन्तर्गत हमेशा बहुत ही अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे यह नक्सलपंथी वाला था।

(कई सदस्य एक साथ व्यवधान करने लगे।)

नियम ५१ व ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फतेहपुर, थाना पुरवा, जिला बरेली के श्री सत्यवीर के बारे में एक प्रस्ताव दफा ५२ में दिया था। उन्होंने एक लड़की को मार्च के महीने में अपहरण करने की कोशिश की अपने दलालों के द्वारा और उसके बाद अप्रैल में उन्होंने १६ किलो अफीम पकड़ी और उन्हीं दलालों के जरिये उन्होंने साढ़े अठारह किलो अफीम बेच ली और सिर्फ आधा किलो पकड़ी दिखाई, तो इस पर कब वक्तव्य होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर मुझे पूछना पड़ेगा मंत्री जी से। आपका तो आज ही आया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक लोक महत्व का प्रश्न दफा ५२ में दिया था, आपके पेशे नजर किया था कि यू० पी० के तिबिया कालेजों और ६ आयुर्वेदिक कालेजों में २६ तारीख से, २६ जनवरी से हड़ताल चल रही है और बहिष्कार इम्तिहानों का हो रहा है। इस पर आप कोई निश्चित तारीख दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको दफा ५२ में स्वीकार करके मंत्री जी के पास डेट फिक्स करने के लिए भेज दिया है।

श्री चन्द्रभानु शर्मा—

धन्यवाद।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मेरा भी एक प्रश्नों के सम्बन्ध में था। जिस पर आप भी सहमत थे कि पूरी सूचना नहीं मिली तो आप उस पर नियम ४९ में पूछ सकते हैं। तो मैंने उसे नियम ४९ के अन्तर्गत दिया था जो चीनी मिलों के रिसीवर्स नियुक्त करने के बारे में था। मुझे पूरी सूचना नहीं मिली तो मैंने दफा ४९ में बहस की मांग की है और लिख कर दिया है, उस पर श्रीमन् का क्या निश्चय है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में अभी मैंने तारीख मुकर्रर नहीं की है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप जरा देख लें। अगर अकेले एक विषय गन्ने के किसानों से सम्बन्धित वह मामला हो माननीय रियासत हुसैन जी का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसमें और भी विषय जुड़े हुए हों.....

श्री अध्यक्ष—

आप और विषय भी जोड़ सकते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं है। आप दोनों पर बोल सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप गन्ने के मामले को अलग रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

वह तो है ही। अब मोतीलाल वेहलवी के प्रस्ताव को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। अब आज का सवाल लीजिए नहीं तो काम समाप्त नहीं हो पायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैंने नियम ५१ का एक अल्मोड़ा के मद्य निषेध के बारे में दिया था, जिसे मैं बार बार दे रहा हूं। वहां पर इसको लेकर कानून शिकनी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

कल परसों जब बजट पेश होगा, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, उसमें इसके बारे में भी आप पूछ लीजिएगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, जहां की स्थिति बड़ी शोचनीय है वहां पर सत्याग्रह करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। सरकार के वक्तव्यों से, सरकार की प्रेरणा से वहां के लोगों को उत्साह मिला और उन्होंने देशी शराब की दुकानें वहां नहीं होने दीं, नीलाम ही नहीं हुआ। यह सरकार की घोषणा की वजह से हुआ। जब जनता इस पर जुट गई है तो सरकार पुलिस के संरक्षण में वहां शराब बिकवा रही है। जिसका नतीजा यह है कि लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस विषय में मैं भी इनका समर्थन करता हूं। इसको भी आप अवश्य स्वीकार कर दें।

श्री अध्यक्ष—

स्वीकार तो कर लूं, लेकिन कोई डेट फिक्स करनी पड़ेगी। समय नहीं मिल रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा एक पुराना प्रस्ताव पड़ा हुआ है, जिस पर आपने अभी समय नहीं दिया है। पता नहीं क्या स्थिति है, जो कि दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के बारे में था।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो कन्ट्रोवर्सी यह थी कि यह विषय इस सरकार से सम्बन्धित है या केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, जब आपने उसे स्वीकार कर लिया और अपने आज्ञा दे दी तो फिर यह दुबारा कैसे ओपेन होगा ? आप उस पर वक्तव्य दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है। बात यह है कि मैं देखूंगा कि इसका सम्बन्ध आता है या नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपको याद दिलाऊं कि इस विषय पर पहले एक दिन दिया गया था। जब यहां पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह बात आई तो आपने उसी पर सुझाव दिया था कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसको न लेकर नियम ५२ में मांग की जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस सरकार से उसका सम्बन्ध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि वह सम्बन्ध इस सरकार से आ सकता है या नहीं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

अल्मोड़ा में पुलिस के संरक्षण में जो शराब की बिक्री हो रही है इसके सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

६ अप्रैल, ७० को जो दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ था उसके सम्बन्ध में हमने दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी। उसको आपने स्वीकार कर लिया था लेकिन केवल समय देने का सवाल था तो वह समय कब दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि उस कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ के प्रस्ताव का सीधा सम्बन्ध इस सरकार से है या नहीं इस विषय में फैसला नहीं लिया है। इसी कारण कोई निश्चय नहीं हो सका है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस प्रश्न पर विचार करके आपने स्वीकार कर लिया था आपने एलान किया था कि तारीख निश्चित करने के लिये सरकार के पास भेज दिया है कि किस तारीख को उस पर चर्चा होगी। वह तारीख वहां से मालूम नहीं हो सकी है। इसलिये आप तारीख निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, यह घोषणा आपने कई दफा की है ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह देखना पड़ेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, प्यारेलाल वाले मामले में सरकार से बातचीत करने का आपने आश्वासन दिया था। प्यारेलाल जी अनशन कर रहे हैं। आप इतनी कृपा करके सरकार से कहें कि पी० डब्लू० डी० का जो वहां पर स्टीम रोलर चल रहा है उसको बन्द कर दें। वहां पर तारकोल गर्म किया जाता है। उससे धुआं निकलता है तो उनके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। एक तो वैसे ही वह अनशन कर रहे हैं और फिर दूसरे इस तरह से उनको जो कष्ट हो रहा है उससे उनको बचाने के लिये जब तक आप कोई फैसला करें उसको बन्द करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बातचीत शुरू कर दी है।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा केवल इतना निवेदन है कि जब तक आपकी बातचीत सफल हो उस समय तक के लिये उस स्टीम रोलर को वहां से रुकवा दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

यहां सदन का काम समाप्त होने के बाद ही तो मैं बात कर सकता हूं।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा–फतेहाबाद)—

मैंने भी दफा ५१ के अन्तर्गत प्यारेलाल जी के अनशन के विषय में एक सूचना दी थी। हाउस में आपने कहा था कि उस सम्बन्ध में चर्चा के लिए समय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

उस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

आपने कहा था कि इस प्रश्न को यहां पर छोड़ दें और फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आज मैंने आपसे कहा था कि मैं उनसे बात करूंगा।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

एक दूसरा आग लगने के सम्बन्ध में था जिसमें कई आदमी मरे हैं। उसमें छः आदमी मरे और छः आदमी घायल हुए। मंत्री जी से वक्तव्य.... ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आ जायं। पुछवा लूंगा।

श्री हुकुमसिंह परिहार--

इस तरह से टालमटोल की चीज हो तो कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

जिनका मंजूर हो चुका है उनका आप कार्य चलने नहीं देते हैं।

श्री हुकुमसिंह परिहार---

समय तो निर्धारित करें कब वक्तव्य होगा। मेरा कहना यह है कि राजस्थान में आग लगी। छः महीने के बाद आर्डर आया कि आग बुझा दो। क्या इसी प्रकार की व्यवस्था इसमें भी होगी ? अग्निकांड जैसे विषय में····

श्री अध्यक्ष--

जो समय है उसी में बंटन होता है। शिक्षा मंत्री वक्तव्य दें।

जिला परिषद् नैनीताल द्वारा २६७ अध्यापकों को सेवा से पृथक् करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

जिला परिषदें प्राइमरी स्कूल पर १९२४ के आसपास जो व्यय कर रही थीं उस धन को उनका न्यूनतम अंशदान निर्धारित किया गया है। शेष अनुमोदित वास्तविक व्यय शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला परिषदों को समय-समय पर नये स्कूल खोलने अथवा अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने के लिये जो आदेश दिये जाते हैं उनका शत प्रतिशत व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। जिला परिषद के अंशदान एवं राजकीय अनुदान मिलाकर जो धन उपलब्ध होता है उससे अध्यापकों की संख्या निर्धारित की जाती है और समय-समय पर जो नये स्कूल खोले जाते हैं या अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उससे अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसी भी वर्ष में अध्यापकों की निर्धारित संख्या कितनी है इसकी सूचना समय-समय पर जिला परिषदों को दे दी जाती है। यदि जिला परिषदें इस स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक नियुक्त करना चाहती हैं तो इसमें शासन की ओर से कोई बाधा नहीं है। केवल जिला परिषदों को शासन से इसकी अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये और यह अनुमति उसी समय दी जाती है जब जिला परिषद् अपने निजी साधनों से अपने आय-व्ययक में उसके लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर लेती हैं।

जिला परिषद् नैनीताल ने शासन द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक नियुक्त कर लिये थे और उनके लिये अपने आय-व्ययक में किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया था। अधिक अध्यापकों की नियुक्ति के कारण जिला परिषद, नैनीताल, आर्थिक कठिनाई में आ रही है और अध्यापकों के वेतन का समय से वितरण नहीं कर पा रही है। इसी कारण जिला परिषद्, नैनीताल को स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापकों को सेवा से पृथक् करना पड़ा है।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण शिक्षा मंत्री जी से चाहता हूं। यद्यपि उन्होंने संक्षेप में उत्तर तो दे दिया तथापि जो हमारा लक्ष्य था वह नहीं आया। मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। जिला अधिकारी, नैनीताल से दिनांक ६ मार्च, ७० और ४ मई, ७० को पत्रों द्वारा और २८ अप्रैल को तार द्वारा आपके पास लिख कर आया है कि यह जो २६७ अध्यापक निकाले गये हैं, ये बीस साल पुराने अध्यापक हैं, ये निकाले गये तो बड़ा असन्तोष पैदा होगा और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जायगी, इस संदर्भ में जिला अधिकारी की चिट्ठी आयी हो, तो बतलाएं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेई—

कोई चिट्ठी मेरे पास नहीं आयी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

शिक्षा मंत्री कृपा करके बतलाएंगे कि जो ये अध्यापक अलग किये जा रहे हैं, इनमें कितने पुराने अध्यापक भी हैं, और यदि अब तक इनका काम चल गया नैनीताल बोर्ड से, अब उसे चलने में क्या विशेष कठिनाई पैदा हो गयी जब सरकारी प्रबन्ध वहां पर हो गया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी, बाजपेयी—

इस में बहुत से अध्यापक १९६५ के पहले के भी हैं और उस के बाद के भी हैं। जितने भी अध्यापक निकाले गये हैं वे अप्रशिक्षित हैं। शासन की ओर से यों मना नहीं किया जाता है, जिला परिषद् अपने साधन के अन्तर्गत उनको रखना चाहे तो रख सकती है। लेकिन सवाल यह उत्पन्न हुआ कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को नहीं रखा जा सकता। १९६७ में नैनीताल को जिला परिषद् को जी० ओ० भी भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ६७–६८ में अप्रशिक्षित अध्यापक रखे गये। ऐसी हालत में जब यह देखा गया कि जिला परिषद् की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है तो उसको बाध्य हो कर अप्रशिक्षित अध्यापकों को नोटिस देनी पड़ी।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मैंने परसों स्पष्ट रूप से बतलाया था कि जिला अधिकारी को तार व पत्र भेजा गया जिस को कि मन्त्री महोदय मना कर रहे हैं। ऐसी हालत में यह वक्तव्य पूरा नहीं माना जा सकता। दूसरे शिक्षा मन्त्री ने बतलाया कि ६५ से पहले २६७ अध्यापकों में से १७३ अध्यापकों को नियुक्त किया गया था और १७ अध्यापक हैं ६५ के बाद के तो माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि ६५ के पहले और उसके बाद के अध्यापकों का कार्यकाल कितने समय का है?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

नवम्बर, ६५ के पहले के टोटल १७३ अध्यापक हैं और उनका कार्यकाल १० वर्ष का भी हो सकता है और १५ वर्ष का भी। ये अनियमिततायें बराबर चलती रहीं। सन् ६७ के जी० ओ० में यह कहा गया था कि जो ढाई साल के अप्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको हटा दिया जाय लेकिन उसके बावजूद भी जिला परिषद् ने उस पर ध्यान नहीं दिया और यह संख्या बढ़ती गयी। जी० ओ० जिस समय गया था उस समय इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन जिला परिषद् की अनियमितता के कारण यह सवाल उत्पन्न हुआ। जिला परिषद् बेशक अपने साधन से उनकी नियुक्ति कर सकती है और शासन उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं करती।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

जो अध्यापक अप्रशिक्षित होने के आधार पर निकाले गये हैं क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि निकाले गये अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाय?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार की ओर से यह आदेश जारी किये गये हैं कि जो अप्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाय, लेकिन निकाले गये अध्यापकों में से १६ ऐसे हैं जिनके पास न्यूनतम योग्यता यानी जूनियर हाई स्कल पास सार्टिफिकेट भी नहीं है। ऐसी अवस्था में उन १६ अध्यापकों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता लेकिन बाकी जो हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की अवस्था की जायगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जायगा तो क्या सरकार यह आदेश अथवा आश्वासन भी देगी कि प्रशिक्षण के पश्चात् उन अध्यापकों को उनके पूर्व स्थान पर नियुक्त कर दिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजापेयी---

यह शासन से सम्बद्ध नहीं है। ये नियुक्तियां जगहों के अनुसार की जायेंगी और यह जिला परिषदों के सोचने की बात है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अभी आपने जो १६ अध्यापकों की बात की, वे किस जाति के हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

यह मुझे मालम नहीं है कि ये अध्यापक किस जाति के हैं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

मैं इसलिए कह रहा था कि वहां पर तराई क्षेत्र के जो थारू जाति के अध्यापक हैं उनमें से ६ अध्यापक ऐसे हैं जिनकी २२-२२ साल की सर्विस हो गयी है जबकि उस जाति में पहले कोई पढ़ना तक नहीं जानता था।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, जब १९६७ में यह आदेश हो गये थे कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को अलग कर दिया जाय, तो फिर उनको रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जिला परिषद् के ऊपर।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीया मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि शासन द्वारा जिला परिषदों के लिए जो अध्यापकों की स्वीकृत संख्या है उसका आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जब जिला परिषदों द्वारा अध्यापकों की मांग की जाती है तो उसमें ऐसा है कि जिला परिषद् तथा शासन की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है उसके हिसाब से ही अध्यापक रखे जाते हैं। १९२४ के पहले जितने भी अध्यापक थे उनके ऊपर जिला परिषद् ही खर्च करती थी और उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और जिसका अनुमोदन सरकार ने किया था उसका सारा खर्च शासन को ही करना पड़ता है। शासन कहीं पर अगर स्कूल खोलने के लिए कहती है तो उसका भी शत-प्रतिशत खर्च सरकार ही देती है। साथ ही जितनों को एप्रूवल हो जाता है उसका पैसा भी सरकार ही देती है।

श्री गोविन्द सिंह---

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि जितने अध्यापकों का सरकार वेतन देना स्वीकार करती है अनुदान के रूप में, तो सरकार के पास इस अनुदान देने का आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जिला परिषद् और सरकार का अंशदान दोनों को मिला कर संख्या निर्धारित की जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगी कि जिन २६७ अध्यापकों को हटाया गया है उनके स्थान पर विद्यार्थियों की आजकल जो परीक्षायें चल रही हैं, सरकार ने क्या प्रबन्ध कराया है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

यह जिला परिषद् के सोचने की बात है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगी कि जिन जिला परिषदों के भूतपूर्व चेयरमैन कुछ अध्यापकों को रख लेते हैं। वे पढ़े लिखे भी नहीं होते और उनको दो-दो, तीन-तीन हजार रुपया देते हैं। तो आप इसकी कुछ व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

यदि जिला परिषदें अपने साधन से दे सकती हैं तो ठीक है वे दें। शासन इस पर कोई रोक नहीं लगाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या माननीया शिक्षा मंत्री बतलायेंगी कि अध्यापकों की नियुक्ति के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी कक्षा में बच्चों की संख्या को देखकर ही अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ? जो ये अध्यापक निकाले गये हैं क्या वे आवश्यकता से अधिक थे या वे अप्रशिक्षित थे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

नियम तो ऐसा ही है कि करीब ४० विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रखा जाय और इस तरह से अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाय। यह जो अध्यापक निकाले गये हैं, ऐसा समझा जाता है कि इनके बारे में कोई अप्रूवल शासन से नहीं दिया गया था, इसका कारण यह था कि वे अप्रशिक्षित थे। रिपोर्ट से ऐसा भी मालूम होता है कि जरूरत से भी ज्यादा थे।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

नैनीताल जिले में जिन अध्यापकों को निकाला गया है यदि उनकी मिनिमम शैक्षिक योग्यता मौजूद है लेकिन वे अनट्रेन्ड हैं और उनको पढ़ाते हुए ६–७ वर्ष हो गये हैं तो क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है कि उनको ट्रेनिंग से मुक्त कर दिया जाय ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

अभी हाल में शासन की ओर से ऐसे आदेश दिये गये हैं कि प्रदेश भर में जितने भी अप्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

नैनीताल जिले में ५६,८७१ लड़के हैं और उन पर टीचर्स का औसत आता है ६४.६६ तथा जूनियर हाई स्कूल में ७,६०० पर लड़कों का औसत आता है २५। तो क्या माननीय मंत्री जी जो उन्होंने उत्तर दिया है उसके आधार पर स्वीकृति देने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य इस बात को पसन्द करेंगे कि उनक बच्चे प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा ही शिक्षा पाएं। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, उसका संबंध जिला परिषद् से है। नियुक्ति करना उनका काम है। उससे शासन का संबंध नहीं है।

श्री कल्यान सिंह —

मेरा प्रश्न यह था कि जिन लोगों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो है लेकिन अनट्रेन्ड हैं और पिछले ५–६ वर्षों से वे पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो क्या सरकार उन लोगों को ट्रेनिंग से मुक्त करने के आदेश देने जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मुक्त तो करने नहीं जा रही है लेकिन यह करने जा रही है कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

दूसरे जिलों में जो अप्रशिक्षित अध्यापक काम कर रहे हैं उनके बारे में सरकार की क्या नीति है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

मैंने अभी बताया था कि सरकार ने ऐसा विचार किया है कि प्रदेश भर में जितने भी अप्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण पाना है, नहीं तो नौकरी नहीं रहेगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, आज यह बिल ५ बजे तक पास होना था इसलिये मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव ले आइए।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय, जब तक यह बिल पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

बढ़ेगा। उसको तो आज ही पास होना है। यह तो पहले ही सदन ने पास कर दिया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सरकार की निश्चित नीति है कि जो लोग निश्चित स्तर तक शिक्षा ले चुके हैं और अध्यापक हैं वे अगर ट्रेन्ड नहीं हैं तो उनको एक्जेम्शन आटोमेटिकली हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जितने अध्यापक जिला परिषद् ने नियुक्त किये वे विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से नियुक्त किये यह मानते हुए कि उन्होंने सरकारी आदेश की अवहेलना की क्या माननीया शिक्षा मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगी कि इन २६७ अध्यापकों के जीवन को बनाए रखने के लिये जिला परिषद् के अन्तर्गत इनको काम करने की व्यवस्था कर देंगी और धीरे-धीरे ये अपनी ट्रेनिंग भी लेते रहें ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

यह प्रश्न पहले भी विचारा जा चुका है और जब अध्यापकों की संख्या बढ़ती गई और शासन ने स्पष्ट रूप से इनका कोई अप्रूवल नहीं दिया था तो स्वयं जिला परिषदों ने पिछले वर्षों में नए अध्यापकों की नियुक्ति न करके जो बढ़े हुए अध्यापक थे इन्हीं को दूसरी जगह पर रखा था। जैसे अगर किसी स्कूल के अध्यापक नहीं रहे या कहीं और चले गये तो उसकी जगह पर नयी नियुक्तियां न करके जो पहले से लगे हुए थे उन्हीं को लगाया। इस तरह से इनकी संख्या घटती और बढ़ती रही। पहले तो यह संख्या करीब ६१९ की थी लेकिन फिर यह संख्या ६१९ से घट कर २६८ आयी और इस समय हमारे आंकड़े के हिसाब से, माननीय सदस्य ने तो प्रश्न में २६७ कहा है लेकिन वह संख्या २६६ होती है १ मई, १९७० को। अब सवाल यह है कि इनको प्रशिक्षण से मुक्ति दी जाय। यह विधान जरूर रहा किसी-किसी केस में परन्तु इस बार शासन ने ऐसा निर्णय लिया है चूंकि हमारे पास प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत काफी है और नैनीताल जिले में ही ८० परसेंट अध्यापक प्रशिक्षित हैं और जिन्हें हम काम नहीं दे सके हैं। ऐसी अवस्था में हम उचित समझते हैं कि जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं उनको पहले काम दें। अप्रशिक्षित को हम ट्रेनिंग देंगे। फिर वह जहां भी लग सकेंगे लगाये जायेंगे। यह हो सकता है शासन की तरफ से कि जब तक पुराने लोग एब्जार्ब न हो जाएं तब तक नये लोग नियुक्त न किए जाएं।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव आया था उसके ऊपर मैंने राय नहीं ली थी, अब ले लेता हूं कि सदन ५ बजे के बाद तब तक बैठेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित न हो जाय। क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति ने यह स्वीकार किया था कि इसको आज पास कर दिया जाय मैं समझता हूं कि सदन भी इसको स्वीकार कर लेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरे सवाल के उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया था कि ऐसा जान पड़ता है कि आवश्यकता से ज्यादा थे। निश्चित जानकारी नहीं थी। लेकिन श्री डूंगर सिंह ने जो आंकड़े दिये उससे ऐसा लगता है कि जरूरत से ज्यादा नहीं थे बल्कि कम थे। तो क्या इस चीज को देखते हुए चालू सत्र में फिर से उन्हें सेवा में लेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जी नहीं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

जैसा कि माननीया मंत्री जी ने बताया कि २६६ अध्यापक जिला परिषद् नैनीताल से निकाले गये हैं तो चूंकि जिला परिषद् का सत्र जून में समाप्त होता है, क्या माननीया मंत्री जी ने कोई ऐसी व्यवस्था कर दी है कि स्कूल २६६ अध्यापकों के निकाले जाने से बन्द न हो जाएं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

यह देखना तो जिला परिषद् का काम है।

श्री जगदीश गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगीं कि नैनीताल जिला परिषद् में २६७ को निकालने के पहले एक अध्यापक के पीछे कितने बच्चे थे और उनके निकालने के बाद अब क्या औसत है ?

डाक्टर राजन्द्रकुमारी बाजपेयी---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जूनियर और प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या मिडिल पास होनी चाहिए ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

ट्रेन्ड होते हैं मिडिल पास जो पुराने थे और हाई स्कूल के साथ एच० टी० सी० की ट्रेनिंग दी जाती है ।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अध्यापकों को जिन साधनों से जिला परिषद् वेतन दे रहे थे और वह साधन जिला परिषद् जिलाधीश के पास आ गये तो फिर आपको क्या कठिनाई हुई ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

अर्थ की कमी थी । नवम्बर तक का वेतन कोशिश करने पर दिया जा सका और ६ महीने का बाकी है ।

एक सदस्य---

मंत्री जी बतायेंगी कि वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके तो इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की है या सरकार की ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

यह जिम्मेदारी उन लोगों की है जो अप्रशिक्षित रहे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने के आश्वासन के साथ-साथ क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगी कि इन २६६ अध्यापकों को नौकरी में रहते हुए इनको बनाये रखने की व्यवस्था हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

ऐसा तो संभव नहीं होगा ।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

इन २६७ में से कितने-कितने दिनों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं क्योंकि कुछ अध्यापकों को जो अप्रशिक्षित हैं उनको साल भर में एक नोटिस दिया जाता है और कितने ही ऐसे पुराने अध्यापक होते हैं जो दसियों साल से पढ़ाते होंगे तो अध्यापकों में कितने अध्यापक कितने कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

नवम्बर १९६५ के जो अध्यापक हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर इस प्रकार है कि पुरुष (जो कि हाई स्कूल पास हैं) वह हैं ३१, महिला १४, इस तरह से ४५ । जो जूनियर हाई स्कूल पास हैं आठवीं तक की, उनमें पुरुष ८३, महिला ३१, टोटल ११४ । और विद्याविनोदनी पास में महिला ५ हैं---टोटल ५ । इस प्रकार से कुल मिलाकर १७३ हैं और १९६५ के नवम्बर और १९६७ के बीच में जो टोटल संख्या है वह ३६ है । और नवम्बर ६७ के बाद की संख्या ५७ है । इस प्रकार से टोटल २६६ हमारे यहां होता है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जी यह देखते हुए कि इस विधान सभा के सभी सेक्शन्स के सदस्यों को इन अध्यापकों के निकाले जाने का बड़ा क्षोभ है और जिला परिषद् को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है अतः सदस्यों की इस भावना को देखते हुए बिना इस बात की फिक्र किये हुए कि वह प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित हैं पुनः उनको नौकरी में लेने की घोषणा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार अनियमित काम करने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीया मंत्री जी यह बतावेंगी कि यदि यह अध्यापक बच्चों की संख्या को देखते हुए अधिक नहीं थे तो उनको चालू सत्र में लेने में क्या आपत्ति है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

चालू सत्र में लेने का प्रश्न नहीं उठता है ।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह जानकारी चाहता हूं कि एम० डी० शर्मा, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर प्लानिंग, इलाहाबाद, द्वारा जो जिला परिषद् नैनीताल के संबंध में जांच की गई उसका क्या फल हुआ ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह--

जिस समय इन अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी उस समय प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं थे इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षा मंत्री जी इन अध्यापकों को वापस लेने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय यह तो वही बात हुई कि अब हवाई जहाज पर चढ़ने के बजाय बैलगाड़ी पर फिर चढ़ा जाय ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

खंड २२--(क्रमागत)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि २२ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति से "या स्थानीय प्राधिकारी" निकाल दिया जाय । श्रीमन्, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है : कि गृह का अध्यासन करने के संबंध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिए कोई परिव्यय व (२) गृह के संबंध में देय कोई कर चाहे उसका कुछ भी नाम हो भी सम्मिलित है, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जैसी भी दशा हो देय हो । श्रीमन् हम लेबरर्स को क्वार्टर्स देते हैं और उसका एक निश्चित किराया निर्धारित करते हैं और फिर कुछ शर्तें लगाते हैं । हमारा एक कांट्रैक्ट होता है और उसके आधार पर हम क्वार्टर किराए पर देते हैं । दूसरी ओर इस विधेयक के द्वारा यह कहा गया है कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो भी टैक्स लगाया जायगा वह उसको देने के लिए वाध्य होगा ।

श्रीमन्, यह समझने के लिए तो मैं तैयार हूं यदि यह सदन किसी प्रकार का टैक्स बढ़ा दे मकानों के ऊपर जिस प्रकार कि भूमि भवन कर लगा दिया लेकिन श्रीमन् इसमें स्थानीय प्राधिकारी को यह अधिकार दे रखे हैं कि वह जैसा भी चाहे कर बढ़ा सकता है वह जो भी चाहे रकम बढ़ा सकता है और वह देय होगा इसमें मेरा मत भिन्न है और इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "स्थानीय प्राधिकारी" शब्द निकाल दिया जाय। आशा है कि हमारे राजस्व मंत्री जी इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मुझे मान्यवर खेद है कि मैं माननीय सदस्य की राय को नहीं मान सकता क्योंकि स्थानीय प्राधिकारी शब्द निकाल देने से केवल सरकार शब्द ही रह जायगा। सारे टैक्स सरकार निश्चत करती है ऐसा नहीं है। कहीं सरकार और कहीं प्राधिकारी करते हैं। जब आपने ऐक्ट माना है तो फिर यह पूरा रहना चाहिये और इसको निकाल देने से मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२ के उप खंड (२) की दूसरी पंक्ति से "या स्थानीय प्राधिकारी" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३

धारा २१ के स्थान पर नई धारा रखा जाना

२३—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"२१—(१) यदि श्रम आयुक्त की यह राय हो कि—

गृहादि से बेदखली

(क) किसी गृह के अध्यासन के लिए अधिकृत व्यक्ति ने—

(१) ऐसे गृह के संबंध में किराए के भुगतान में श्रम आयुक्त द्वारा धारा १६ के अधीन किसी बढ़ोत्तरी की अनुज्ञा की संगणना करते हुए कम से कम दो माह की बकाया की हुई ; या

(२) ऐसे सम्पूर्ण गृह या उसके किसी भाग को शिकमी पर उठाया है ; या

(३) किसी ऐसी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित शर्त का जिसके अधीन वह उक्त गृह पर अध्यासन करने के लिए अधिकृत हो उल्लंघन करके अन्यथा कार्य किया है ; या

(४) औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गया है ; या

(ख) कोई व्यक्ति किसी गृह का अनधिकृत अध्यासन किए हैं,

तो श्रम आयुक्त तत्समय किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी नोटिस द्वारा जिसकी तामील—

(१) डाक द्वारा ; या

(२) उक्त गृह के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख भाग पर उसकी एक प्रतिलिपि चिपकवा कर; या

(३) ऐसी अन्य किसी रीति से, जो नियत की जाय, होगी, समस्त संबंधित व्यक्तियों को, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों को जिनके अध्यासन में गृह हो या हो सकता हो, अथवा जो उसमें हित रखने का दावा करते हों, ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो, यह कारण बताने के लिये कह सकता है कि क्यों न उसे उससे बेदखल करने की आज्ञा दी जाय ।

(२) यदि नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हों और किसी ऐसे समय पर, जो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, श्रम आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि नोटिस में उल्लिखित कोई भी परिस्थिति विद्यमान है, या नोटिस जारी करने के दिनांक को विद्यमान थी, तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, बेदखली की आज्ञा देते हुए यह निदेश दे सकता है कि गृह उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अध्यासन हो, खाली कर दिया जाएगा, और आज्ञा की एक प्रतिलिपि गृह के बाहरी दरवाजे या उसके किसी प्रमुख भाग पर चिपकवायेगा ।

(३) यदि कोई व्यक्ति बेदखली की आज्ञा की उपधारा (२) के अधीन उसके प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनुपालन करने से इन्कार करे या अनुपालन न करे तो श्रम आयुक्त अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को गृह से बेदखल कर सकता है और उस पर कब्जा ले सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(४) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के खंड (क) के उप खंड (१) या (३) के अधीन गृह खाली करने की आज्ञा दी गई हो, उपधारा (३) में अभिदिष्ट अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी श्रम आयुक्त अनुज्ञा दें, श्रम आयुक्त को बकाया किराया दे दे अथवा यथास्थिति श्रम आयुक्त के सन्तोषानुसार उन शर्तों के जिनका उसने उल्लंघन किया हो भंग करने का परिहार कर दे, तो श्रम आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय उपधारा (१) के अधीन दी गई अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकता है और तदुपरान्त वह व्यक्ति उस गृह पर उन्हीं शर्तों पर, जिनके अन्तर्गत वह आज्ञा दी जाने के ठीक पूर्व अध्यासीन था या ऐसी परिष्कृत शर्तों तथा निबन्धों पर, जिन्हें श्रम आयुक्त निर्धारित करें अध्यासीन रहेगा ।"

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में २१ (क) (१) में उल्लिखित "२ माह" के स्थान पर "४ माह" कर दिया जाय । श्रीमन्, आज यह सरकार इस बात पर तुली है कि मजदूरों का गला घोट दिया जाय । यह सरकार इस बात पर तुली है कि मजदूरों के ऊपर जितना कर हम लाद सकें लाद दें और उनको बेदखल कर सकें और अनेक प्रकार के टैक्स लगा सकें । ऐसी सूरत में मैं सिवाय इसके कि यह कहूं कि राजस्व मंत्री बहुत वृद्ध हो गये और अगर वह जाते जाते मजदूरों को कुछ सुविधा दे जायंगे तब तो लोग उनको याद करेंगे और अच्छा होगा कि वह उनको सुविधा दें । श्रीमन्, दुनिया में जो आया है वह जायेगा, क्रमशः जाये इस नाते वह लम्बे अर्से तक जियें लेकिन जाना है वह वृद्ध हो चुके हैं ।

श्रीमन् ३ महीने के लिए साधारण किरायेदारों को हक है कि यदि वह किराया का भुगतान नहीं करते तब उनको नोटिस इशू होती है और वह बेदखल हो सकते हैं लेकिन इस संशोधन में ३ महीने के स्थान पर २ महीने कर दिया गया है। मेरा तो कहना यह है कि श्रमिक मजदूरों के लिए यदि कभी वह बीमार पड़ जाय उसके घर में उसके बच्चे खाने के बगैर तरस रहे हों और वह एक वक्त भी भोजन न कर पावे और वह लड़की की शादी के कर्जे से लदा हो तो उसे तीन महीने की जगह चार महीने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी कारण मैंने दो महीने की जगह चार महीने का संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री जी को मजदूरों पर दया आयेगी और वह इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

मैं भी प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत छोटी सी बात है, आपका बहुमत भी है और आप पास करायेंगे तो पास हो भी जायगा लेकिन दो महीने की जगह चार महीने कर दें तो बड़ी राहत मिलेगी। मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री जी इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर चार महीना कर देंगे और सारे प्रदेश में किराये के मकानों में रहने वाले लोगों की दुआयें लेंगे और हम लोग तो उनको दुआ देंगे ही।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं लेकिन यह गरीब मजदूरों के फायदे के लिए ही लाया गया है।

जो लोग जबरदस्ती रह रहे हैं और किराया नहीं देते हैं और न दे ही रहे हैं। उनका रख रखाव भी ठीक होगा। इस लिये दो ही महीने हैं। उसको एरियर नोटिस देकर यह किया जाता है। वह ठीक ही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय अध्यक्ष महोदय और स्थानों पर तो यह ३ महीने के लिये है। इसलिये इसको तीन महीने स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह जो संशोधन तीन महीने के लिये हुआ उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २३ में २१(क)(१) में उल्लिखित "२ माह" के स्थान पर "३ माह" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महीलाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा २१(१)(क)(२) में शब्द "शिकमी" के बाद शब्द "किराये" बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २३ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा २१(१)(क)(२) में शब्द "शिकमी" के बाद शब्द "किराये" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से खंड २३ में २१(१)(ख) (१) में "डाक" के पुर्व शब्द "रजिस्टर्ड ए० डी०" लिख दिया जाय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खड २३ में २१(१)(ख)(१) में "डाक" के पूर्व शब्द "रजिस्टर्ड ए० डी०" लिख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री महीलाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से खंड २३ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा २१(२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "चिपकवायेगा" के स्थान पर शब्द "चस्पां करायेगा" रख दिये जांय, व धारा २१(३) में शब्द "प्रकाशित होने" के स्थान पर शब्द "चस्पां किये जाने" रख दिये जायें ।

इसी के साथ मैं एक दूसरा संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २३ द्वारा मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा २१(३) में शब्द 'ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो' के स्थान पर शब्द 'नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर' रखे जायें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २३ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा २१(२) की अन्तिम पंक्ति में "चिपकवायेगा" के स्थान पर शब्द "चस्पां करायेगा" रख दिये जांय, व धारा २१(३) में शब्द "प्रकाशित होने" के स्थान पर शब्द "चस्पां किये जाने" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २३ द्वारा मूल अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा २१(३) में शब्द 'ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो' के स्थान पर शब्द 'नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर" रखे जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४

नई धारा २४-क से संख्या २४-च तक का रखा जाना

२४---(१) मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात:---

निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात् :---

"२४-क--- (क) किसी गृह के अध्यासन की बाबत बकाया किराया की वसूली करने ;

कतिपय अनुतोष के लिए वाद आदि पर रोक

(ख) किसी गृह से बेदखल करने ;

(ग) किसी गृह के प्रयोग या अध्यासन की बाबत हर्जे का निर्धारण या उसकी वसूली करने;

के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जाएगी यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलक्ष्य हो ।"

(२) पूर्वोक्त के अनुसार रखी गई धारा २४-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं रख दी जायें, अर्थात् :--

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

"२४ ख--(१) यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया किराए की वसूली के लिये या हर्जे के निर्धारण अथवा उसकी वसूली के लिए या उसे बेदखल करने के लिए कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा की गई हो, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान मृत्यु हो जाय तो कार्यवाही उस व्यक्ति के दायादों या विधिक प्रतिनिधयों के विरुद्ध की जा सकती है अथवा जारी रक्खी जा सकती है ।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा बकाया किराए या हर्जे अथवा व्यय के मद्दे देय किसी धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके दायादों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा किन्तु उनका दायित्व उस सीमा तक होगा जहां तक मृतक की परिसम्पत्तियां उनके पास हों ।

२४-ग--इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए श्रम आयुक्त को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित अधिनियम के अधीन जांच के संबंध में अधिकार विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी दीवनी न्यायालय में निहित हो, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और पथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रच्तुत करने की अपेक्षा करना ; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय ।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

२४-घ--(१) यदि श्रम आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी गृह पर अनधिकृत अध्यासन है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के जिनका गृह पर अध्यासन हो, नाम तथा अन्य ब्योरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करे और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, सूचना जो उसके पास हो, देने के लिए बाध्य होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गए किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जान-बूझ कर चूक करे तो वह अर्थ-दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

आदेशों का अंतिम होना

२४–ङ—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा ।

अधिकृत अधिवासियों द्वारा गृह पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

२४–च—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २१ के अधीन गृह से बेदखल कर दिया गया हो तो श्रम आयुक्त ऐसे व्यक्ति से और ऐसी रीति से जिसे नियत किया जाये, तदर्थ नोटिस तामील अथवा प्रकाशित होने के पश्चात् ऐसे गृह पर रह गई किसी सम्पत्ति को हटा सकता है या हटवा सकता अथवा उसका निस्तारण ऐसी रीति से कर सकता है जो नियत की जाय ।

(२) यदि किसी ऐसी सम्पत्ति का निस्तारण विक्रय द्वारा किया जाय तो बिक्रय से प्राप्त धनराशि का, उसमें से बिक्रय–व्यय और बकाया किराये या हर्जे के मद्दे राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात्, भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें श्रम आयुक्त उसे पाने का हकदार समझे अथवा यदि श्रम आयुक्त यह निश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि दी जाय अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय तो उसे किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय होने तक के लिए जमा रक्खा जायेगा ।"

श्री महीलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २४ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा २४–क की अन्तिम पंक्ति में शब्द " उपलक्ष्य" के स्थान पर शब्द 'उपलम्य' रख दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इतने संशोधन स्वीकार हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल जो ड्राफ्ट होकर आया तो मंत्रिपरिषद् ने उसको अच्छी तरह से देखा नहीं और उस पर विचार नहीं किया । जो लीगल एडवाइजर थे उन्होंने कैसी राय दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

छापे की गलती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो इन कुर्सियों की बलिहारी है । हमेशा ऐसा होता आया है ।

प्रश्न यह है कि खंड २४ धारा मूल अधिनयम में बढ़ाई गई धारा २४–क की अन्तिम पंक्ति में शब्द "उपलक्ष्य" के स्थान पर शब्द "उपलम्य" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २४(ङ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अन्तिम" के आगे का सम्पूर्ण भाग निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी ।"

श्रीमन्, यह लेबर कालोनी के बारे में ही नियम है । लेबर कालोनी का सबसे बड़ा अधिकारी श्रमायुक्त होता है । श्रम विभाग द्वारा लेबर को क्वार्टर दिया गया है या दिया जाएगा और श्रमायुक्त उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है । इस तरह से वह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रतिनिधित्व में उस बिल्डिग का मालिक है और जो श्रमिक है वह किरायेदार है । अब यदि दोनों में झगड़ा पड़ा तो मालिक स्वयं न्यायाधीश बनकर फैसला देगा और उसकी अपील का अधिकार श्रमिक को किसी अधिकारी या न्यायालय के सामने करने को नहीं दिया गया है । तो श्रमायुक्त के द्वारा उसको न्याय मिलेगा यह कहना कठिन है । मिले, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, जैसे ३०–४० वर्ष से कोई श्रमिक एक क्वार्टर में रहता है, वह रिटायर हो गया, अब उस भवन में रहने का हालांकि उसको अधिकार है लेकिन इस कानून के अन्तर्गत वह श्रमिक नहीं है, यदि श्रमायुक्त ने कहा कि क्वार्टर छोड़ दो तो उसे कहीं जाने का इसमें रास्ता नहीं है । इसके अलावा किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय अगर वह वसूल करना चाहे और श्रमिक उसे अन्याय समझे तो वह श्रमायुक्त से अलग नहीं जा सकता । तो श्रीमन्, कहीं पर भी ऐसा झगड़ा होता है मकान मालिक और किरायेदार के बीच में तो तीसरा आदमी न्यायाधीश होना चाहिये । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मेरे इस संशोधन को माननीय सदन स्वीकार करने की कृपा करे ।

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, माननीय जायसवाल जी ने जो संशोधन रखा है यह पूर्णतः उचित है । अक्सर ऐसा होता है कि जो श्रमिक इन किराये के मकानों में रहते है उनको आए दिन निकाल दिया जाता है किसी न किसी कारण से, कभी–कभी झूटी शिकायतों पर भी । अगर उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिल जाय तो न्याया मिलने में सुगमता होगी । मैं समझता हूं यह एक बहुत छोटी सी बात है और सरकार को इसे मंजूर कर लेना चाहिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, इस विधेयक की सारी मंशा ही यह है कि जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको रहने के लिए आवास की सुविधा दी जाय । माननीय जायसवाल जी ने अभी कहा कि जो मजदूर मजदूरी करते हैं और अगर अब उन्होंने मजदूरी करना छोड़ दिया है तो उनको निकाल दिया जायगा । हो सकता है, ऐसा कोई केस हुआ हो लेकिन जो मजदूर मजदूरी कर रहा है, क्या उसको रहने के लिए जगह न दी जाय । और अगर उसको आवास देने के लिए खाली कराना जरूरी हो तो अगर हाई कोर्ट इस पर विचार करेगा तो यह वहां पर सालों पड़ा रहेगा और उन मजदूरों के साथ कोई न्याय नहीं होगा, जिन्हें आवास की आवश्यकता है । यह विधेयक तो मजदूरों के लिए ही है । ये क्वार्टर्स इस तरह से हथिया लिए गये हैं कि जिनके लिये यह धन व्यय किया गया है, उनको उससे कोई फायदा नहीं होता है । माननीय जगदीश जी ने कानपुर की हालत नहीं देखी है । वहां पर मजदूरों की बहुत बुरी दशा है । सरकार ने उन्हीं के उपयोग के लिए ये क्वार्टर्स बनाये है ।

जहां तक श्रमायुक्त का प्रश्न है वे एक उच्च अधिकारी हैं । वे कोई अन्याय नहीं करेंगे । इसलिए जो आदेश वे देंगे वह सही होगा, न्याययोचित होगा । अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४ (ङ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अंतिम" के आगे का सम्पूर्ण भाग निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाय :

"की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री महीलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खंड २४ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा २४—च के पार्श्व शीर्षक में शब्द "अधिकृत" के स्थान पर शब्द "अनधिकृत" रख दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गई धारा २४—च के पार्श्व शीर्षक में शब्द "अधिकृत" के स्थान पर शब्द "अनधिकृत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५ व २६

धारा २७ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"(१) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी गृह से बेदखल किया गया हो, उस गृह पर इस प्रकार अध्यासन करने के लिए बिना किसी प्राधिकार के फिर से अध्यासन कर ले, तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे।

(१—क) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराये, उस व्यक्ति को ऐसे गृह से जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो क्षिप्र बेदखल करने का भी आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त वह, किसी ऐसी कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(१—ख) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारा (१—क) के अधीन दिये गये आदेश को ऐसी शर्तों पर यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझें स्थगित रखने का निदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश में परिष्कार या परिवर्तन कर सकता ह अथवा उसे रद्द कर सकता है।"

धारा २८ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसके एक या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या संशोधन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का निरसित और परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाना

२७—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ का अध्याय ७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है कि उसकी धारा ७१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

कतिपय अनुतोष के लिए वाद आदि पर रोक

"७१-क—निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात्:—

(क) परिषद् के किसी भू-गृहादि के अध्यासन की बाबत बकाया किराए की वसूली करने;

(ख) ऐसे भू-गृहादि से बेदखल करने;

(ग) ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत क्षतिमूल्य की वसूली करने,

के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जाएगी;

यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हो।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

खंड २७ की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द 'उसकी धारा ७१ के पश्चात्' से पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"उसकी धारा ६९ में शब्द 'कोड आफ सिविल प्रोसीजर' जहां भी आयें हों, के स्थान पर 'सिविल प्रक्रिया संहिता' रख दिये जायं वे शब्द "कोड

आफ क्रिमिनल प्रोसीजर" के स्थान पर शब्द "दण्ड प्रक्रिया संहिता" रख दिये जायें, और उसकी उपधारा (२) (ख) में शब्द 'दिनांक, जब तक प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जाय, ऐसा दिनांक नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन पूर्व न होगा' के स्थान पर शब्द 'अवधि जिसके भीतर प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जायगा, जो नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन पूर्व की न होगी' रख दिये जायें, व"

खंड २७ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा ७१–क की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उपलब्ध' के स्थान पर शब्द 'उपलभ्य' रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड २७ की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "उसकी धारा ७१ के पश्चात्" से पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :––

"उसकी धारा ६६ में शब्द 'कोड आफ सिविल प्रोसीजर' जहां भी आये हों, के स्थान पर 'सिविल प्रक्रिया संहिता' रख दिये जायं, वे शब्द 'कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर' के स्थान पर शब्द 'दंड प्रक्रिया संहिता' रख दिये जायं, और उसकी उपधारा (२) (ख) में शब्द 'दिनांक, जब तक प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जाय, ऐसा दिनांक नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन पूर्व न होगा' के स्थान पर शब्द 'अवधि जिसके भीतर प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जायगा, जो नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन पूर्व की न होगी,' रख दिये जायं, "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड २७ द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा ७१–क की अन्तिम पंक्ति में शब्द "उपलब्ध" के स्थान पर शब्द "उपलभ्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल––

श्रीमन्, मैं खंड २७ (ग) का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि शासन की ओर से जो विधेयक प्रस्तुत हो उसमें शासन के दल के मुख्य सचेतक के द्वारा जिस विधेयक के २६ संशोधन प्रस्तुत किये जायं और वे २६ संशोधन केवल संशोधन मात्र न हों बल्कि उन २६ संशोधनों में और भी चीजें निहित हों तो वह शासन किस प्रकार से किस हिम्मत के साथ यह विधेयक प्रवर समिति को न भेज कर यह बात इस सदन में कहने के लिये प्रस्तुत हुआ। इसके लिये सिवाय और किसी चीजे के यह कहना उचित होगा ऐसे लोगों को, ऐसे शासन को कि वह किस मद में मदान्ध होकर अपने बहुमत के आधार पर किसी भी चीज को लादना चाहता है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बार बार यह बात कही जा रही है कि हम तो गरीबों को क्वार्टर देने के लिये यह विधेयक ला रहे हैं। बार बार यह कहा गया कि यदि यह विधेयक प्रवरर समिति को भेज दिया जायेगा तो बहुत समय लगेगा। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् ६७ और ६८ में हाई कोर्ट ने हमारे इसके पूर्व के विधेयक के खिलाफ जजमेन्ट दिये थे। १९६७–६८ से लेकर ७० तक यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। सारे मुकदमे उसके पड़े रहे। लेकिन पन्द्रह दिन की अवधि के लिये प्रवर समिति में भेजने के लिये इस शासन ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहर्ष भेजना स्वीकार नहीं किया। २९–२९ संशोधन शासन की ओर से लाय गय। यह शासन की अयोग्यता का जीता-जागता स्वरूप है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि २७ (ग) का विरोध करने के लिये खास तौर से हम इसलिये खड़े हुए हैं कि इसमें यही बात लिखी हुई है कि किसी दीवानी न्यायालय में यह मामला नहीं जा सकेगा। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से यह दलील बार बार प्रस्तुत की जा रही है कि न्यायालय में जाने से विलम्ब होता है। जिन्दगी जिन्दगी भर फैसला नहीं होता। बारबार यह बात की जा रही है कि सरसरी तौर पर कार्यवाही करने से ही श्रमिकों का हित होगा। मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि सरसरी तौर पर भी इस प्रकार हित नहीं। मजदूरों ने हड़ताल कर दी और थोड़े समय के लिये वह मामला श्रमायुक्त के पास गया। श्रमायुक्त ने घोषित कर दिया कि हड़ताल इल्लीगल है और कर्मचारी जो काम करते रहे उनका निष्कासन जायज है। तत्काल उसके ऊपर यह तलवार लटक जायेगी कि अब वह श्रमिक नहीं रहा। इससे श्रमिकों के ऊपर बड़ा अत्याचार होगा। श्रमायुक्त से जो फैसला होगा वह मजदूरों क हित में होगा। श्रमायुक्त उससे क्वार्टर खाली करा लगा, किस तरह से फिर वह अपने क्वाटंर की रक्षा कर सकेगा। वह तो न घर का रहेगा और घाट का रहेगा। इस प्रकार का काला कानून बनाने से उस गरीब का बड़ा अहित होगा। यह कानून प्रजातांत्रिक सरकार क लिय भी अच्छा नहीं रहेगा। यदि उच्च न्यायालय से सरकार घबराती है तो क्यों नहीं वह ऐसी व्यवस्था करती कि न्याय सस्ता हो, और शीघ्र लोगों को मिल सके। स्वतंत्रता के बाद जितने भी कानून इस सरकार ने बनाये हैं वह सभी गरीब जनता का अहित करने वाले हैं। आज सारे प्रदेश की जनता न्याय पाने के लिये तरस रही है। अमीर आदमी २०–२० साल तक मुकदमा चलाता है और इस बीच गरीब आदमी की झोपड़ी बिक जाती है। उस झोपड़ी को उसे रेहन रखना पड़ता है फिर वह बिक जाती है, और बाद को वह झोपड़ी उस अमीर की बिल्डिंग का गार्डेन बन जाती है। यदि सरकार सक्षम है तो उसको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि न्याय सस्ता हो और शीघ्र जनता को मिल सके। इसके लिये सरकार को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिये तभी स्वच्छ प्रशासन आ सकेगा। स्वच्छ प्रशासन केवल नारों से नहीं आ सकेगा। स्वच्छ प्रशासन किसी को अप्वाइन्ट करने से भी नहीं आ सकेगा। स्वच्छ प्रशासन जिस तरह से चीनी मिलों को लिया गया है और रिसीवर नियुक्त किये गये हैं इस तरह से भी नहीं आ सकता है। मंत्री जी के एक रिश्तेदार को जो नियुक्त किया गया है उससे स्वच्छ प्रशासन नहीं आ सकता। जिस तानाशाही भावना से यह विधेयक लाया गया है उससे भी स्वच्छ प्रशासन नहीं आ सकता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगदीश गांधी—

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन स्वीकार किया कि २ माह की जगह ३ माह को मान लिया। माननीय महीलाल जी ने भी बहुत से संशोधन रखे जिनको माननीय मंत्री जी ने मान लिया। मैं समझता हूं माननीय महीलाल जी ने उसका बहुत अध्ययन किया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है और जिन्होंने इतनी गलतियां इसमें रहने दी हैं, इनको देखा नहीं है, उनको दंडित करना चाहिये। और सरकार को ताकीद कर देनी चाहिए कि आगे से ऐसे बिल सदन में पेश किए जाएं, जिनमें इस प्रकार की कोई मिस्टेक न हो। यदि उसमें इतनी गल्तियां हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह इसे प्रवर समिति में अवश्य भेज दें। एक ही माननीय सदस्य ने इतनी गल्तियां जब निकाल दीं तो उसमें कितनी त्रुटियां होंगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति में अवश्य इसे भेज दिया जाए, चाहे वह एक हफ्ता के लिए हो या दो हफ्ता के लिए। मैं समझता हूं प्रवर समिति में विचार के लिए भेजने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी ने इस पर बड़ी उदारतापूर्वक विचार किया है और यह उनके हित में ही होगा कि इसमें कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए इसे प्रवर समिति में भेज दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अचम्भा हुआ कि आखिर में जायसवाल (शंकर प्रसाद जायसवाल) जी को जाने क्यों जोश आ गया। जिन विषयों पर उन्हें दो-चार दिन बाद बोलने का मौका मिलता, उन पर उन्होंने आज ही स्पीचेज दे डालीं। नित्यानन्द जी और जायसवाल जी की जो माकूल बात होगी, उसे हम मानेंगे? थोड़ा बहुत वैसे भी हमको मानना पड़ा। मैंने आपका संशोधन भी माना। लेकिन जिस बात को सदन ने एक बार पास कर दिया, बोटिंग से नहीं तो वाइस वोट से ही तय कर दिया, तो उस पर दुबारा आपत्ति करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। वह बात बड़ी हास्यास्पद सी हो जाती है। प्रवर समिति में भेजने की बात दुबारा उठाना ठीक नहीं प्रतीत होता। यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं समझा नहीं पाया। सारी कथा हो गई और माननीय सदस्य पूंछ रहे हैं कि राम कौन था और रावण कौन था?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८–२९

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ में नई धारा १२९–क का रखा जाना

२८—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, जिसे आगे इसमें अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १२९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"१२९–क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो महापालिका के हों या उसमें निहित हों अथवा महापालिका द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा-परिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के संबंध में लागू होते हों, और उसमें—

महापालिका के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना

(क) परिषद्;
(ख) नियत प्राधिकारी;
(ग) न्यायाधिकरण; और
(घ) उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किए गए अभिदेश,

क्रमशः

(क) महापालिका;
(ख) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का कोई सहायक कलेक्टर भी है;
(ग) धारा ३७१ के अधीन संगठित न्यायाधिकरण; और
(घ) इस अधिनियम के अधीन विहित विषय

के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

धारा ३७२ का संशोधन

२९—मूल अधिनियम की धारा ३७२ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(२) न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम १९६५ के अध्याय ७ जैसा कि वह धारा १२९–क के अन्तर्गत महापालिका के भू-गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २८ व २९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा पिछली बेंचों पर कुछ सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सदन के एक कोने में हैव-नाट्स की मीटिंग हो रही है ?

खंड ३०

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ में नई धारा १२०-क का रखा जाना

३०—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में धारा १२० के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

बोर्ड के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना

"१२०-क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो बोर्ड के हों या उसमें निहित हो अथवा बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिए गए हों, इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित परिषद् के भू-गृहादि के संबंध में लागू होते हों, और उसमें—

(क) उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित परिषद्;

(ख) नियत प्राधिकारी;

(ग) न्यायाधिकरण ; और

(घ) उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय—

के लिए किए गए अभिदेश क्रमशः—

(क) इस ऐक्ट में यथा परिभाषित बोर्ड;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का कोई सहायक कलेक्टर भी है ;

(ग) उस जिले का जिसमें भू-गृहादि हो, जिला न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत कोई अपर जिला न्यायाधीश जिसे वह निस्तारण के लिए इस अध्याय के अधीन कोई अपील संक्रमित करे, भी सम्मिलित हैं; और

(घ) इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय—

के लिए किए गए अभिदेश समझे जायेंगे।"

श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३० द्वारा रखी गई मूल अधिनियम की धारा १२०-क की अन्तिम पंक्ति से तीसरी पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अन्तरण" रख दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३० द्वारा रखी गई मूल अधिनियम की धारा १२०–क की अन्तिम पंक्ति से तीसरी पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अन्तरण" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३१ से ३३

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९१९ में नई धारा ९५–क का रक्खा जाना।

३१—यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ९५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अथात्—

"९५–क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो ट्रस्ट के हों या उसमें निहित हों अथवा ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर लिए गए हों इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित परिषद् के भू-गृहादि के संबंध में लागू होते हों, और उसमें—

ट्रस्ट के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना

(क) परिषद्;

(ख) नियत प्राधिकारी;

(ग) न्यायाधिकरण, और

(घ) उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय—

के लिए किए गए अभिदेश क्रमश :—

(क) ट्रस्ट;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या सहायक कलेक्टर भी है;

(ग) धारा ५७ के अधीन संघटित ट्रिब्युनल; और

(घ) इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय;

के लिए किए गए अभिदेश समझे जाएंगे।"

धारा ५७ के थान पर नई धारा का रक्खा जाना

३२—मूल अधिनियम की धारा ५७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"५७—भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन ट्रस्ट के लिए भूमि अर्जन करने के अभिदेश में न्यायालय के कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजन के लिए और धारा ६७–ई के अधीन आसुधार कर से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए और उत्तर प्रदेश आवास

एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ जैसा कि वह धारा ९५–क के अन्तर्गत ट्रस्ट के भू-गृहादि पर लागू है धारा ९५–ए में अभिदिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भी धारा ५९ में की गई व्यवस्था के अनुसार ट्रिब्यूनल संघटित किया जायगा।"

वैधीकरण

३३—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, अध्याय २, अध्याय ३ या अध्याय ४ में मूल अधिनियम के रूप में अभिदिष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा बेदखल करने या किराये अथवा क्षतिपूर्ति या व्ययों की वसूली करने के संबंध में किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई क्रिया, जिसके अन्तर्गत उसके लिए दिया गया कोई आदेश या की गई, कोई कार्यवाही भी है, धारा ११, धारा १९ अथवा यथा स्थिति, धारा २४ की उपधारा (१) द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी, और वैध रूप से तथा सदैव से वैध रूप से किया गया या की गई समझी जायगी मानो उक्त संशोधन सदैव से प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३१,३२ व ३३ इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

डिक्रियों के संबध में अपवाद

३४—धारा ११, धारा १९ या धारा २४ की उपधारा (१) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्णय या डिग्री की वैधता या निष्पादेयता पर प्रभाव पड़ता है।

श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत बड़ी गलती है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं इसे भी स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३५

विचाराधीन वादों तथा कार्यवाहियों का निस्तारण

३५—(१) धारा ११, धारा १९ और धारा २४ की उपधारा (१) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अध्याय २, ३ व ४ में मूल अधिनियम के रूप में अभिदिष्ट अधिनियमों की, क्रमानुसार, धारा १५—क, १०-क व २४-क में उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय में संस्थित कोई वाद या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, समर्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त, को संक्रमित हो जायेगी और तदुपरान्त समर्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त उनका निस्तारण उक्त अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही के रूप में करेगा।

(२) किसी ऐसी कार्यवाही में समर्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त उस स्तर से, जहां से वह संक्रमित किया जाय, अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है तथा इस प्रयोजन के लिए संक्रमण के पूर्व वाद या कार्यवाही के संबंध में जारी किये गये किसी सम्मन, प्रस्तुत किये गये लिखित बयान या प्रस्तुत साक्ष्य को उक्त अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन अपने द्वारा या समक्ष जारी किया गया नोटिस, संदर्शित वाद कारण या प्रस्तुत साक्ष्य मान सकेगा।

(३) (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ की धारा १० के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष या उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ की धारा ७ के अधीन सिविल जज के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश समाप्त हो जायगा, और डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज अभिदेश को बिना उत्तर दिये वापस कर देगा, जिसके बाद समर्थ अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी स्वयं आपत्ति पर निर्णय देगा, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व की स्थिति में, प्रथम-उल्लिखित अधिनियम की धारा १० की उपधारा (५) के अधीन किसी बाद के या द्वितीय-उल्लिखित अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने या कायम रहने पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी ऐसे अभिदेश पर निर्णय दे दिया गया हो तो निर्णय खंड (क) के उपबन्धों क अधीन रहते हुए, अन्तिम समझा जायगा और निर्णीत प्रश्न को, यथा-स्थिति समर्थ अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी के समक्ष पुनः नहीं उठाया जायगा।

श्री महीलाल—

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ (१) में तीसरी पंक्ति में अंक व शब्द "१०—क" के स्थान पर अंक व शब्द "१०—ख" रख दिये जायं, व पांचवीं पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अन्तरित" रख दिया जाय, और खंड ३५ (२) में दूसरी पंक्ति में शब्द "संक्रमित किया जाय" के स्थान पर शब्द "अन्तरित हो" और तीसरी पंक्ति में शब्द "संक्रमण" के स्थान पर शब्द "अन्तरण" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ (३) (क) की सातवीं पंक्ति में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

एसा मालूम होता है कि प्रेस वाले इस सरकार की नीति से असन्तुष्ट हैं। इसलिये उन्होंने अधिनियम के स्थान पर अध्यादेश रख दिया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ये दोनों मुझे स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ (१) में तीसरी पंक्ति में अंक व शब्द "१०–क" के स्थान पर अंक व शब्द "१०–ख" रख दिये जायं, व पांचवीं पंक्ति में शब्द "संक्रमित" के स्थान पर शब्द "अन्तरित" रख दिया जाय और खंड ३५ (२) में दूसरी पंक्ति में शब्द "संक्रमित किया जाय" के स्थान पर शब्द "अन्तरित हो" और तीसरी पंक्ति में शब्द "संक्रमण" के स्थान पर शब्द "अन्तरण" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ (३) (क) की सातवीं पंक्ति में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का आगे आए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने और तद्धीन किये गये कार्यों और की गई कार्यवाहियों को वैध करने के लिये

विधेयक,

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । यह विधेयक पुनः हाई कोर्ट से लौटकर हमारे सदन के सामने आ जायगा क्योंकि जिस स्थिति में यह पास हो रहा है वह उसी तरह की है ।

श्री अध्यक्ष---

यह आपकी भविष्यवाणी है ?

*श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह बिलकुल स्पष्ट है । आप देखेंगे कि हमारे देश में जो न्याय के सिद्धान्त चल रहे हैं उन सिद्धान्तों के मौलिक उसूलों पर आघात किया गया है । इस विधेयक की पृष्ठ-भूमि यह है कि जो इसके पहले इस संबंध में विधेयक था उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया थीं किसी भी अनधिकारी व्यक्ति को बेदखल करने की । एक तो यह थी कि वह सिविल कोर्ट के द्वारा बेदखल होता था और दूसरी यह थी कि सरकारी तरीके पर सरसरी तौर पर वह बेदखल कर दिया जाता था । श्रीमन्, इसमें हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये जो लोग काबिज हैं इन मकानों पर इनको दो प्रकार से निकाला जाता है । तो दूसरी प्रक्रिया जो सरकारी तौर पर इनको निकाला जाता है इस संबंध में हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह सरकारी तौर पर जो उनको निकालने की प्रक्रिया है वह न्याय के मौलिक सिद्धान्त के विपरीत है । तो चाहिये यह था कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाता कि सरकारी तौर पर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हटाकर दीवानी के जरिये से किसी आदमी को निकालने की प्रक्रिया होती और इस तरह से बेदखल करने का अधिकार सरकार को मिला होता । उच्च न्यायालय के दो दो फैसले हुए, १९५५ और १९६८ में । उनका यही मंशा था । लेकिन उल्टी खोपड़ी की सरकार है । हाई कोर्ट का मंशा था कि सरसरी तौर वाली प्रक्रिया निकाल दी जाय । (व्यवधान) यह संसदीय है । माननीय मुख्य मंत्री से पूछ लीजिएगा । यह संसदीय है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में इस तरह का संशोधन लाते कि सरसरी तौर पर बेदखल करने की प्रक्रिया को हटा कर दीवानी अदालत के माध्यम से बेदखल करने की प्रकिया को रख देते । लेकिन यह बिलकुल उल्टा विधेयक ले आए । दीवानी अदालत को खत्म कर दिया । एक अधिकृत अधिकारी बना दिया और सरकारी तौर पर निकालने की प्रक्रिया रख दिया । सबसे बड़ा हास्यास्पद प्राविजन यह है कि जो अधिकृत अधिकारी होगा जब नोटिस देकर वह बेदखल कर देगा तो जज के यहां अपील करने का प्राविजन दिया है । लेकिन सबसे बड़ी मजाक यह की गई है कि जज को स्टे आर्डर देने का अधिकार छीन लिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों दीवानी अदालत का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन निकाल रहे हैं और उसके बाद जो अपील करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज से यहां दे रहे हैं, उस पर पाबन्दी लगा दे रहे हैं कि स्टे आर्डर नहीं करेगा । हर न्यायालय का यह फण्डामेन्टल अधिकार है कि जब उसके सामने अपील होती है तो नीचे के आदेश को स्थगित कर देता है, अगर वह चाहता है, यदि न्यायालय किसी दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचे और बहुत ज्यादा क्षति न हो । लेकिन माननीय शर्मा जी कुर्सी से जुड़े जा रहे हैं । वह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । अपीलेट अथारिटी का स्टे करने का जो मौलिक अधिकार है, वह अधिकार छीन रहे हैं, यह कितना बड़ा उपहास किया जा रहा है न्याय के साथ । जो हमारे यह प्रचलित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न्याय हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के मौलिक सिद्धान्तों के यह विपरीत है। एक तो सिविल कोर्ट का अधिकार ले रहे हैं और अपीलेन्ट कोर्ट का स्टेट करने का अधिकार छीन रहे हैं। पढ़े-लिखे लोग जो हाई कोर्ट में बैठे हैं, वकील लोग बैठे हैं, और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं ऐसे विधेयकों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि विधान सभा क्या तमाशा है जो चाहते हैं पास कर देते हैं। महीलाल जी जो हैं उनको पढ़ने-लिखने से कोई मतलब नहीं। किसी ने संशोधन दे दिया, पढ़ा दिया। यहां ५०–६० आदमी बैठे हुए हैं, पौने छः बजे इस विधेयक को पास करवा रहे हैं, जिसको पढ़कर मजाक उड़ाया जायगा। इसलिये जो स्टेट करने का अधिकार छीन रहे हैं, उसको निकाल दें, जिससे नागरिकों में जाकर यह मजाक की चीज न बने। यह पास हो जायगा तो पुनः लौट कर आ जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस बात का आश्वासन इस सदन को देंगे कि जो विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत है और बहुमत के आधार पर वह स्वीकार करवाने जा रहे हैं उसको उच्च न्यायालय के द्वारा कोई चुनौती प्राप्त नहीं हो सकेगी, उसमें कोई गलती नहीं निकल पायेगी ?

***श्री चतुर्भुज शर्मा—**

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्णानन्द राय जी से कहना चाहता हूं कि शायद वे भूल जाते हैं कि वे भी किसी समय इसी खोपड़ी के रहे हैं। इसी खोपड़ी से निकले थे और इसी खोपड़ी में बने भी हैं। उस खोपड़ी को पनपते हुए काफी समय लग गया। यह जो विधेयक आया है वह १५ रोज का नहीं है या २ महीने में नहीं बना है। यह फैसला भी १५ रोज या दो महीने के अन्दर नहीं बना है। यह उस समय का है जब वे भी इसी खोपड़ी में थे। नियम जो है वे कोई सन् ५४ का है, कोई ५५ का है। इस विधेयक के लाने की यह मंशा नहीं है कि यह अवैध हो। हाई कोर्ट का यह कहना था कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। यदि दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तो उससे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हमने हाई कोर्ट से कानूनी सलाह ली। मैंने खुद बैठकर ला के एडवाइजर के साथ इसको ऐसा रूप दिया है। माननीय जायसवाल जी आश्वासन चाहते हैं। कोई आदमी अपनी समझ से गलती नहीं करता है। गलती बड़े-बड़े आदमियों और होशियार आदमियों से भी हो जाया करती है। होशियार आदमी वह है जो गलती करके उसे दुरुस्त कर ले और उसे मालूम हो जाय। तो मैं माननीय कृष्णानन्द जी राय से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई खामी नहीं है और इसमें ऐसी चीज नहीं रखी है कि वह अवैध हो जाय। अतः मैं चाहता हूं कि यह सदन इसे पारित कर ले।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी यह बतलाया कि हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उसके अन्दर यह कहा गया है कि दो प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिये ताकि डिस्क्रिमिनेशन न हो। इसीलिए आप इस विधेयक को लाए हैं। श्रीमन् एक प्रक्रिया तो यह थी सिविल कोर्ट के द्वारा बेदखली और दूसरी सरसरी तौर पर बेदखली की। तो इसलिये यह निर्णय लिया गया एक ही प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिये। हाई कोर्ट की मन्शा यह कैसे हो सकती है कि सरसरी कार्यवाही को रखा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हाईकोर्ट की मन्सा यह थी कि केवल एक ही प्रक्रिया रखी जाय। दोनों प्रक्रियाओं में कोई एक ही रखी जानी चाहिये। ऐसा न हो कि किसी के लिये कोई हो और किसी के लिये कोई और ऐसा न हो कि एक तरफ किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हो और दूसरी तरफ दूसरे के खिलाफ दूसरी कार्यवाही हो। सबके साथ एक जैसी कार्यवाही होनी चाहिये इसमें इसलिये कोई विरोध की बात नहीं है। अतः इसे सदन को पास कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब १२ और १३ नम्बर पर जो आइटम्स हैं वे कल लिये जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, अनेक विधायकों को इस तरह की शिकायत है कि उनके बिल ट्रेजरी से पास होकर नहीं आ रहे हैं, २–२, ३–३ दिन उनको परेशान होना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

मुझको यह चीज मालूम हुई थी। मैंने ट्रेजरी आफीसर को लिख कर भेज दिया है कि वे इसके ऊपर उचित कार्यवाही करें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ मई, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

१--इलाहाबाद
२—वाराणसी
३--मिर्जापुर
४--गाजीपुर
५--बलिया
६--गोरखपुर
७--बस्ती
८--जौनपुर
९--आजमगढ़
१०--देवरिया
११--फैजाबाद
१२--गोंडा
१३--बहराइच
१४--प्रतापगढ़
१५--बाराबंकी
१६--राय बरेली ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

विधान सभा के उन सदस्यों की नामावली जिन्हें १ नवम्बर, १९६९ तक आवास नहीं दिया गया था—

१—श्री ओम प्रकाश सिंह
२—श्री सैयद अली जहीर
३—श्री कृपा दयाल
४—श्रीमती कुदसिया बेगम
५—श्री बसन्त लाल
६—श्री राम पाल त्रिवेदी
७—श्री बंश गोपाल शुक्ला
८—श्री सच्चिदा नन्द
९—श्री नारायण दास
१०—श्री शिव शंकर सिंह
११—राजा रणंजय सिंह
१२—श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला
१३—श्री भानु प्रताप सिंह
१४—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी
१५—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे
१६—श्री सूबेदार प्रसाद
१७—श्री रामस्वरूप वर्मा
१८—श्री जगन प्रसाद रावत
१९—श्रीमती गायत्री देवी
२०—श्री धर्म सिंह
२१—श्री राम अवध
२२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
२३—डा० जगमोहन नाथ वर्मा
२४—श्री राजित राम पांडेय
२५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय
२६—श्री रूप राम
२७—श्री गया प्रसाद
२८—डा० श्याम किशोर
२९—श्री जै राम

विधान परिषद् के सदस्यों की नामावली जिन्हें १ नवम्बर, १९६९ तक आवास नहीं दिया गया था :—

१—श्री वासुदेव मिश्र
२—श्री रामचन्द्र गुप्त
३—श्रीमती शिवराज वती नेहरू
४—श्री राम सागर मिश्र
५—श्री सुरेन्द्र नाथ घोष
६—श्री राम नारायण पांडेय
७—श्री कैलाश प्रकाश
८—श्री हुकुम सिंह विसेन
९—श्री सरदार चरन सिंह
१०—श्री राम चन्द्र शुक्ल
११—श्रीमती शीला कौल
१२—श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन
१३—श्री दाऊ दयाल
१४—श्री शिव कुमार सिंह बिसेन
१५—श्री गुरु नारायण
१६—श्री छेदी लाल साथी
१७—श्री आगा जैदी
१८—श्री एल० एन० सरीन।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

क्रम-सं०	नाम	पद	विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि
१	सर्वश्री सैयद मोहम्मद सिबतैन नकवी	अधिदर्शक	दिनांक १३ अक्तूबर, १९६६ से निलम्बित किये गये।
२	सगीर अहमद	.. ,,	दिनांक १३ अक्तूबर, १९६५ से निलम्बित किये गये।
३	कुलदीप लाल शर्मा	.. ,,	दिनांक १४ जून, १९६७ से निलम्बित किये गये।
४	कृपा शंकर अस्थाना	.. ,,	दिनांक २७ मार्च, १९६५ से निलम्बित किये गये।
५	वी० के० कर्नाटक	.. ,,	दिनांक १८ फरवरी, १९६७ से निलम्बित किये गये।
६	सुरेन्द्र पाल सिंह	.. ,,	दिनांक ८ जून, १९६७ से निलम्बित किये गये।
७	दफेदार खां	.. पतरौल	दिनांक १४ जून, १९६७ से निलम्बित किये गये।
८	जगत नरायन द्विवेदी	.. अधिदर्शक	दिनांक ११ अगस्त, १९६४ से निलम्बित किये गये।
९	ओंकार नाथ दीक्षित	.. सुपर-वाइजर	दिनांक २२ मई, १९६६ से निलम्बित हैं
१०	जय जय राम	.. पतरौल	दिनांक १६ अप्रैल, १९६७ से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
११	राम कुमार लाल	.. अधिदर्शक	दिनांक १६ जुलाई, १९६४ से निलम्बित किया गया।
१२	विक्रमादित्य सिंह	.. ,,	दिनांक १० दिसम्बर, १९६७ से निलम्बित हैं।
१३	सत्यदेव दुबे	.. मिस्त्री	दिनांक १० सितम्बर, १९६६ से निलम्बित किये गये।
१४	जे० सी० अस्थाना	.. लेखक व प्रालेखक	सन् १९६४ से इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
१५	सुरेन्द्र चन्द्र शर्मा	.. ,,	दिनांक १० नवम्बर, १९६५ से निलम्बित हैं।
१६	महेन्द्र सिंह जैन	.. ,,	दिनांक १ नवम्बर, १९६६ के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निलम्बित।
१७	जगदीश प्रसाद गुप्ता	.. ,,	दिनांक ९ फरवरी, १९६७ के ज्ञाप द्वारा निलम्बित किया गया।
१८	वशेन्द्र पाल सिंह	.. ,,	कार्यवाही ९ जून, १९६७ से हो रही है दिनांक ३ जनवरी, १९६८ से निलम्बित किया गया।

क्रम-सं०	नाम	पद	विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि
१९	सर्व श्रीरघुवीर सरन	.. लेखक व प्रालेखक	दिनांक १७ अगस्त १९६७ से निलम्बित किया गया ।
२०	महेन्द्र त्रिपाठी	.. ,,	सन् १९६७ से निलम्बित किये गये ।
२१	कृष्ण कान्त त्रिपाठी	.. ,,	दिनांक १ जुलाई, १९६७ से निलम्बित किये गये ।
२२	बाल गोविन्द	.. ड्राइवर	दिनांक २७ मई, १९६६ से निलम्बित किये गये ।
२३	डी० एन० जौहरी	.. उप लेखक व प्रालेखक	दिनांक २० मार्च, १९६४ से निलम्बित हैं ।
२४	गुर दयाल सिंह	.. अधिदर्शक	दिनांक २२ अक्तूबर, १९६५ से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हुई ।
२५	पी०सी० जायसवाल	.. पर्यवेक्षक	दिनांक ८ जुलाई, १९६७ से निलम्बित किये गये ।
२६	राम प्रताप त्रिवेदी	.. स्टोर कीपर	दिनांक ६ जुलाई, १९६७ से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हुई ।
२७	राम सिंह	.. ड्राइवर	विभागीय कार्यवाही १८ अप्रैल, १९६७ से प्रारम्भ हुई ।
२८	बी० ए० सिंघल	.. पर्यवेक्षक	विभागीय कार्यवाही २ अप्रैल, १९६६ से प्रारम्भ हुई ।
२९	जी० पी० सिन्हा	.. स्टोर कीपर	विभागीय कार्यवाही २ अप्रैल, १९६६ से प्रारम्भ हुई ।
३०	बृजनाथ कौशिक	.. अधिदर्शक	दिनांक २१ नवम्बर, १९६६ से निलम्बित किये गये ।
३१	हरिहर चरन मित्रा	सुपर-वाइजर	दिनांक १६ अप्रैल, १९६६ से निलम्बित हैं ।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४१–४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

तालिका (क)

(क) नशीरपुर उप जलशाखा में सफाई का विवरण

वित्तीय वर्ष	माह जिसमें सफाई कराई गई	धनराशि जो व्यय की गई	ठेकेदारों के नाम
१	२	३	४
१—१९६७–६८	अक्तूबर, १९६७ जनवरी, १९६८ फरवरी, १९६८	७३७ रुपया	श्री बाबू लाल
२—१९६८–६९	सितम्बर, १९६८ अक्तूबर, १९६८ जनवरी, १९६९	२,७१८ रुपया	सर्वश्री गिरजा प्रसाद तिवारी एवं बाबू लाल ।
३—१९६९–७०	सितम्बर, १९६९ अक्तूबर, १९६९ जनवरी, १९७० फरवरी, १९७०	३,८१८ रुपया	सर्वश्री उदयराज यादव एवं बाबू लाल ।

(ख) शिवगढ़ उपजल शाखा में सफाई का विवरण

१—१९६७–६८	मई, १९६७ जनवरी, १९६८ फरवरी, १९६८	९९३ रुपया	श्री बाबू लाल
२—१९६८–६९	कोई कार्य नहीं हुआ ।		
३—१९६९–७०	जनवरी, १९७० फरवरी, १९७०	१,१९० रुपया	श्री उदयराज यादव

तालिका (ख)

नशीरपुर एवं शिवगढ़ माइनरों के १९६७ से ३१ जनवरी, १९७० तक चलने का विवरण

नशीरपुर माइनर		**(इसकी लम्बाई ९ मील ४ फर्लांग है)**
वित्तीय वर्ष		**कितने बार चली**
१९६७–६८	..	८१ बार चली
१९६८–६९	..	५७ बार चली
१९६९–७०	..	७७ बार चली
शिवगढ़ माइनर		**(इसकी लम्बाई ४ मील है)**
१९६७–६८	..	३७ बार चली
१९६८–६९	..	२८ बार चली
१९६९–७०	..	३७ बार चली

नशीरपुर एवं शिवगढ़ माइनर कितने मील तक चली

नशीरपुर माइनर			**(इसकी लम्बाई ९ मील ४ फर्लांग है)**	
वित्तीय वर्ष		**खरीफ**		**रबी**
१९६७–६८	..	७–५–१०० तक		छोर तक
१९६८–६९	..	छोर तक	..	९–३–०
१९६९–७०	..	६–०–०		छोर तक
शिवगढ़ माइनर		**(इसकी लम्बाई ४ मील है)**		
१९६७–६८	..	१–४–० तक		२–४–३३० तक
१९६८–६९	..	३–१–० तक		१–४–० तक
१९६९–७०	..	१–२–० तक		१–३–० तक

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर)

क्रम-संख्या	प्रदेश की सुपरसीटेड नगरपालिकाओं के नाम	प्रशासक	प्रभारी अधिकारी का नाम (२५ अप्रैल, १९७० तक की स्थिति)
१	२	३	४
१	मुरादाबाद ..	जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद	श्री एस० सी० पन्त
२	गाजियाबाद	श्री बी० के० टण्डन	श्री घनानन्द पाठक
३	अलीगढ़ ..	जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़	श्री इन्द्र प्रकाश एरन
४	शाहजहांपुर ..	जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर	श्री देबा नन्द गौड़
५	बिसवां (जिला सीतापुर)	जिला मैजिस्ट्रेट, सीतापुर	श्री ए० डब्ल्यू० के० वारसी
६	बस्ती ..	जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती	श्री मजहर अजीज
७	कर्नलगंज (जिला गोंडा)	जिला मैजिस्ट्रेट, गोंडा	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह
८	एटा ..	जिला मैजिस्ट्रेट, एटा	श्री सय्यद खुरशीद अहमद
९	रामनगर (जिला वाराणसी) ।	जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी	श्री शोमनाथ गुप्ता
१०	बांदा ..	जिला मैजिस्ट्रेट, बांदा	श्री विशम्भर शरण
११	फतेहपुर (जिला आगरा)	जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा	कुमारी सुमिता चक्रवर्ती
१२	नवाबगंज (जिला गोंडा)	जिला मैजिस्ट्रेट, गोंडा	श्री एम० ए० फारुकी
१३	गोरखपुर ..	जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर	श्री गजेन्द्र सिंह
१४	बड़ौत (जिला मेरठ)	जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ	श्री ए० एन० खरे
१५	बुलन्दशहर ..	जिला मैजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर	श्री जफर अली
१६	जालौन ..	जिला मैजिस्ट्रेट, जालौन	श्री बी० पी० सिंह
१७	चन्दौसी (जिला मुरादाबाद)	जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद	श्री बी० एन० शर्मा

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

क्रम सं०	नाम ग्राम	क्रम सं०	नाम ग्राम
१	लमेहरा	२७	सुरावन बुजुर्ग
२	मवइय्या	२८	घाटमपुर
३	बावन	२९	ऐंझी
४	कुड़वारी	३०	रामनगर कोहन
५	ककरार	३१	जरौली
६	कुसुरुवा	३२	देईमऊ
७	जिवकरा	३३	सरकण्डी
८	गढ़ी	३४	मनावा
९	सतखरा	३५	धरमपुर सुसवन
१०	दतौली	३६	सखल
११	ओती	३७	बरूहा
१२	समदपुर	३८	लिलरा
१३	अयमाउज्जाम	३९	बहदपुर
१४	उमरपुर	४०	हरनकां
१५	जमेवो	४१	गम्हरी
१६	सैमसीं	४२	परसेढा
१७	छछौरा	४३	दिवलान
१८	देवगांव	४४	असोथर
१९	जजरहा	४५	फतेहपुर मटिहा
२०	अरसलपुर	४६	कोडर
२१	चक गुलाम रसूल	४७	पुरबुज़र्ग
२२	फरीदाबाद टिकरी	४८	सातोपीत
२३	पैगम्बरपुर बकरी	४९	धरमपुर सातो
२४	वेसड़ी	५०	टीकर
२५	सेवरामऊ	५१	गेडुरी
२६	गोकन	५२	भेरवा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६४ एल० ए०—१९७०—८४५ ।